खण्ड-370, अंक-8
बुधवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1907
(24 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 1
प्रश्नोत्तर	.. 3–54
केवल 10 तारांकित प्रश्नों के लिये जाने की मांग	.. 54
तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देवनागरी लिपि से भिन्न लिपि में दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 54–55
सदस्यों के शिकायती–पत्रों पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में शिकायत	.. 55–57
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	.. 57
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	.. 57–58
गंगा नदी पर बलिया–बैरिया संसार तथा बक्सर–कोइलवर बांध के निर्माण से बलिया जिले के अनेक ग्रामों के बह जाने के खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 58
जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरा, बस्ती के शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 59
ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद की आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 59–60
गुरुधाम मन्दिर, वाराणसी पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 60
प्रदेश में पटरी दुकानदारों के उजाड़ने से हजारों परिवार के जीवन–यापन की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 60–61
कस्बा लखना, इटावा में सिनेमाघर के निर्माण में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 61
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 61–62
बिजनौर में पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 62
तत्कालीन संसदीय कार्य–मंत्री द्वारा फैजाबाद की घटना की जुडिशियल जांच की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	.. 62–63
औचित्य के प्रश्नों की अन्य सूचनाएं	.. 63–64

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (चतुर्थ संशोधन) (1) तथा (2) नियमावली, 1985 .... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	65
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1985 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	65
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	65
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (तृतीय संशोधन)–नियमावली, 1983 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	65–66
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1983 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	66
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	66
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (छठा संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	66–67
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (चौथा संशोधन) नियमावली, 1984 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	67
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमवली, 1985 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	67
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन समय से सदन के पटल पर न रखे जाने पर आपत्ति ..	67–70
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि का) .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	70
उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भंडार केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	71
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984 .... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	71

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1984 ... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	71
आबकारी अनुभाग–2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 2906 ... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	72
आबकारी अनुभाग–2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 2907 .... (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	72
उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छठवां संशोधन) नियमावली, 1985 .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	72
उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	72
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 ... (सदन के पटल पर रखा गया) ..	72
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन तथा संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985.. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	72
सीतापुर जिले की रहिमाबाद पम्प कैनाल के कमाण्ड को खारिज कर पुनः शारदा नहरखण्ड में मिलने के सम्बन्ध में याचिका .... (उपस्थित की गयी) ..	73
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	73–84
1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या 67–सहायता एवं पुनर्वास विभाग तथा अनुदान संख्या 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	84–128
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	129
श्री महबूब बख्श, निवासी आगरा की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	129–133
3 1/8 एकड़ तक जोत वाले किसानों पर तीन वर्षों से अधिक पुराने पड़े सरकारी कर्जे को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	133–146
रेजीडेन्सी में बेगम हजरतमहल कार्यक्रम देखने हेतु निमन्त्रण पत्र माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने की सूचना ..	146–147
नस्थियां	49–15 61

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
उदयवीर सिंह राठौर, श्री (एटा)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
नेक चन्द्र पान्डेय, श्री (कानपुर)
पशुपतिनाथ, श्री (कानपुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बंगाली सिंह, डा० (अलीगढ़)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोण्डा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री (रायबरेली)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतन स्वरूप, श्री (बुलन्दशहर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद बिन्द, श्री (वाराणसी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 1985
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभाजन सम्बन्धी कथित प्रस्ताव

**1—श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास हेतु प्रदेश को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेशों के विभाजन का विषय केन्द्र शासन का है । अतः राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैंने प्रश्न किया था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास हेतु प्रदेश को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है और यदि है तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं तो, क्यों ? तो इनका उत्तर आया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता । तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश 6ठें या 7वें स्थान पर सबसे बड़ी इकाई है प्रशासनिक और मुख्य मंत्री जी को भी बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम भी ज्ञात नहीं होंगे तथा शासन का संचालन करने में बाधा उत्पन्न होती है । खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुन्देलखंड के बारे में, अन्य भागों से कम है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इन हिस्सों के विकास के लिए अलग से, जैसा कि आपने बजट में दिया है, कोई स्कीम विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या स्वस्थ विकास के लिए केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश के विभाजन करने की सिफारिश करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

पहला प्रश्न यह है कि, कुछ क्षेत्रों का नाम लिया है कि विकास की कोई स्कीम विचाराधीन है या नहीं ? तो उत्तर है "हां" । जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है तो उसका उत्तर है "जी नहीं" ।

श्री राम आसरे वर्मा—

समय-समय पर यह मांग, विशेषकर पश्चिमी जिलों से उठती रही है कि प्रदेश का पुनर्गठन किया जाय ताकि एक स्वस्थ विकास प्रदेश का हो सके । पहाड़ी क्षेत्रों से यह आवाज उठती रही है और जिस समय यह आवाजे उठती हैं शासन की ओर जवाब दिया गया । तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर प्रदेश के पुनर्गठन में कठिनाई क्या है और जो योजनाओं की बात कही, वह विकास की योजनायें क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक प्रदेश के गठन या पुनर्गठन का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश पूर्णतय सुगठित है । 57 जनपद, 12 मंडल हैं, यह प्रशासनिक इकाइयां हैं । इस प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि पश्चिम के भी मुख्य मंत्री यहां पर रह चुके हैं, सारी पार्टियों की सरकारें भी रह चुकी हैं । कभी भी कोई मांग या प्रस्ताव इस प्रदेश की सरकारों ने नहीं की है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, प्रदेश के विभाजन की बात ठीक नहीं लगती, पुनर्गठन कहना ज्यादा उपयुक्त है । लेकिन प्रश्न यह है कि संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो

12 करोड़ आदमियों को एक जगह बैठ कर कन्ट्रोल करे । 7वां मुल्क है यह आबादी के हिसाब से, एक जगह बैठ कर इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना मैं समझता हूं मुश्किल हो गया है । यह कोई नियत नहीं है कि पूर्व, पश्चिम या पहाड़ का विभाजन हो जाय । इस प्रशासनिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्र सरकार को प्रस्ताव करेंगे कि इन कठिनाई के कारण पुनर्गठन कर दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

माननीय, सम्मानित सदस्य बुलन्दशहर जनपद तो बहुत दिनों से इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं और उन्हें भली भांति याद है कि इस प्रश्न पर कई बार विचार हुआ । देश के हित में और प्रदेश के हित में यहां उचित समझा गया कि उत्तर प्रदेश जैसी प्रशासनिक इकाई जैसी है वैसी ही बनी रहे । बहुत से लोग जो पहले इस ख्याल के थे कि पुनर्गठन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में हो, उन्होंने भी अपने विचारों को संशोधित कर लिया । आज हम इस सदन की सेवा में है, इस सदन में कल्पना करना कठिन है कि हम अलग-अलग बैठें । हम एक परिवार की तरह बैठे हैं : विचार अलग हैं, दल अलग हैं, अलग-अलग दलों के नेता हैं, और भी दल हैं, वे भी अपना कार्य बखूबी प्रदेश के दृष्टिकोण से निभा रहे हैं । राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक निर्णय लिया । मैं आग्रह करूंगा कि बजाय इस बात की चर्चा करने के अगर हम अपने काम में जुट जायं तो प्रदेश को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं चाहे इसकी आबादी 12 करोड़ की हो । उत्तर प्रदेश में आबादी अन्य प्रदेशों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहीं है, हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में यह 15 करोड़ हो जाय । यह प्रशासन का ही प्रश्न नहीं है, दूसरी नीतियों का भी प्रश्न है । जहां तक चतुर्दिक विकास का प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आप देखेंगे ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास में बाधायें हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि यह चतुर्दिक विकास की जो बाधायें हैं, वह बड़ी इकाई होने के कारण नहीं है बल्कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण न होने के कारण हैं । क्या इस सरकार का स्पष्ट मत है कि बड़ी इकाई होने से चतुर्दिक विकास में कोई बाधा नहीं है और चतुर्दिक विकास में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण न होने के कारण बाधायें हैं ? यदि हां, तो क्या उनको दूर करने पर विचार करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

सम्मानित सदस्य सहारनपुर ने जो अपना अभिमत व्यक्त किया है, उसके प्रथम भाग से सहमत हूं, जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है उन्होंने कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं हुआ, तो आपने देखा होगा कि ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषदों को यदि संसाधन के अधिकार दिलाये जायं, अगर यह सदन जिला परिषदों को संसाधनों को बढ़ाने का अधिकार देने के लिए तैयार हो और नाराजी कम व्यक्त करे और इस बात की इजाजत दे तो विकासीय प्रशासन और मजबूत हो सकता है ।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

प्रदेश के चतुर्दिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पहाड़ की ही तरह पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन करके बजट मे अलग से प्राविधान करने का विचार करेगी ?

श्री नारायन दत्त—

सम्मानित सदस्य वाराणसी कैन्ट यदि बजट को देखें तो देखेंगे कि पर्वतीय बजट अलग से नहीं है, वह एक विभाग है, 8 जिलों में विशेष स्थिति है, उसका विभाग है । जहां तक निगमों क सवाल है, प्रत्येक डिवीजन में अलग-अलग

निगम जैसे पर्वतीय क्षेत्र में बने हुए हैं, हर डिवीजन में विकास निगम बनाये गये हैं ।

(गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने पर ।)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आपने सभी पार्टियों को इसमें मौका दिया परन्तु भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले गौरी भइया को बुला लिया है, उसके बाद आप प्रश्न करियेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे कि कई आयोग उत्तर प्रदेश के नाम पर काम कर चुके हैं, इसी तरह का एक आयोग पटेल आयोग के नाम से था । जिसने अपनी सिफारिश दी थी जिसमें उसने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कि वहां का विकास प्रदेश के अन्य प्रदेशों के हिसाब से नहीं हो रहा है । तो माननीय मुख्य मन्त्री जी पटेल आयोग की सिफारिश को मानते हुए पूर्वी उ0 प्र0 के विकास के लिये एक अलग से पूर्वांचल विकास निगम की घोषणा करेंगे ? श्री ए0 के0 कुंजरू की अध्यक्षता में स्टेट रिआर्गेनाईजेशन के लिये एक कमेटी बनी थी जिसमें भाषावाद के आधार पर कार्य करने की सिफारिश की गयी थी । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप अवधी, बृज, बुन्देलखन्डी तथा भोजपुरी भाषाओं को आधार मान कर उत्तर प्रदेश के विकास के हित में भारत सरकार से प्रदेश के पुनर्गठन की सिफारिश करेंगे ?

(विरोधी पक्ष से "नहीं, नहीं, यह नहीं होना चाहिये" की आवाजें ।)

श्री नारायन दत्त--

सम्मानित सदस्य ने जो कहा और पटेल आयोग के सम्बन्ध में बात की । मैंने भी पटेल आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन किया है और प्रातः स्मरणीय श्री विश्वनाथ गहमरी, जिनकी अध्यक्षता में यह हुई थी, उनसे मेरी मित्रता भी थी और इस सम्बन्ध में बातचीत भी होती थी । तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम पटेल आयोग से बहुत आगे बढ़ चुके हैं । यह आयोग सन् 1962 की स्थिति के आधार पर हुआ था । तब की और अबकी स्थिति में बहुत फर्क है उसमें तो केवल दो-चार मिलों के लगाने की बात थी । आज पटेल आयोग की संस्तुति के विकास की रफ्तार से बहुत आगे बढ़ चुके हैं । जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हिन्दी भाषा के अतिरिक्त भोजपुरी, अवधी, बृज को आधार मान कर प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया जाय, तो इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि सब बोलियों को देवनागरी की ही तरह विकसित होना चाहिये लेकिन बोलियों को भाषा की सुविधा मानकर प्रदेश का विभाजन करना, इससे शायद माननीय सदस्यगण भी सहमत नहीं होंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया इस सम्बन्ध में मुझे याद है श्री पाणिकर जी का कथन, जो कि उन्होंने लिखा था और इस बात की वकालत की थी कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है जिससे कि प्रशासनिक कार्य बन नहीं पाते हैं, तो उनकी बात को स्मरण कराते हुए कि उत्तर प्रदेश जिससे कि मिला हुआ मध्य प्रदेश भी है जिसके कारण बुन्देलखण्ड की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती रहती है, तो उत्तर प्रदेश एक

विजिबिल स्टेट बनें जो कि विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी भारत सरकार से कोई इस प्रकार की संस्तुति करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश को विकास की ओर बढ़ा सके ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन् मैं नहीं जानता कि सम्मानित उप नेता भारतीय जनता पार्टी किस योग्यता के साथ अपने दल की नीतियों को सदन में रख रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों पर इसी सदन में विचार हुआ था और उस समय इस कुर्सी पर पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी विराजमान होते थे और उस समय मुझे उधर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां पर बर्क साहेब बैठे हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी मुख्य मंत्री बन सकता हूं ।

श्री नारायन दत्त--

बर्क साहेब काले झन्डे दिखाना बन्द कर दें, तो गुन्जाइश हो सकती है ।

(हंसी)

तो इस विधान सभा में विवाद हुआ था, पणिकर साहेब ने विमति टिप्पणी दी थी और उस पर भी यहां पर विवाद हुआ था और इस सदन ने एक मत से, शायद 2-4 लोगों को छोड़कर, सभी ने उसको ठुकरा दिया था । तो मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश को गंगा, सरयू घाघरा का प्रदेश रहने दें, झांसी से देवरिया और केदार नाथ से बलिया, जो शहीदों की भूमि है, एक रहने दें और यहीं एक साथ सारा परिवार बैठे ।

श्री अध्यक्ष--

यही आखिरी प्रश्न है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मैं इससे अलग प्रश्न कर रहा हूं ।

श्री राम सरन--

मैं नेता सदन से और दूसरे मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की दिक्कत नहीं है कि रोज उनको इस तरह की दिक्कतें आती हैं, किसी को पहाड़ का पानी नहीं सूट करता है, मैदानी भाग में ही रहने दिया जाय, पश्चिम का आदमी कहता है कि उसे पूर्व में न भेजा जाय और पूर्व का आदमी कहता है कि मुझे पश्चिम में न भेजा जाय । तो यह दिक्कत है । हुकुम सिंह ही बतावें कि क्या वह बंटवारा नहीं चाहते हैं । मैं सहारनपुर से आता हूं । वहां से 4-5 प्रान्तों की राजधानियां नजदीक हैं । चन्डीगढ़, शिमला, जयपुर और दिल्ली तो नजदीक है ही । मैं 14 घंटे के सफर के बाद यहां पर आता हूं और मर जाता हूं । मैं भारत की एकता का विरोधी नहीं हूं । क्या तिवारी जी बता सकते हैं कि 57 जिलों के कलेक्टरों के नाम क्या हैं, वहां के एस0 पी0 के क्या नाम हैं । इस तरह से काम नहीं चल सकता है कि चीफ मिनिस्टर को कलेक्टरों के नाम ही पता न हों, तो प्रशासन किस तरह से चल सकता है ।

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, माननीय सदस्य, सहारनपुर, नेता लोक दल,

(व्यवधान)

मैं अपने को सुधार लूं, सचिव लोक दल और हमने पानी एक साथ पिया है और वह हजम भी हुआ है । श्रीमन्, मैंने तो कल देखा है, लखनऊ में काफी दिक्कत से पानी मिलता है, लखनऊ का हजम नहीं हुआ तो कठिनाई हो जायेगी ।

श्रीमन्, मैं आग्रह करूंगा जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि वे तमाम कलेक्टरों के नाम जानते हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस सम्मानित सदन में जिसमें कि 425 सदस्य हैं, सबसे अधिक नाम जानने का प्रयास करता हूं ।

(अ0 सू0 प्र0 संख्या 2 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य की अनुपस्थिति होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इसमें रुचि है ।

(व्यवधान)

(उद्योग राज्य मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 2 का लिखित उत्तर पढ़ने लगे ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कौन से प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दे रहे हैं ?

(उद्योग मंत्री, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पढ़ने लगे और सदन में व्यवधान पैदा हो गया ।)

पहले यह तय कर लें कि कौन से प्रश्न का जवाब है ?

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य शांत रहें । मैंने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के लिये मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पढ़ दिया था ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं हैं । इसलिये सारे प्रश्नों के बाद उसका उत्तर आना चाहिए । माननीय राज्य मंत्री सही उत्तर दे रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

आप पढ़ें ।

श्रीबेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय सदस्य नहीं हैं । वे कौन सा उत्तर पढ़ रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पढ़ रहा हूं । मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर भ्रम से पढ़ दिया था ।

उद्योग निदेशालय द्वारा हाट मिक्स संयन्त्र की खरीद

**2-श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)-

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय ने हाल ही में 150 हाट मिक्स संयन्त्र प्रदेश के बाहर से खरीदे हैं, जबकि मुख्य मन्त्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि यह संयन्त्र प्रदेश में कार्यरत लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाइयों से खरीदे जायं ? क्या मुख्य मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त क्रय आदेश उत्तर प्रदेश के उत्पादकों की दरों पर दिए गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं खजाने को हानि पहुंचाने के जिम्मेदार कौन हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

जी नहीं । शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त निविदाओं के गुणावगुण पर विचार करके उनकी उत्पादन क्षमता एवं पूर्व में की गयी आपूर्तियों को देखते हुए संयंत्रों के क्रयादेश दिये गये हैं, जिसमें प्रदेश तथा प्रदेश की बाहर की इकाइयां सम्मिलित हैं ।

जी नहीं । यदि कुछ बाहर की इकाइयों की दरें ऊंची हैं तो कुछ मामलों में प्रदेश की इकाइयों की दरें भी अधिक हैं जिन्हें क्रयादेश दिया गया है । वास्तव में इसका निर्णय प्रदेश की इकाइयों को मूल्य

वरीयता देते हुए उनकी क्षमतानुसार तथा गुणावगुण पर विचार करते हुए लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्यों को छिपाने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि जब मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि यह संयंत्र प्रदेश में कार्यरत लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाईयों से खरीदे जाय और अब मंत्री जी कह रहे हैं, जी नहीं । मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश दिया था? यदि दिया था तो उसे पढ़ कर सुना दें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिये थे कि प्रदेश में बनने वाले हाट मिक्सात प्लांट्स की इकाईयों को यथाशक्ति 5 से 15 परसेंट तक उनकी मूल्य वरीयता देने के बाद उनके गुणावगुणों को देखने के बाद, उनकी कार्यक्षमता देखने के बाद, उनकी उत्पादन क्षमता देखने के बाद, उन्हें आदेश दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर) मैंने श्री वर्मा जी को बुला लिया है । आप कृपा कर बैठ जांय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । उन्होंने बताया कि कुछ चीजों की दरें उत्पादक दरों से कुछ की ऊंची और कुछ की नीची भी हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन की दरें उत्पादक दरों से ऊंची और किन-किन की नीची हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित --

मान्यवर, हाट प्लांट खरीदने के लिए जो क्रय समिति बनाई गयी है उसने 6 हाट प्लांट के निर्माताओं को आर्डर दिये और उनके अलग-अलग टेंडर के भाव उत्पादन कर्ताओं के निहित हैं । इन 6 पार्टियों में से 4 प्रदेश की हैं और दो बाहर की हैं । एक तो नार्मन कम्पनी, कलकत्ता की और एक इंकमें मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई की है । प्रदेश की दो इकाइयों के रेट्स काफी ज्यादा थे, जिसमें एक कानपुर सब्बरवाल कम्पनी है, जिसका रेट एक लाख 44 हजार है और दूसरी कम्पनी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है जिसके रेट 1 लाख 38 हजार हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र दिया था जिसमें उनकी मंशा यह रही है कि प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले और शासन की भी यह मंशा होगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो निर्देश थे उसे पढ़ कर सुना दें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के जिस पत्र का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह पत्रावली में नहीं है, लेकिन उनकी जो मंशा रही है वही शासन की भी मंशा है, माननीय सदस्य की भी यही मंशा होगी कि उत्तर प्रदेश के यूनिट्स को प्राथमिकता दी जाय । इसके अनुरूप ही ज्यादा मूल्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की दो इकाइयों को आर्डर दिये गये ।

(तारांकित प्रश्न 2 नत्थी (ख)
पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, लोगों की मूल भावनाओं को ध्यान में रखने के बाद माननीय

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री जनादन प्रसाद ओझा की रूचि पर लिया गया ।

मुख्य मंत्री जी ने निदेश दिया था उसकी अवहेलना की गयी ।

श्री अध्यक्ष--

जिनका सवाल था उनके न होने के बावजूद मैंने इजाजत दे दी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब प्रश्न को आपने पुकार लिया तो वह सदन की सम्पत्ति हो गयी ।

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों पर काफी समय हो गया ।

तारांकित प्रश्न

*1--श्री सरदार सिंह--

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अकबरपुर, राज्य कताई मिल से सम्बन्धित मुख्य मंत्री के कक्ष में हुई बैठक

*2--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 17-2-84 को माननीय मुख्य मन्त्री के कक्ष में अकबरपुर राज्य कताई मिल के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में कौन अधिकारी व विधायक तथा माननीय मन्त्री लोगों ने भाग लिया था और किन-किन मुद्दों पर वार्ता हुई थी तथा क्या-क्या निर्णय हुए थे ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी)—

जी हां ।

उक्त बैठक में मुख्य मंत्री जी के अतिरिक्त श्रम मंत्री जी एवं तत्कालीन विधायकगण श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती एवं कतिपय अधिकारीगण उपस्थित थे ।

उक्त बैठक में निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ था :

1--अकबरपुर कताई मिल में अप्रैल एवं जून, 1983 में नियुक्त किये गये प्रशिक्षार्थियों में कितने फैजाबाद जिले के तथा कितने अन्य जिलों के निवासी थे ।

2--रानी खेत एवार्ड के संदर्भ में अकबरपुर की "ए" यूनिट में दो वर्ष से अधिक कार्यरत श्रमिकों की "बी" यूनिट में स्थानान्तरित करके नियमितीकरण करना ।

3--कार्मिक विभाग के शासनादेश 23/25/1973 कार्मिक 2, दिनांक 21-9-1981 के अनुसार स्थानीय निवासियों को चयन में वरीयता के सम्बन्ध में ।

उक्त बैठक में यह निर्णय हुआ था कि अकबरपुर कताई मिल में भविष्य में कुशल श्रमिकों के चयन में जितने श्रमिक लिये जायेंगे उसके बराबर पुराने श्रमिकों का नियमितीकरण किया जायेगा। शेष पुराने श्रमिकों का भी इसी प्रकार से आगे चल कर नियमितीकरण किया जायेगा । साथ ही यह भी निश्चय किया गया था कि नई भर्ती आवश्यक होगी ।

यह भी निर्णय लिया गया था कि नियुक्तियों में जिले और गैर जिले के अभ्यार्थियों के अनुपात की संख्या तय करने तथा अभ्यार्थियों के अधिवास के आधार के विषय में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यवहारिक एवं वैधानिक रास्ता निकालने के लिए मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23-2-84 को होने वाली बैठक में अन्तिम निर्णय लिया जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 23-2-84 को मुख्य मन्त्री जी के यहां जो बैठक हुई थी उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये थे और उन निर्णयों के अनुपालन के लिए क्या और कब आदेश किये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, 23-2-84 को जो मीटिंग मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में हुई, उसमें यह निर्णय हुआ था ऐसे सभी व्यक्ति व उनके आश्रित, जिनकी भूमि इकाई के लगाने के लिए अध्याप्त की गई है, को नियुक्तियों में वरीयता दी जाय ।

इसका अनुपालन यह हुआ है कि अकबरपुर इकाई में जिन भी व्यक्तियों की भूमि अध्याप्त की गई थी एवं जिन्होंने नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे, उनको (एक परिवार से एक व्यक्ति को) नियुक्ति पहले की जा चुकी है ।

मान्यवर, दूसरा यह बिन्दु था कि अकुशल ट्रेनीज श्रमिकों के चयन में जिले और गैर जिले के निवासियों के चयन में अनुमानित संख्या निर्धारित करने तथा इन अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया के विषय में । इसमें निर्णय यह हुआ है कि अकुशल/ट्रेनीज श्रमिकों के चयन में जिले और गैर जिले के निवासियों के अनुपात की अपेक्षा 50-50 प्रतिशत रखी जाये । सभी अभ्यर्थियों का नाम सेवायोजन कार्यालय में पजीकृत होना चाहिये । सेवायोजन कार्यालय के द्वारा स्पोन्सर किये गये लोगों के अतिरिक्त नियुक्ति अधिकारी सीधे भी आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।

इस दूसरे निर्णय का अनुपालन करते हुए निर्णय का पूरी तरह प्रतिपालन किया जा रहा है । जहां तक अकबरपुर इकाई का सम्बन्ध है, इस इकाई में अकुशल श्रेणी में (उक्त निर्णय के उपरान्त) कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं, ट्रेनीज श्रमिकों का चयन केवल दिनांक 3-6-85 को किया गया था तथा चयन केवल सेवायोजन कार्यालय फैजाबाद द्वारा स्पोन्सर किये गये अभ्यर्थियों में से किया गया था । उक्त चयन में 114 लोगों का चयन किया गया था जिनमें से 108 अभ्यार्थी फैजाबाद के निवासी थे ।

मान्यवर, तीसरा निश्चय यह हुआ था कि जनपद के निवासी होने का प्रमाण का आधार कुटुम्ब/ म्युनिसिपल रजिस्टर या राशन कार्ड पर्याप्त होगा ।

इस निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है । अकबरपुर इकाई में जिन अभ्यर्थियों का चयन दिनांक 3-6-85 को किया है उनको सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा दिया गया निवास स्थान (सत्यापन) प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने पर ही नियुक्त किया गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मंत्री जी मेरी बात को सही मानते हुए बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिष्ठान में कुशल श्रमिकों की भर्ती के नाम पर फर्जी प्रमाण-पत्रों पर भर्ती की जा रही है और चोरी से ट्रेनिंग कराकर कुशल बनाकर भर्ती की जा रही है, जिसका प्रमाण माह जून, जुलाई 1984 में श्रम निरीक्षक ने अपनी जांच में अनेकों ऐसे लोगों को गैर कानूनी तरीके से काम करते पाया और उसकी रिपोर्ट विभाग को भेजा है ? यदि यह सही है तो इस मामले की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, फर्जी प्रमाण-पत्र की कोई सूचना तो प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन माननीय सदस्य यदि कोई सूचना देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री जो अपने उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जो फैसला लिया गया था, उसमें एक यह भी था कि जितने पुराने श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के लिए जाने के बराबर में पुराने श्रमिकों को नियमित कर दिया जाएगा, तो तब से ऐसे कितने लोगों को नियमित किया गया और कितने भर्ती किए गए ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

इससे पूर्व मैंने निवेदन किया था कि जितने भी इस बीच लिए गये, उतने ही नियमित कर दिये गये, लेकिन इसकी अलग से सूचना-संख्या तो नहीं है। फिर भी मैं इतना बता दूं कि इससे पहले केवल तीन जून को नई भर्ती हुई है, जिसमें 114 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए लिये गये जिसमें से 108 फैजाबाद जनपद के हो हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि पहली सूचना, जिसके अनुसार यह बताया गया कि जितने चयन किये जाते हैं, उतने ही पहले वाले नियमित कर दिये जाते हैं, वह सही समझेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

हमारे प्रश्न और उत्तर में यह मुख्य मुद्दा है। हर फैक्टरी में नये-नये मजदूर दैनिक वेतन भोगी, अप्रेन्टिस, अकुशल के नाम पर भर लिए जाते तो इसमें साफ लिखा हुआ है - इसके पृष्ठ दो में लिखा हुआ है कि भविष्य में कुल श्रमिकों के चयन में जितने श्रमिक लिए जायेंगे - चाहे वह अप्रेंटिस, चाहे वह दैनिक मजदूर हों - उतने ही संख्या में पुराने को नियमित कर दिया जाएगा, उतनी ही संख्या से उनको ले लिया जाएगा। चूंकि सही तरीके से ग्रेडेशन नहीं होता है, हर फैक्टरी में यदि सही रूप से ग्रेडेशन कर दिया जाय तो शायद यह स्थिति न आए। तो क्या माननीय उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस अवधि में आज तक जितने भी चयनित किये गये हैं किसी भी स्तर पर, उनकी संख्या क्या है और यदि संख्या नहीं है तो मैं समझता हूं कि प्रश्न करने की मंशा ही तिरोहित हो गई है। वैसी स्थिति में या तो आप उसको स्थगित कर दें या अपने कार्यालय में मंगाकर जानकारी दिला दें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मैंने जैसा निवेदन किया था, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को अध्यक्षता में निर्णय हुआ था, उसके अनुसार जितने नए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा उतने ही पुराने मजदूरों का नियमतीकरण किया जायेगा। 114 नये अभ्यर्थियों का चयन किया गया, इसमें यह निहित है कि इसमें उतनी ही संख्या में लोगों को नियमित किया गया है। यदि माननीय सदस्य अलग से कोई सूचना चाहते हैं तो मैं जानकारी कराकर अध्यक्ष जी को सूचित कर दूंगा।

(इस समय 11 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिद। पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

श्री शेर बहादुर सिंह--

मन्त्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन 114 में कितने लोकल हैं और कितने नान-लोकल हैं, क्योंकि आपके कथनानुसार 108 नए हैं तो क्या मन्त्री जी इन 108 का कुटुम्ब रजिस्टर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे, क्योंकि कुटुम्ब रजिस्टर को ही उस मीटिंग में मुख्य आधार माना गया था ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

108 अभ्यर्थियों का जो प्रश्न उठाया गया, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले ही निर्देश हो चुके हैं कि कुटुम्ब रजिस्टर को आधार माना जायगा उसके अनुसार और उसके बाद तहसीलदार के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया गया है। इसके पश्चात् यदि आप यह समझते हैं कि इसमें कोई खामी हुई है तो उसे हमें आप इंगित करेंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के लिपिकों की परीक्षा

*3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई, विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 5303/ई-4/4बी-2सी/82, दिनांक

16-8-83 द्वारा घोषित वरिष्ठ लिपिकों के परीक्षाफल के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि० वि० के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सामूहिक शिकायती-पत्र दिनांक 19-8-83, 22-8-83 तथा 24-8-83 पर जांच करते समय जांच अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या 3903(1)/1-76-23--सि०-1-50 (322)/76, दिनांक 25-7-76 का पालन न करने विषयक प्रकरण पर जांच के लिए श्री अमरेश चन्द्र बागची, तत्कालीन स्टाफ अधिकारी (नियोजन) को, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि० वि० के सम्बन्धित अधिष्ठान-4 अनुभाग को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

जी नहीं ।

श्री अमरेश चन्द्र बागची एवं श्री विनय कुमार, अधीक्षण अभियन्ताओं की एक समिति का गठन सामूहिक पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच करने हेतु किया गया था, न कि पूर्व में बनाई गई जांच समिति द्वारा शासनादेश संख्या 3903(1)/1-7-23-सि-1-50(322)/77, दिनांक 25-7-76 के पालन न करने विषयक प्रकरण पर जांच करने के लिए। कथित समिति की जांच आख्या प्राप्त हो गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सामूहिक शिकायती-पत्र में जो मुद्दे उठाये गये हैं वह क्या हैं तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या है । जिस शासनादेश का जिक्र किया गया है, 3903 (1)/1-70-23-सि०-1-50 322/76 का जो शासनादेश है उसका पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, जो अनियमितताओं के बारे में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है वह विशेष लम्बा है लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूं । "उपरोक्त विषयक प्रकरण पर हम सभी अधोहस्ताक्षरी की एक प्रार्थना-पत्र/शिकायती-पत्र आपकी सेवा में कुछ दिन पूर्व प्रेषित कर चुके हैं । हमारी जानकारी में कुछ और अनियमितताये आयी है, अतः निम्न प्रकार तथ्य प्रस्तुत करते हुए अनुरोध करना है :

"1--कि उपरोक्त वर्णित परीक्षा अनियमितता विषयक प्रकरण पर मात्र हम निम्न हस्ताक्षर कर्ताओं की ही कापियां (टंकण की) को जांच की जा रही है जबकि उत्तीर्ण सूची में उल्लिखित 27 अभ्यर्थियों की कापी नहीं जांची जा रही है । अतः अनुरोध है कि उक्त अभ्यर्थी फर्जी ढंग से टंकण किये हैं तथा उनमें से अधिकांश की टंकण गति बहुत ही अल्प है और एक व्यक्ति के तो हाथ ही खराब हैं अतः यह भी चेक करा लिया जाये कि उसकी कितनी गति टंकण में है । पुनः अनुरोध है कि उत्तीर्ण सूची के अभ्यर्थियों की टंकण कापियां मंगाकर नियमानुसार शिकायतकर्ताओं को अवसर देते हुए उनकी टंकण गति की जांच की जाये ।

2--जब तक उपरोक्त जांच प्रकरण पूरा नहीं हो जाता है तब तक वरिष्ठ लिपिक पद पर किसी की भी नियुक्ति न की जाय ।

3--अनियमितता में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को भी दंडित किया जाय ।

4--यह प्रमाणित होने पर कि उत्तीर्ण सूची के अभ्यर्थियों में से अधिकांश की वह गति प्राप्त नहीं है, जो परीक्षाफल में अंकित है, परीक्षाफल को निरस्त कर दिया जाये ।"

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, उत्तर अधूरा है। जितने शिकायती पत्र में बिन्दु थे उनको तो बता दिया लेकिन जांच आख्या, जांच रिपोर्ट क्या है माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया। जिस शासन देश का जिक्र किया गया है वह शासन देश क्या है और उसका पालन न किये जाने का क्या कारण है।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कहा गया है कि प्रारम्भिक जांच करने से यह पाया गया कि समस्त 15 परीक्षार्थियों को टंकण में पूर्ण 50 अंक भी प्राप्त हो जाते तो भी इनका चयन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में और विस्तृत जांच से कोई लाभ न होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने प्रश्न में शासनादेश का उल्लेख किया है और मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसको माना है, तो उसके अनुपालन न करने का क्या कारण है, उसका क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? आप इसका जवाब तो दिलवा ही दीजिये, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शासनादेश क्या है, इसे ही माननीय मंत्री जी बतला दें?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें यह है कि जो रिटेन में पास हो जायेंगे और जो टंकण में पास हो जायेंगे और जो सबसे ज्यादा नम्बर पायेंगे, जो मेरिट लिस्ट पहले की है, उसके अनुसार 21 आदमी ले लिये जायेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

बरेली में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को ऋण का आवंटन

*4—श्री जयदीप सिंह बरार—
(अनुपस्थित)

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित अधिकांश शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण नहीं दिया गया तथा अब बैंकों ने यह कहकर ऋण देने से मना कर दिया है कि उक्त योजना 31 मार्च, 1985 को समाप्त हो गयी है? क्या मन्त्री जी इन चयनित नवयुवकों को अविलम्ब ऋण दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1984-85 में जनपद बरेली में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित 1122 अभ्यर्थियों के विपरीत बैंकों द्वारा 31-3-1985 तक 680 अभ्यर्थियों को 89·99 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई और 460 लाभार्थियों को 55·14 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई। यह योजना 31-3-1985 के बाद चालू रखने से आदेश भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक योजना भारत सरकार द्वारा चालू न की जाए इसके अन्तर्गत ऋण दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर के मजदूरों की मजदूरी

*5—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद जिला सीतापुर में कार्यरत शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क मजदूरों को क्या मजदूरी दी जा रही है और चीनी उद्योग में नियोजित मजदूरों के

लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित है ?

श्रम मन्त्री (सैयद सईदुल हसन)—

दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कार्य करने वाले स्थायी श्रमिकों को, चीनी उद्योग के लिये गठित द्वितीय वेतन मन्डल की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठान का प्रारम्भ हुए अभी दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं अतः इसमें कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिये 558·25 रु0 एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिये 567·25 रु0 प्रतिमास वेतन निर्धारित है।

चूकि चीनी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतन मजदूरी अधिनियम लागू नहीं है, अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न देखने की माननीय मंत्री जी कृपा करें। मैं यह जानना चाहता था कि संदर्भित चीनी मिल में जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यस्क मजदूर हैं, उनको क्या मजदूरी मिलती है, इसमें अकुशल और अर्द्ध कुशल मजदूरों के लिए दे दिया गया है। क्या महमूदाबाद चीनी मिल में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उसमें कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कितने कर्मचारी हैं तथा दैनिक मजदूरी पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ?

सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, इसमें 328 मजदूर कुल काम कर रहे हैं। 82 मजदूर ऐसे हैं जो कि टेम्पोरेरी काम करते हैं, डेली वेजेज में, इनकी तादाद मिला कर कुल 328 मजदूर हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह संख्या कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल मजदूरों की आई, जो स्किल्ड लेबर हैं, जो डेली वेजेज में काम कर रहे हैं उन्हें डेली वेजेज में क्या मजदूरी दी जा रही है ? जो फैक्ट्री के नियम हैं, उनके अनुसार उनका ग्रेडेशन हुआ है, तो उनकी संख्या क्या-क्या है ?

सैयद सईदुल हसन—

जो इस मिल में कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, उनको 10 व 12 रुपया पर डे मिलता है, उन्हें 21 रुपया मिलना चाहिए। जांच के दौरान 102 व्यक्तियों के मामले पाये गये, जिसके संबंध में सेवा योजकों के खिलाफ वाद दायर कर दिया गया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस मिल में कितने कुशल और कितने अकुशल पद हैं। कितने डेलीवेजेज वाले या अकुशल श्रमिकों से कुशल पद का काम लिया जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, शुगर वेज बोर्ड के स्टैंडिंग आर्डर में कैजुअल लेबर की व्यवस्था नहीं है। वहां दो तरह के मजदूर होते हैं। एक परमानेन्ट और दूसरा सीजनल परमानेन्ट। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 80 मजदूर टेम्पोरेरी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका विनियमितीकरण करने का आदेश करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 82 मजदूर टेम्पोरेरी हैं, उनका विनियमितीकरण करने के आदेश देंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

हमने निर्देश दे दिए हैं।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त

*6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, उ0 प्र0, लखनऊ के कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 17-7-79 को विज्ञापन कराया गया था और 16 सितम्बर, 1980 को चयन भी हो गया था परन्तु किसी विशेष व्यक्ति का चयन न होने के कारण उक्त चयन निरस्त कर दिया गया और दोबारा बिना विज्ञापन के, विभाग के कुछ लोगों को बुलाकर विशेष व्यक्ति को चुन लिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त चयन में कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफी उर्रहमान अंसारी--

जी हां।

16 सितम्बर, 1980 के चयन में चयन समिति ने किसी को उपयुक्त नहीं पाया। शासन ने उक्त पद पर अनुभव सम्बन्धी अनिवार्य अर्हता का शिथिलीकरण करते हुए विभागीय कर्मचारियों में से पद भरने का निर्णय लिया जिसके फलस्वरूप दोबारा किए गए चयन में चयन समिति ने एक अभ्यर्थी की संस्तुति की जो तत्समय कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करके शासन ने नियुक्ति की।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, यह पक्षपात की परिणीति है। इस पर चयन हेतु विज्ञापन विज्ञापित हुआ, आवेदन पत्र आये और चयन किया गया। माननीय, चूंकि एक विशेष व्यक्ति का सेलेक्शन नहीं हो सका इस लिए उस चयन की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। उक्त चुनाव को शासन ने अपने स्तर से निरस्त करके, उक्त कार्यालय में काम करने वाले लोगों में से चयन किया गया। विभागीय चुनाव में कार्यालय अधीक्षक तक सम्मिलित हुए किन्तु उनका चयन न करके पक्षपातपूर्ण ढंग से एक कनिष्ठ लिपिक को चयनित किया गया। एक वर्ष के लिए चयन किया गया था किन्तु विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर उसकी सेवायें 10 महीने में ही समाप्त कर दी गई। विभागाध्यक्ष ने लिखा था कि उक्त व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

यह बात सही नहीं है कि उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है। चयन समिति ने योग्यता के आधार पर ही उसकी संस्तुति की है। कार्य करने सम्बन्धी जो योग्यतायें हैं, उसको मानकर की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं जो विभागाध्यक्ष ने लिखा है। पत्र संख्या है स्थापना--2-1310(1) दिनांक 1-6-1982 का यह पत्र है। विभागाध्यक्ष ने इसमें तमाम तथ्यों को लिखा है "ऐसा करने का कारण असहयोग के साथ कार्यालय प्रणाली की जानकारी न होना एवं पद की गरिमा को न समझना ही प्रतीत होता है। श्री यादव का अभिलेख देखने से शासन को आभास होगा कि यह उक्त पद पर बने रहने योग्य व्यक्ति नहीं है।" माननीय, दस महीने में उसको हटा दिया गया था। मैं एक पत्र और पढ़ दूं....।

श्री अधिष्ठाता--

आप पत्र न पढ़ें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, तथ्य को शासन ने छिपाया है उसको बताना चाहता हूं।

माननीय, श्री सत्य नारायण सिंह, सदस्य विधान परिषद् ने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था और उसके जवाब में दिनांक 18 फरवरी, 1982 को श्री सत्य नारायण

सिंह को श्री पी० सी० चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव ने पत्र द्वारा सूचित किया। पत्र का आखिरी पैरा मैं पढ़ रहा हूं। "मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पद पर एक वर्ष के लिए तदर्थ नियुक्ति की गई थी जिसकी अवधि दिनांक 2-1-1982 को समाप्त हो गई है। अब तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।" अब मान्यवर, इस प्रकरण में केवल एक विशेष व्यक्ति को उस पद पर बैठाने के लिए ऐसा किया गया। विभागाध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद पुनः उसी व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में ऐसे अयोग्य व्यक्ति की उक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति नहीं की जाएगी।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

इस पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को बहुत पहले लिखा गया, 1980 में लिखा जा चुका है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की सूचना नहीं मिली। बार-बार लोक सेवा आयोग को लिखा जा रहा है। जब तक लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी न मिल जाय, काम चलाने के लिए तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ती है। तदर्थ नियुक्ति के समय चयन समिति बनाई जाती है उसी के द्वारा नियुक्ति हुई है। अब इनकी नियुक्ति 85 में समाप्त हो रही है, अगर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी का नाम प्राप्त हो जाता है, तो ठीक है, अन्यथा तदर्थ नियुक्ति के समय माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

प्रदेश में बाढ़ एवं सूखा के निराकरण हेतु योजना

*7--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सूखे से प्रदेश में होने वाली करोड़ों रुपए की क्षति तथा लाखों प्रभावित परिवारों के निराकरण एवं राहत हेतु कोई दूरगामी, वृहद् योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति है?

श्री भोला शंकर मौर्य--

उत्तर प्रदेश का लगभग 73.4 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। जिसमें से 58.7 लाख हेक्टेयर को बचाया जा सकता है। अब तक 13.67 लाख हेक्टेयर के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य बन गये हैं। शेष 45.05 लाख हेक्टेयर की सुरक्षा के लिए जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा, कार्य किए जायेंगे। सप्तम पंच वर्षीय योजना में 164.5 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है जिससे लगभग 3.0 लाख हेक्टेयर भूमि की सुरक्षा होगी। सूखे से बचाव के लिए प्रदेश में विविध सतही जल एवं भूगर्भ जल से सिंचाई करने की परियोजनायें बनाई गई है।

श्री मित्र सेन--

माननीय, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया है, आप मेरे मूल प्रश्न को देखें। मैंने जानना चाहा था कि पूरे प्रदेश में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिये सरकार के पास कोई दूरगामी योजना है। इन्होंने उत्तर दिया अभी प्रदेश की 73.4 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है जिसमें से 58.7 लाख हेक्टेयर को बचाया जा सकता है। यानी प्रदेश की 15 लाख हेक्टेयर भूमि को बचाने का उपाय नहीं है। अब तक के 40 वर्ष में 1/4 भूमि को बाढ़ से बचाने का इन्तजाम किया जा सका। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी योजनायें हैं, जो बाढ़ से बचाने के लिये कार्य कर रही है और कौन-कौन सी दूरगामी योजनायें हैं?

श्री अधिष्ठाता--

आपका जो सवाल है उसी से सीमित रहते हुये, योजनायें बता दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि इन्होंने काफी लम्बा-चौड़ा भाषण दे किया। यह जो 294.4 लाख हेक्टेयर है इसमें सब हो गया है। यह जो अभी 73.4 हेक्टेयर जो बाढ से प्रभावित रहती है। मान्यवर, आप जानते हैं कि बाढ़ में कौन-कौन से एरिया आते हैं बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर आप बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं। इतने बड़े प्रदेश में इतना बड़ा काम है, इसके लिए मैंने योजना बनायी थी, काम करने के लिए मैंने मास्टर प्लान 36 जिलों का बना लिया है। मेरे बहुत से जिले बाढ़ से पीड़ित हैं और बहुत में वाटर लागिंग होता है। तमाम सड़कें बनती जा रही हैं, नहरें बनती जा रही हैं इसलिए वाटर लागिंग बढ़ता जा रहा है। कभी-कभी सूखा भी आता है। सूखे से निपटने के लिए गंगा, जमुना की नहरें बनायी गयी थी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मित्रसेन जी ने बड़ा लम्बा सवाल किया था इसलिए इनका जबाब भी वैसे ही है।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह—

इतने बड़े पूरे प्रदेश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए क्या हमारी योजनाएं हैं, इसको बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसके बारे में जो बात कर रहे हैं वह थोड़ी बहुत थोड़ें ही हैं। इसके लिए मैंने मास्टर प्लान बनाये हैं, जो हमारी नदियां हैं उसमें बांध बनाये गये हैं। जहां कटान होती है, उसका भी प्रबन्ध किया गया है। जैसे लखनऊ है, सीतापुर, जौनपुर है बुलन्दशहर है और बहुत से ऐसे शहर हैं जहां कटान होती हैं, उससे बचाने के लिए बांध बनते हैं। इस तरह से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। इसलिए मान्यवर, यह सवाल जो किया गया है इसके लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमारे पास धनाभाव के कारण हम इतनी बड़ी योजना को नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे पास जितना धन होता है, उतना काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि बजट पर चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है और बजट में माननीय सदस्य काफी रुचि लेना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि अपनी-अपनी समस्याओं को रखें। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सीमित सवाल और सीमित जवाब दिये जायं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 164 करोड़ 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इससे पूर्व की योजना में जो एक अरब 34 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को बाढ़ के लिए मिला था। तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 1 अरब 34 करोड़ रुपया का व्यय बाढ़ से बचाने के लिए छठवीं योजना के अन्तर्गत हो चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो योजना में प्राविधान किया गया था उतना पैसा नहीं मिला इसलिए इतना खर्च नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत और सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कानपुर और उन्नाव जनपद को सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए जो कार्य आवश्यक था, छठीं पंचवर्षीय योजना में नहीं हो पाया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन जिलों का गंगा की बाढ़ से बचाने का क्या प्राविधान किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह एक स्पेसिफिक सवाल है, जबकि क्विश्चन जनरल हुआ था। यह प्रश्न उन्नाव को बचाने के लिये है। यह बचाव कार्य हमारे पास जितने साधन होते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। जितने साधन होंगे, उतना बचाव किया जायेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष सूखे से उत्तर प्रदेश काफी ग्रस्त रहा, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने 26 जिले सूखाग्रस्त घोषित करने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि सूखे से बचाव के लिये केन्द्रीय सरकार से भी सहायता प्राप्त होती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि इस केन्द्रीय सरकार को जो सहायता प्राप्त होती है, सूखे या और विशेष कामों के लिये, बाढ़ को रोकने के लिये, उसका जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाना होता है, 2-3 महीने के अन्दर ही। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के द्वारा आपके उत्तर प्रदेश को कितनी राशि सूखे से बचाव के कार्यों के लिये मिली और उस राशि का आवंटन किस प्रकार से किया जायगा और उसका उपयोग कितने समय में कर लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

सवाल काफी फैला हुआ है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार से जो पैसा मिला उसका ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ के लिये भी पैसा मिला है। यह प्रश्न इस से सम्बन्धित है, माननीय मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। यह रुपया अभी आवंटित हुआ है, उसका जिलों में आवंटन करना है, फिर उसका इस्तेमाल सम्भवतः सितम्बर तक करना है, माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि बाढ़ से बचाव के लिए काफी बांध बने हैं। तो क्या सरकार की इस प्रकार की कोई योजना है कि बांध के पास इन नदियों, नालों, दरियाओं को गहरा किया जाय? यदि हां, तो वह क्या योजना है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है। बाढ़ से बचाव के लिये नदियों को गहरा करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नदियों में तमाम सिल्ट आती है पहाड़ों से और मैदानों में भर जाती है। एक साल सफाई भी करवा दें तो दूसरे साल फिर सिल्ट से भर जायगा। इसीलिये तटबन्ध बनाकर रखते हैं। इससे 15 लाख हेक्टेयर जमीन हम बचा पाए हैं। जहां बांध बन गये हैं, जो उस एरिया के रहने वाले हैं, वहां की पैदावार अच्छी हो जाती है और वे लोग खुशहाल हो गये हैं। इससे काफी फायदा हुआ है।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बाढ़ और सूखा तो दैवी प्रकोप है। इससे नुकसान तो होता ही है। आपने बड़े-बड़े जिले लखनऊ, कानपुर, जौनपुर आदि में बांध बनाए हैं लेकिन जो देहाती एरिया हैं, वे हमेशा बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं और वे दैवी प्रकोप से बच नहीं पाते हैं तो क्या वहां के किसानों के लिये लगान माफी की कोई योजना बनी है, या आधा लगान छूट की योजना बनी है? यदि नहीं बनी है तो क्या इसके लिये कार्यवाही करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जानते हैं कि अनुपूरक प्रश्न कितने होने चाहिये। एक

दिन में 20 सवाल से ज्यादा नहीं होते और आप सभी चाहते हैं कि आपके सभी के सवाल हो जांय ।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

मित्रसेन जी आप बैठें । मैंने माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई समयबद्ध योजना है कि कितने वर्षों में प्रदेश से बाढ़ की समस्या दूर हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हमारे पास योजना की कमी नहीं है, साधन की कमी है । एक हजार करोड़ रुपये चाहिये । पूरे 5 साल का जो प्राविजन किया गया है वह 164 करोड़ 5 लाख का किया गया है, जबकि चाहिये एक हजार करोड़ । जितना साधन होगा, उतना कार्य होगा ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी ऐसी नदियां हैं, जिनका पानी रोककर के, सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई के लिये उस पानी का उपयोग किया जा सकता है ? दूसरे, ऐसी कौन-कौन सी नदियां हैं, जिन नदियों में बाढ़ आती है, उनमें बंधा बांधकर के बाढ़ को आने से रोका जा सकता है ? इसके अलावा मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बाढ़ से मान्यवर, जब लोग ग्रसित होते हैं जो उनको आर्थिक सहायता देते हैं और जो क्षति होती है, उनको भी कम्पेनसेट किया जाता है, तो दोनों मिलाकर के कुल कितना धन व्यय होता है ? मेरा ख्याल है कि इसमें हम बहुत ज्यादा धन बरबाद कर देते हैं प्रतिवर्ष ।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह के व्यापक प्रश्नों से उत्तर में काफी समय लग जायेगा । कोई स्पेसिफिक सवाल पूछें ।

श्री मित्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से बाढ़ और सूखे के नाम पर प्रति वर्ष कितना पैसा मिलता है और इस वर्ष कितना मिला है और उसका आबंटन विभिन्न जिलों में कितना-कितना किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह भी बहुत व्यापक सवाल है । इस तरह के सवाल की मैं इजाजत नहीं देता ।

*8—श्री अवधेश प्रसाद—

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रजा टेक्सटाइल, रामपुर के मजदूरों का वेतन

*9—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल के मजदूरों के वेतन में पिछले 4 साल से कोई वृद्धि न होने और सरकार द्वारा दी गई बढ़ोत्तरियों को लागू न करने के सम्बन्ध में मिल मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि हर महीने इंडेक्स के नाम पर मजदूरों का पैसा काटा जाता है तथा बिजली न आने का बहाना लेकर सैकड़ों मजदूरों को प्रति दिन काम से रोका जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मेसर्स रजा टेक्सटाइल, रामपुर के मजदूरों के वेतन में पिछले 4 साल से कोई वृद्धि न होने के सम्बन्ध में सेवायोजकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि शासन द्वारा गत 4 वर्षों में इस प्रतिष्ठान के श्रमिकों के वेतन वृद्धि के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

सेवायोजकों द्वारा इन्डेक्स के नाम पर श्रमिकों का पैसा नहीं काटा जाता बल्कि मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध होने के कारण परिवर्तनीय महंगाई भत्तों में, मूल्य सूचकांक के चढ़ाव-उतार के अनुसार वृद्धि तथा कमी होती रहती है ।

बिजली न आने का बहाना लेकर किसी मजदूर को काम से नहीं रोका जाता, क्योंकि सेवायोजकों द्वारा ऐसे में डीजल जनरेटर का प्रयोग किया जाता है । अतः सेवायोजकों के खिलाफ किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, प्रश्न से सम्बन्धित जवाब नहीं आया । मुझे यह कहना है कि मोदी नगर में जय प्रकाश को जान से मार दिया मिल मालिक ने । मजदूरों के लिए वहां कोई सुविधा के नाम पर काम नहीं किया गया है । 4 साल पूर्व 47 रुपए बढ़ाये गये । अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या उनके वेतन में कोई बढ़ोत्तरी हुई है इस महंगाई को देखते हुए ? यदि हुई है प्रदेश के किसी भी कपड़ा मिल के लिए तो वह रामपुर के कपड़ा मिल पर क्यों लागू नहीं हुई ?

सैयद सईदुल हसन--

अधिष्ठाता महोदय, नवाबजादा साहिब श्री जुल्फीकार अली खां साहब ने यह बढ़ाया था, जो उसके आर्बिट्रेटर थे। वहां की जितनी यूनियन हैं, उनकी ओर से कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है अगर उनकी ओर से कोई बात कही जाती है तो रूल्स में जो बढ़ाया जा सकता है, उसे बढ़ाया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मेरा साफ प्रश्न था कि इन 4 वर्षों में प्रदेश के मिल मजदूरों के वेतन में कोई बढ़ोत्तरी हुई है कि नहीं । अगर हुई है तो रामपुर टेक्सटाइल को उससे अलग क्यों किया गया । माननीय मंत्री जी ने इसमें इन्डेक्स शब्द का इस्तेमाल किया है, जरा मंत्री जी इसका मतलब बता दें ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, इन्डेक्स का मतलब मंत्री जी को नहीं आता है, आजम खां साहब को आता है । इन्डेक्स के मायने यह हैं कि एक वर्ष को हम निर्धारित कर लेते हैं । जैसे हमने 1960 को स्टैन्डर्ड वर्ष माना, उसके बाद से हम हर महीने इन्डेक्स को चेक करते हैं । उसमें जब कोई घटत या बढ़त होती है तो उसी हिसाब से हम उनके महंगाई-भत्ते को और वेतन को बढ़ाते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय मंत्री जी जरा यह बता दें कि इन्डेक्स आता कहां से है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, यह कानपुर से आता है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

वाह मंत्री जी, इन्डेक्स कानपुर, इनके मुहल्ले से आता है । ऐसे मंत्री को आप निकालिये । पिछली बार मैंने यह कहा था कि टेक्सटाइल मिलों को 24 घंटे बिजली दी जाय । उनको बिजली दी जा रही थी, मगर 5 साल तक चिल्लाने का परिणाम यह हुआ कि उनकी बिजली में कुछ कटौती कर दी गयी और मिल मालिक को अत्यधिक मात्रा में कोयला व डीजल मिलने लगा । बिजली तो उतनी नहीं कटी, लेकिन बिजली में कटौती के नाम पर जो मजदूर निकाल दिये गये हैं, जिनका ब्योरा आफिस में है, क्या आप सदन में इस बात का एलान करेंगे कि अगर कोई ऐसा मजदूर जो बिजली न होने के नाम पर निकाला गया है, उसे पुनः वापस लेंगे ?

सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, जो मजदूर निकाले गये हैं कानूनी तरीके से और उनके केसेज भी

वहां चल रहे हैं, उनके साथ हम सही हिसाब करेंगे ।

(कुछ सदस्य खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे बैठ जायं । यह सदन के हित में भी है और आप लोगों के हित में भी है ।

आजमगढ़ के ताल रतोय की जल निकासी योजना

*10—श्री विष्णु देव—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ताल रतोय से जल निकासी की कोई योजना जनहित में शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सिचाई मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि ताल रतोय के जल जमाव से कुल कितने हजार एकड़ की फसल की बरबादी प्रति वर्ष होती है ? यदि हां, तो बरबादी को रोकने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है । ताल रतोय में गिरने वाली ड्रेनों की रिमाडलिंग का प्रस्ताव है । ताल रतोय का वर्तमान जल प्लावन क्षेत्र 5800 एकड़ है, जिसमें से लगभग आधे क्षेत्र में पानी रहने के कारण कुल लगभग 3100 एकड़ की फसल प्रभावित होती है । सर्वेक्षण एवं तकनीकी परीक्षण के पश्चात् परियोजना बनाने पर जो कार्य तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित होगा, उसे यथासमय कराया जाना संभव होगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या एवं बेकारी भत्ता दिये जाने की मांग

*11—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1971 व 1981 की जनगणना के समय तथा वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त में अलग-अलग बेरोजगार लोगों की संख्या क्या थी और क्या सरकार 'बेकारों को काम या बेकारी भत्ता' देने के उसूल पर चालू वित्तीय वर्ष में अमल करेगी ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन—

प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या दिसम्बर, 1970 में 4,32,468, दिसम्बर 1980 में 15,05,563 तथा वित्तीय वर्ष 1984-85 के अन्त में अर्थात् 31-3-85 को कुल 19,68,410 थी । उपरोक्त सूचना में 1971 की जनगणना के लिए दिसम्बर, 1970 तथा 1981 की जनगणना के लिए दिसम्बर, 1980 के अन्त के आंकड़े दिये गये हैं ।

जहां तक बेकारों को काम दिये जाने का प्रश्न है, सरकार इसके लिए सतत प्रयत्नशील रही है और अब भी है । प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत कराकर उन्हें बेरोजगार भत्ता दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवा-योजकता बढ़ाई जा रही है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेरोजगार एवं अर्द्ध-रोजगार को सीमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 इ0 पी0),

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० जी० ई० पी०), एकीकृत ग्राम्य विकास योजना (आई० आर० डी० पी०), शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ट्राईसम योजना, उद्योग विभाग द्वारा संचालित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग लगाने हेतु स्वतः रोजगार योजना, शहरी दुर्बल वर्गों के सहायतार्थ योजनायें एवं हरिजन विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना चलायी जा रही हैं। यह सब योजनायें रोजगार प्रदत्त योजनायें हैं और इनका उद्देश्य नये रोजगार के अवसर सृजित करना है।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयासों को ध्यान में रखे हुए बेकारी भत्ता दिये जाने की नयी योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं है।

उन्नाव, डलमऊ "बी' पम्प नहर योजना में भूमि का अधि-ग्रहण एवं मुआवजा

*12--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद में लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत डलमऊ "बी" योजना कार्यान्वित हो रही है ? यदि हां, तो इस योजनान्तर्गत कृषकों की कुल कितनी जमीन अधिगृहीत की गयी है और कितनी जमीन पर फसल बोने से रोका गया है ? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि अधिगृहीत की गयी कितनी भूमि का मुआवजा देना शेष है ? इसी प्रकार जिस भूमि पर फसल बोने से रोका गया है उसमें से कितनी भूमि का फसल का मुआवजा दिया जा चुका है और कितनी भूमि की फसल का मुआवजा देना शेष है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

डलमऊ "बी" पम्प नहर योजना उन्नाव जनपद में कार्यान्वित हो रही है। इस योजना में कृषकों की कुल 234.51 एकड़ भूमि (162.03 एकड़ अस्थायी व 72.48 एकड़ स्थायी) अधिगृहीत की गयी है और इसी जमीन पर फसल बोने से रोका गया है।

अधिगृहीत की गई 111.10 एकड़ अस्थायी भूमि का मुआवजा 95 कृषकों में वितरित किया जा चुका है तथा शेष अस्थायी 50.93 एकड़ भूमि का मुआवजा 50 कृषकों को वितरित करना अभी शेष है। इसके अतिरिक्त 72.48 एकड़ स्थायी भूमि का मुआवजा भी वितरित करना शेष है जिसे अध्याप्ति की प्रक्रिया के पूरी होने पर ही वितरित किया जायेगा।

चूंकि अधिगृहण के समय फसल नहीं बोई हुई थी और भविष्य में न बोने के लिए प्रचार द्वारा मनाही कर दी गई थी। अतः इसके उपरान्त भी जिन कृषकों ने अधिगृहीत की गई भूमि पर फसल बोई है उनको मुआवजे का भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खंड 2 के अधिशासी अभियन्ता श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता द्वारा संदिग्ध मस्टर रोल का भुगतान

*13--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेनेज खंड 2 बस्ती के अधिशासी अभियन्ता श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता ने माह मार्च, 1984 में 28 लाख रु० का संदिग्ध मस्टर रोल का भुगतान किया था जिसकी जांच हेतु जिलाधिकारी, बस्ती ने सम्बन्धित मस्टर रोल मांगे परन्तु अधिशासी अभियन्ता ने मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए ? यदि हां, तो क्या अब उन मस्टर रोलों पर जांच हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ड्रेनेज खंड 2 बस्ती के अधिशासी अभियन्ता श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता ने कुल 11,85,689.47 रुपये के अस्थायी अग्रदेय सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभिन्तओं के नाम खोले थे जिनमें से 7,88,576.06 रुपये का भुगतान मार्च, 1984 में हुआ था। अधिशासी अभियन्ता श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता ने मार्च, 1984 में किसी भी मस्टर रोल का स्वयं भुगतान नहीं किया। तथाकथित मस्टर रोल जिलाधिकारी, बस्ती की मांग पर उनके द्वारा अधिकृत परगना मजिस्ट्रेट खलीलाबाद को दिनांक 14-8-84 को कार्यस्थल पर सर्वश्री बी० पी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा बी० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता ने दिखला दिये थे। ये मस्टर रोल जिलाधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किये गये। इस मामले की जांच सिंचाई विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा करायी जा रही है।

*14--श्री काशी सिंह ऐरी--

[9वे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र, सरसौल, सचेडी चकरपुर के पावर टिलर उद्योग की बन्दी एवं श्रमिकों की बेकारी

*15--श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरसौल विधान सभा क्षेत्र में सचेडी चकरपुर में पावर टिलर बनाने का उद्योग के वर्ष 1983 से बन्द होने से 300 श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं? यदि हां, तो उसे भविष्य में चलाने की व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नगत इकाई दिनांक 1 जनवरी, 1984 से बन्द है परन्तु बन्दी के फलस्वरूप 300 श्रमिकों के भुखमरी के कगार पर पहुंचने की जानकारी शासन को नहीं है। इस कारखाने में केवल 183 श्रमिक नियोजित थे। बन्दी औपचारिक न होने तथा सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में की गयी श्रमिकों की बंठकी तथा छटनी का विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण (3), कानपुर के समक्ष विचाराधीन होने के कारण इकाई को भविष्य में चलाये जाने के बारे में अभी विचार नहीं किया गया है।

बस्ती, हथकरघा निगम के क्रय केन्द्र राजडीहा के बुनकरों से सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*16--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा विकास निगम का क्रय केन्द्र राजडीहा जनपद बस्ती के बुनकरों की कठिनाइयों के विषय में दो प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के साथ मन्त्री जी को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

दिनांक 21 मार्च, 1983 को बुनकर नेताओं की ओर से शिकायत-पत्र प्राप्त होने पर मामले की जांच की गयी। जांच के दौरान गोदाम को सील कर दिया गया था। जांच में उत्पादन सहायक निम्न स्तर के जोड़े क्रय करने के लिये उत्तरदायी पाये गये, जिन्हें निगम की सेवा से मुक्त कर दिया गया। मई, 1983 में गोदाम पुनः खोल दिया गया और जनता वस्त्रों के क्रय तथा भुगतान का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। राजडीहा में एक के स्थान पर दो उत्पादन केन्द्र

किये गये। गोरखपुर परियोजना से अलग कर खलीलाबाद में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। इस पूरी जांच में किसी भी बुनकर को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया में कुटीर उद्योगों की स्थापना

*17—श्री रणजीत सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सबसे पिछड़े, अधिक आबादी व गरीबी वाले जिला देवरिया के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यहां पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जनपद देवरिया में कुटीर उद्योग से सम्बन्धित किए गये कार्यों का ब्यौरा संलग्न है, जिसके देखने से स्पष्ट है कि देवरिया में उद्योग लगाये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149 पर)

कानपुर महानगर स्थित जे0 के0 ग्रुप औद्योगिक इकइयां, जे0 के0 रेयान जे0 के0 साटन आदि की बन्दी

*18—श्री राज किशोर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जे0 के0 ग्रुप की कानपुर महानगर में बन्द 4 औद्योगिक इकाइयों (जे0 के0 रेयान, जे0 के0 साटन, जे0 के0 इलेक्ट्रानिक्स, जे0 के0 मैन्यु-फैक्चरर्स कैलास मिल) में उनकी कुल कितनी पूंजी लगी है और उसमें सरकार के अंश का क्या अनुपात है ? क्या सरकार इन बन्द मिलों को चालू करने की कोई योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जे0 के0 ग्रुप की कानपुर महानगर में बन्द 4 औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है :—

ईकाई का नाम	कितनी पूंजी लगी है	सरकार के अंश का अनुपात
	लाख	
1—जे0 के रेयान	714 93	शून्य
2—जे0 के0 साटन	309.62	शून्य
3—जे0 के0 इलेक्ट्रानिक्स	211.00	शून्य
4—जे0 के0 मैन्युफैक्चर्स (कैलाश मिल)	119.21	शून्य

इन बन्द मिलों को चालू करने की कोई योजना सम्प्रति शासन के विचाराधीन है ।

शारदा सहायक, फीडर चैनल इन्दिरा नहर, बाराबंकी में कल्यानी नदी का साइफन

*19--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारदा सहायक फीडर चैनल (इन्दिरा नहर) पर ग्राम बड़ावा (तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी) के निकट निर्मित कल्यानी नदी के साइफन के अधिकांश दर निर्माण के समय से ही बन्द हैं और उनमें से पानी नहीं निकल पाता है और परिणामस्वरूप बरसात में नहर के पश्चिम के अनेकों गांव जल भराव से ग्रस्त हो जाते हैं और सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है ? क्या यह सही है कि इस साइफन को ठीक कराने हेतु कई बार ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन पर कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत साइफन की दरें निर्माण के समय से बन्द नहीं हैं और इसके कारण कोई जल भराव नहीं है, और न ही फसल नष्ट होती है ।

इस साइफन के रख-रखाव (सफाई पर) वर्ष 1979 में, वर्ष 1981 में तथा वर्ष 1983 में कार्य कराया गया ।

व्यय का विवरण वर्षवार निम्न है :--

	रु0
वर्ष 1979 में	24,352
वर्ष 1981 में	35,000
वर्ष 1983 म	4,850

मिर्जापुर, में कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित परिवारों को दी जाने वाली सुविधायें

*20—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना से कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं ? क्या सरकार कनहर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को भी टिहरी बाध परियोना के विस्थापितों की भांति सुविधाएं देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना में 1043 परिवार विस्थापित होंगे ।

जी नहीं ।

चूंकि कनहर के विस्थापितों की समस्यायें टिहरी के विस्थापितों की समस्याओं से भिन्न हैं तथा उनमें एकरूपता नहीं है अतः टिहरी के विस्थापितों की भांति उन्हें सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आगरा, फिरोजाबाद के चूड़ी एवं ग्लास इकाइयों को कोयले का आवंटन एवं फर्जी इकाइयां

1--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद शहर, जनपद आगरा में लगे पंजीकृत चूड़ी एवं ग्लास औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 1978-79 में प्रति औद्योगिक ग्लास यूनिट व चूड़ी यूनिट को तथा फिरोजाबाद शहर की कुल यूनिटों को कितने मैट्रिक टन कोयला दिया गया तथा वर्ष 1984-85 में प्रति यूनिट व कुल सभी यूनिटों को कितना कोयला दिया गया और कितने मैट्रिक टन कोयले का वास्तव में प्रयोग किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

आगरा जनपद के फिरोजाबाद नगर में लघु उद्योग में पंजीकृत कांच की चूड़ी एवं ग्लास निर्माण करने वाली कोयला प्राप्त करने के पात्र 197 इकाइयों को वर्ष 1978 में 16489 कोल वैगनों, का आवंटन किया गया था, इस वर्ष में इन इकाइयों को 8284 बैगन कोयला रेल द्वारा प्राप्त हुआ था। वर्ष 1979 में 208 इकाइयों को 20218 बैगन कोयले का आवंटन किया गया था। इस वर्ष इन इकाइयों को 3079 बैगन कोयला रेल द्वारा प्राप्त हुआ था। वर्ष 1984 में 244 इकाइयों को 18011 बैगन कोयले का आवंटन किया गया था। इस वर्ष में 7018 बैगन कोयला रेल द्वारा प्राप्त हुआ था। वर्ष 1985 में 248 इकाइयों को 19050 बैगन कोयले का आवंटन किया गया था। मार्च, 1985 तक इन इकाइयों को 1670 बैगन कोयला प्राप्त हुआ है। इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुये चालू नीति के अनुसार कोयला आवंटित किया जाता है। अतः प्रत्येक इकाई को अलग-अलग मात्रा में कोयला आवंटित होता है।

2--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या उद्योग मन्त्री फर्जी पंजीकृत औद्योगिक यूनिटों की मौके की जांच सदन के सदस्यों की एक समिति बनाकर कराने की कृपा करेंगे तथा जांच रिपोर्ट से फर्जी पाई गई औद्योगिक इकाइयों के कोयला लाइसेन्स निरस्त करने तथा इसमें संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इकाइयों की प्राप्त कोयले की सदुपयोगिता की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई जाती है तथा समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारी भी जांच करते रहते हैं तथा इन जांचों में पाई गई अनियमित इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

आगरा शहर के उद्योगों में लगाये गये शुद्धिकरण संयंत्र

3--श्री बदन सिंह--

क्या शासन को जानकारी है कि आगरा शहर में प्रायः सभी उद्योग समूह बिना प्लान्ट लगाए आगरा की जलवायु को दूषित कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन उद्योग समूह के मालिकों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही शासन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी नहीं। आगरा शहर के कुछ उद्योग बिना शुद्धीकरण संयंत्र लगाये कार्य कर रहे हैं : ऐसे उद्योगों के प्रति शासन द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है तथा ऐसे प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं, जिससे आगरा शहर की जलवायु दूषित न हो। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धाराओं के उल्लंघन के अभियोग में अभियोजनात्मक एवं अन्य कार्यवाही की गई है।

मथुरा, जनपद के ग्राम जाफरनगर व बिरौना के काश्तकारों के ड इवर्जन बनाने हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

4--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम जाफरनगर व बिरौना के काश्तकारों की 35 एकड़ भूमि फतेहपुर सीकरी राजबहा के मील नं0 10 फर्लांग 6 पर डाइवर्जन बनाने में सन् 1979 में बिना मुआवजा के नहर विभाग ने ले ली है ? यदि हां, तो उन काश्तकारों को सरकार कब तक मुआवजा दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद मथुरा के ग्राम जाफरनगर व बिरौना के कृषकों की 37.10 एकड़ भूमि फतेहपुर सीकरी शाखा के मील 10 फर्लांग 6 पर डाइवर्जन बनाने हेतु अस्थायी रूप से वर्ष 1980 में ले ली गई थी, जिसका मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा वितरित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त इस भूमि को स्थायी रूप से अर्जन करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रगति में है।

आगरा के ग्राम इम्लावद में नलकूप का छिद्रण

5—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ग्राम इम्लावद में राजकीय नलकूप सं0 10 का छिद्रण सन् 1981-82 में सफल हो गया था? यदि हां, तो इस राजकीय नलकूप को अभी तक चालू न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

राजकीय नलकूप सं0 10 किरावली का छिद्रण जनपद आगरा के इम्लावद ग्राम में वर्ष 1981-82 में ही पूर्ण हो गया था। कूप का विद्युतीकरण विद्युत् विभाग द्वारा विलम्ब से दिनांक 10-11-1984 को किया गया। अब यह कूप दिनांक 12-11-1984 से सिंचाई कर रहा है।

गोरखपुर जनपद के छपिया रजबाहा में विभुनपुरा खुर्द पर पुल निर्माण की मांग

6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 8-4-85 द्वारा गोरखपुर जिले में छपिया रजबाहा पर गांव बारटयारे एवं विभुनपुरा खुर्द के पास पुल बनाने की मांग की है? यदि हां, तो इन पुलों पर कुल कितना व्यय होगा और यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। इन पुलों की अनुमानित लागत 8 लाख रु0 है। छपिया रजबाहा एवं विभुनपुरा खुर्द पर प्रश्नगत गांवों के निकट पुल पहले से ही निर्मित है। अतः दोनों स्थलों पर पुल बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर के लिये सिंचाई व्यवस्था की मांग

7—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 1156 से 1183 तक के खेतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या तत्काल इन खेतों को सिंचाई पानी की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम रसूलपुर, विकासखंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के प्रश्नगत गाटा संख्या 1156 से 1183, राजबाहा सेन्दुरवा के कुलाबा संख्या 51 के कमांड में हैं और यह क्षेत्र एक प्राकृतिक नसेबी ड्रेन के दूसरी तरफ पड़ते हैं। इस ग्राम में चकबन्दी हो रही है, जिससे कृषकों की पुरानी गूलें अस्त-व्यस्त हो गई हैं तथा नई गूलों का निर्माण शारदा सहायक समादेश क्षेत्र द्वारा अभी नहीं किया जा सकता। चकबन्दी पूर्ण हो जाने के बाद समादेश की गूलें बन जाने एवं ड्रेन पर गूल कलवर्ट बन जाने पर गाटा संख्या 1156 से 1183 के सिंचाई की समस्या समाप्त हो जावेगी।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर की जल निकासी

8--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि ग्राम बाहरपुर, विकास खंड शुकुल बजार, जिला सुल्तानपुर में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो पानी के निकास हेतु ड्रेन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम की जल निकासी हेतु 0.90 कि0मी0 लम्बी एक ड्रेन प्रस्तावित है जिसमें हेड से 0.60 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य सम्पन्न हो चुका है। शेष कार्य ग्रामीणों के अवरोध, भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण सम्पन्न नहीं हो पाया है।

बुनकरों की समस्या के सम्बन्ध में कानपुर के हथकरघा निगम को दिया गया पत्र

9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा विकास निगम हैन्डलूम भवन, कानपुर को प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18 जून, 1984 को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बुनकरों की समस्यायें एवं उनके निराकरण हेतु 5 बिन्दु वर्णित करते हुए अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उठाए गए पांचों बिन्दुओं पर बुनकरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अब तक निगम द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गई हैं और यदि नहीं की गई हैं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मीरा टाकीज, हरदोई के मालिक के विरुद्ध श्री राजकुमार का शिकायती पत्र

10--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मीरा टाकीज, हरदोई के मालिक के विरुद्ध श्री राजकुमार, छोटे लाल आदि सहित 10 मजदूरों द्वारा बेगार कराये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को अप्रैल, 1981 में प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सैयद सईदुल हसन--

जी हां।

सेवायोजकों के विरुद्ध वेतन संदाय अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के सक्षम 7 श्रमिकों के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में निदेशवाद दायर हो गये हैं व शेष श्रमिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

फैजाबाद स्वतः रोजगार योजना सम्बन्धी शिकायती पत्र

11--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1985 को जिला उद्योग अधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ, जिसमें स्वतः रोजगार योजना से सम्बन्धित शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड सोहावल, व मसौधा में स्वतः रोजगार योजना हेतु अभ्यर्थियों का चयन

12--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास

क्षेत्र सोहावल और मसौधा में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन करके योजना से लाभ पहुंचाया गया ? यदि हां, तो वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, उनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा चयन का आधार क्या था ? क्या सरकारी कर्मचारियों को भी योजना में चयन करके उन्हें लाभ पहुंचाया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

जनपद फैजाबाद स्थित विकास खण्ड सोहावल में स्वतः रोजगार योजनतर्गत 1983-84 में प्राप्त 65 आवेदन-पत्रों म से 35 तथा वर्ष 1984 में 82 में से 27 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मसौधा विकास खण्ड में वर्ष 1983-84 हेतु प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों में से 36 तथा 84-85 में प्राप्त 165 प्रार्थना-पत्रों के विपरीत 61 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयन शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिया गया।

जो नहीं।

बाराबंकी जनपद के इब्राहिमाबाद माइनर की पटरी पर जल भराव

13--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत इब्राहिमाबाद माइनर के कुलाबा नं0 5 से नहर की पटरी पानी से भरी रहती है और आवागमन रुक जाता है ? यदि हां, तो उक्त कुलाबा की वर्षों से ठीक न कराने का क्या कारण है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी दरियाबाद शाखा, सिंचाई विभाग के पुलों के रैम्पस का निर्माण

14--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत दरियाबाद समानान्तर शाखा के पुलों के रेम्प का निर्माण विगत पांच वर्षों से नहीं हुआ है जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो पुलों के रेम्प न बनवाने के क्या कारण हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

विगत पांच वर्षों से इस नहर पर कोई पुल नहीं बनाया गया है अतः रेम्प बनाने का प्रश्न नहीं उठता। जो पुल पहले के निर्मित हैं उनके रेम्प पुलों के निर्माण के साथ ही बना दिये गये थे। रेम्पस पर दुर्घटनाओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

15--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी के ग्राम बुढ़ना में शारदा सहायक फीडर चैनल पर पुल निर्माण की मांग

16--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात हैं कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड निन्दूरा में शारदा सहायक फीडर चैनल के किनारे पश्चिम में बसे तीन हजार आबादी वाले ग्राम बुढ़ना की 90 प्रतिशत भूमि नहर के पश्चिम है तथा उस जमीन तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर रीवा सींवा पुल से तथा दक्षिण में पोखजी रेगूलेटर से होकर जाना पड़ता है जिसके कारण किसानों की फसल की जुताई-बुआई भी ठीक से नहीं हो पाती

है तथा फसल की सुरक्षा नहीं हो पाती है ? क्या सरकार बुढ़ना ग्राम के निकट नहर पर कदम पुलिया बनवाने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम बुढ़ना पोषक नहर के लगभग 117.350 कि0 मी0 पर स्थित है। इस ग्राम के ऊपर 116.00 कि0मी0 पर रीवां–सीवां पुल निर्मित है तथा 119.700 कि0 मी0 पर पोखरनी रेगुलेटर (बाराबंकी हेड) स्थित है। अतः इस वृहत नहर पर किसी कदम पुलिया बनाने का औचित्य नहीं है।

बाराबंकी शारदा सहायक पोषक नहर से ग्राम बुढ़ना, निगोहा, नहजीपुर, पहाड़पुर में जल भराव

17—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक फीडर चैनल के 118 किलोमीटर पर निर्मित कल्यानी स्केप के बारह दरों में से केवल सात दरों से ही पानी निकलता है और बाकी दर बेकार पड़े हैं, जिसके कारण कल्यानी नदी का पानी न निकल पाने से ग्राम बुढ़ना, निगोही, महजीपुर, भंडार, देवरा, पहाड़ापुर, जजियामऊ समेत बीसों गांव बरसात में जल भराव से ग्रस्त हो जाते हैं ? क्या सरकार कल्यानी नदी की व्यापक खुदाई तथा कल्यानी स्केप के दरों की शीघ्रतिशीघ्र व्यवस्था कराने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

शारदा सहायक पोषक नहर के 118.400 किलोमीटर पर निर्मित पश्चिमी कल्यानी साइफन के सभी 12 दरों से पानी निकलता है। ग्राम बुढ़ना, निगोहा, महजीपुर, भंडार, देवरा, पहाड़ापुर, जजियामऊ गांव बरसात में पश्चिमी कल्यानी साइफन के कारण जल भराव से पीड़ित नहीं होते हैं बल्कि साइफन के नीचे कल्यानी नदी की क्षमता अपर्याप्त है, जिसे बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट की आवश्यकता है।

मथुरा जिले के बेरोजगारों को दिया गया ऋण

18—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद में वर्ष 1984–85 में कितने बेरोजगारों को ऋण मन्जूर किए गए थे ? बैंक 31 मार्च, 1985 तक ऋण नहीं दे पाई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन ऋण प्राप्त न करने वाले बेरोजगारों को पुनः ऋण दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मथुरा जनपद में 1984–85 में 837 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु भेजे गये थे। बैंकों द्वारा 492 व्यक्तियों के प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये गये तथा 324 व्यक्तियों को ऋण का भुगतान किया गया। 31 मार्च, 1985 के बाद इस योजना को चालू रखने के आदेश भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण बैंकों द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है।

आगरा जिले के कतिपय नलकूपों द्वारा सिंचाई

19—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में नलकूप संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 कब से कार्यशील हैं और इनसे प्रति वर्ष कितनी भूमि को सिंचाई होती है, विशेषकर वर्ष 1983–84 व 1984–85 में इन नलकूपों से कितनी जमीन को सिंचाई की गई ? क्या नलकूपों से सिंचन क्षमता को और अधिक बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आगरा के निम्नलिखित नलकूप तत्सम्मुख अंकित तिथियों से कार्यशील हैं :—

नलकूप संख्या		दिनांक
कूप संख्या	8	28–10–79
,,	9	26–10–79
,,	10	26–10–89
,,	11	30–10–79
,,	12	14–12–82

उक्त नलकूपों के प्रति वर्ष सिंचाई के आंकड़े (एकड़ में) निम्नलिखित हैं :—

कूप सं0	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
8	60	83	22	9	23	38
9	37	24	80	80	57	59
10	48	81	60	29	45	36
11	19	38	10	11	20	8
12	..	..	..	21	14	41

जी हां, सिंचन क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा जिले के मिर्जापुर नाले का निर्माण

20—श्री विजय सिंह राणा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे आगरा जिले में मिर्जापुर नाले का निर्माण कार्य अभी तक पूरा किया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जिले में मिर्जापुर नाले का निर्माण कार्य मार्च, 1984 के अन्त तक पूरा किया जा चुका है ।

लखनऊ, सरोजनीनगर की कल्लन खेड़ा व लतीफनगर पम्प नहर

21—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, जिला लखनऊ में लिफ्ट परियोजना लागू है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितनी पम्प नहरें हैं ? उन पम्प नहरों में कितनी क्षमता के मोटर लगे हुए हैं ? उनमें से कितने निर्धारित मापदंड के अनुसार चल रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार बन्द पड़ी पम्प नहरों को शीघ्र ही चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

कल्लन खेड़ा व लतीफ नगर नामक दो पम्प नहरें हैं ।

कल्लन खेड़ा पम्प नहर पर 20 व 30 अश्व शक्ति के दो मोटर एवं लतीफनगर पम्प नहर पर 45-45 अश्व शक्ति के दो मोटर लगे हैं जिनमें कल्लन खेड़ा पर 30 अश्व शक्ति का तथा लतीफ नगर पर 45 अश्व शक्ति का एक-एक मोटर स्टैंड बाई है ।

दोनों पम्प नहरें अपनी निर्धारित क्षमता क्रमशः 2.5 क्यूसेक एवं 5.0 क्यूसेक पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिकप और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा संचालित औद्योगिक इकाइयां

22—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिकप और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा पिछले दो वर्षों से यानी 1983-84, 1984-85 मे जो उद्योग लगाये गये थे उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे हैं ? उनके न चलने का क्या कारण हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

पिकप और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा 1983-84, 1984-85 में कोई उद्योग नहीं लगाये गये हैं किन्तु पिकप द्वारा 1983-84 में 23 तथा 1984-85 में 17 उद्योगों में अंशपूंजी विनियोजन एवं वित्तपोषण किया गया है तथा यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा 1983-84 में 2 तथा 1984-85 में एक उद्योग में अंशपूंजी विनियोजन किया गया है । उक्त सभी औद्योगिक इकाइयां इस समय उत्पादनरत है ।

बलिया, सुरहाताल का नाला कटहर

23—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में कटहर नाला पर रेगुलेटर लगाकर सुरहा के आस-पास के लोगों को रबी की बुआई से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बलिया में कटहर नाला पर रेगुलेटर बनाकर सुरहाताल के आस-पास के क्षेत्रों को बुआई से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस रेगुलेटर से गंगा नदी के पानी को सुरहाताल में भरकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। अतः इसके लिए किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ए0 के0 पाठक, आबकारी निरीक्षक, हाथरस, अलीगढ़ से सम्बन्धित शिकायती पत्र

24--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोती लाल देहलवी तथा अन्य विधायकों का पत्र संख्या 1309, दिनांक 6-7-84 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में किन बातों का उल्लेख है और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

श्री मोतीलाल देहलवी तथा अन्य विधायकों का पत्र दिनांक 6-7-84 प्राप्त हुआ है, जिसकी संख्या 1311 है।

पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह बात सही पायी गयी कि श्री पाठक का परिवार इनके हाथरस की नियुक्ति काल में हापुड़ में रहता था। यह बात भी सही पायी गयी थी कि दिनांक 10-8-82 को श्री शिव कुमार नाम के आबकारी सिपाही की मृत्यु दुर्घटना में हो गयी थी, किन्तु इसमें श्री पाठक का कोई दोष नहीं पाया गया और न उनका निजी कार्य करते हुये सिपाही की मृत्यु हुई थी। अन्य शिकायतें सही नहीं पाई गयीं थी।

श्री ए0 के0 पाठक, आबकारी निरीक्षक को क्षेत्र-3, हाथरस (अलीगढ़) से हापुड़ को स्थानान्तरित नहीं किया गया है श्री पाठक का स्थानान्तरण क्षेत्र 3, हाथरस (अलीगढ़) से विजय फार्मेसी अलीगढ़ को किया गया है, जहां उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 151 पर)

श्री इफ्तिखार हुसैन रिजवी, ग्राम हल्लौर, बस्ती का सींचपाल पद हेतु प्रार्थना-पत्र

25--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 3794/ई-4-ख, दिनांक 21-7-1983 द्वारा क्या ऐसा कोई प्राविधान है कि सर्वप्रथम प्रशिक्षण प्राप्त सींचपालों को नियुक्ति सींचपाल के रिक्त स्थानों पर की जायगी ? क्या श्री इफ्तिखार हुसैन रिजवी पुत्र श्री शब्बीर हुसैन रिजवी ग्राम व डा0 हल्लौर जिला बस्ती ने भी अधीक्षण अभियन्ता अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल, फैजाबाद को वहां सींचपालों के रिक्त तीन स्थानों हेतु अपना प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्ति उक्त पद पर की गयी और यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी नियुक्ति कब तक की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री इफ्तिखार हुसैन रिजवी पुत्र श्री शब्बीर हुसैन रिजवी, ग्राम व डा0 हल्लौर, जिला बस्ती ने भी अधीक्षण अभियन्ता अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल, फैजाबाद को वहां सींचपालों के रिक्त तीन स्थानों हेतु अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था

किन्तु उनको नियुक्ति उक्त पद पर इसलिये नहीं की गई क्योंकि वे अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, फैजाबाद के अभ्यर्थी सींचपाल नहीं थे। श्री इफ्तिखार हुसैन रिजवी की नियुक्ति शारदा सहायक विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ इकाई में हो गयी है।

गोण्डा में मोहल्ला राधाकुण्ड, बड़ागांव व रफीनगर में मन्दिर एवं मस्जिद के निकट शराब की दुकानें

26--श्री फजलुल बारी--

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि मोहम्मद राधाकुण्ड, जनपद गोंडा में मन्दिर व इमामबाड़ा के पास एवं बड़गांव में मोहल्ला महरानीगंज में मन्दिर के पास एवं उतरौला के मोहल्ला रफीनगर में मस्जिद के पास शराब खाने खुले हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, जिसके सम्बन्ध में जनता ने उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

गोण्डा नगर में मोहल्ला राधाकुण्ड में स्थित शराब की दुकान के बगल में कोई भी मन्दिर व इमामबाड़ा नहीं है। मोहल्ला बड़गांव में पूरे घोसी नामक देशी शराब की दुकान गत तीस वर्षों से चल रही है जिसके सामने सड़क की दूसरी पटरी पर शराब विक्रेताओं द्वारा एक मन्दिर 10-12 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। उतरौला के मोहल्ला रफीनगर में शराब की दुकान गत 30 वर्षों से चल रही है उससे मस्जिद पर्याप्त दूरी पर है। उपरोक्त तीनों देशी शराब की दुकानों के कारण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगने का कोई कारण नहीं है। तीनों दुकानों के बारे में प्राप्त शिकायती-पत्रों पर जांच कराने पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

गोरखपुर में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

27--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत चयन में भारी पैमाने पर धांधली एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रश्नकर्ता ने गत विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत तथा गोरखपुर जिले के अन्य तमाम जन-प्रतिनिधियों ने किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसी प्रकार की एक शिकायत पंजीकृत-पत्र दिनांक 29-4-85 को पखावल बाजार (गोरखपुर) के श्री सुरेन्द्र सिंह ने भी दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं एवं उनके जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

स्वतः रोजगार योजना में धांधली के सम्बन्ध में विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत तथा कतिपय जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों पर संयुक्त उद्योग निदेशक से जांच कराई गई है।

जी हां।

शिकायत पंजाब नेशनल बैंक, पखावल शाखा द्वारा ऋण न दिये जाने के सम्बन्ध में है। जांच सहायक प्रबन्धक से कराई गई थी। सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने के कारण श्री सिंह को ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका।

बस्ती में कुवानों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत पुराने पम्प-हाउस की मरम्मत और शिकायती पत्र की जांच

28--श्रीमती गेंदा देवी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुवानों पम्प

नहर परियोजना के अन्तर्गत पुराना पम्प हाउस में लगी पम्पिग सेट की मरम्मत कार्य में वित्तीय वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक प्रत्येक वर्ष कितना व्यय हुआ तथा वित्तीय वर्ष 1984–85 में प्रत्येक माह में कितना व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत पुराने पम्प हाउस में लगे पम्पिग सेट की मरम्मत में वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक निम्नलिखित व्यय हुआ है :––

वर्ष	व्यय का विवरण
	रु0
1980–81	..
1981–82	49,400.00
1982–83	1,40,000.00
1983–84	2,16,050.00
1984–85	3,19,521.00

वर्ष 1984–85 के प्रत्येक माह में हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :––

माह	व्यय का विवरण
	रु0
अप्रैल, 1984	95,099.00
मई, 1984	31,000.00
जून, 1984	20,000.00
अगस्त, 1984	45,900.00
सितम्बर, 1984	30,604.00
अक्टूबर, 1984	37,900.00
जनवरी, 1985	9,000.00
फरवरी, 1985	4,000.00
मार्च, 1985	36,018.00
योग ..	3,19,521.00

29––श्रीमती गेंदा देवी––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुवानों पम्प नहर परियोजना से सम्बन्धित कार्यों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह अप्रैल, 1984 से जुलाई, 1984 के बीच भेजी गयी शिकायती–पत्रों की प्रारम्भिक जांच करने का कार्य विभाग के किस अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया है तथा जांच अभी पूर्ण हो गयी है ? यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये शिकायती पत्रों की गोपनीय छानबीन सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई जा रही है । साथ ही मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकरण की जांच प्रगति पर है ।

प्रतापगढ़ के ग्राम नरसिंहपुर व उधवापुर की जल निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण एवं पुल निर्माण की मांग

30––श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सराय सागर नरसिंहपुर तथा उधवापुर, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ बरसात के दिनों में चारों तरफ से पानी से घिर जाता है तथा ग्रामवासियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

ग्राम नरसिंहपुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में बरसात के दिनों में जो चारों तरफ से बरसात का पानी एकत्र हो जाता है उसके निकासी हेतु इस विभाग द्वारा ग्राम नरसिंहपुर से

सरसीखाम द्वितीय ड्रेन का निर्माण एन0 आर0 ई0 पी0 मद में इस वर्ष कराया गया है और ग्राम सराय सागर व उधवापुर का बरसाती पानी निकालने हेतु दरछुट ड्रेन का निर्माण इस वर्ष आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 मद में कराया गया है ।

31--श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम सराय सागर से होते हुए सिंचाई विभाग ने सरसी डीह ड्रेन का निर्माण कराया है और ग्राम सराय सागर नरसिंहपुर तथा उधवापुर के ग्रामवासियों के आवागमन के लिए उक्त ड्रेन में कोई पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन आगामी बरसात के पूर्व उक्त पुलिया का निर्माण करा देगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम सराय सागर के पास से दरछुट ड्रेन का निर्माण कराया गया है और नरसिंहपुर, उधवापुर के ग्रामवासियों के आवागमन के लिए सरसीखाम द्वितीय ड्रेन पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत है जिसके निर्माण की कार्यवाही जिलाधिकारी से धन प्राप्त होने पर संभव हो सकेगी ।

श्री के0 टमटा, उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

32--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 मई, 1985 का पत्र संख्या 1874 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन बातों का उल्लेख है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 1985 प्राप्त हुआ है, जिसकी संख्या 1873 है ।

पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

इसे आबकारी आयुक्त की जांच हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 153 पर ।)

33--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्व0 श्री एच0 के0 कौल, भूतपूर्व रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण

34--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजिस्ट्रार महोदय ट्रेड यूनियन्स श्री कौल अपने रिटायरमेंट के पूर्व जब अवकाश पर रहे उस अवधि में जिन ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण किया गया था, उन्हें अब तक पंजीकरण प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने का क्या कारण है ? प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

संयद सईदुल हसन--

श्री एच0 के0 कौल भुतपूर्व रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ0 प्र0 सेवा से रिटायर नहीं हुए बल्कि सेवाकाल में ही दिनांक 20 जुलाई, 1982 को उनकी मृत्यु हो गयी । उनके कार्यकाल की अवधि में जितनी यूनियनों का पंजीकरण हुआ था उन सभी के प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं ।

35--श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नलकूप खंड, बदायूं के लिपिक के स्थानान्तरण सम्बन्धी निदेश

36--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मंडल बरेली के अन्तर्गत नलकूप खंड व द्वितीय बदायूं में ऐसे कितने लिपिकगण कार्यरत हैं जिन्हें एक ही खंड मे दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है और उन्हें खंड के बाहर अन्य खंड में स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड, प्रथम व द्वितीय बदायूं में एक लिपिक ऐसे हैं जिन्हें एक ही खंड में दस वर्ष से अधिक का समय हो गया है । उक्त लिपिक का स्थानान्तरण करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल बरेली को निर्देश दे दिए गए हैं ।

नलकूप मन्डल, बरेली के अधीनस्थ लिपिकों का कार्यकाल

37--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल बरेली के अधीनस्थ खण्ड में ऐसे कितने लिपिकगण कार्यरत हैं जिनकी एक ही मण्डल में 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि हो गई है और उन्हें बरेली मण्डल से बाहर अन्य मण्डल में स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कोई नियम है कि लिपिकगण एक ही मण्डल में 15 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक कार्यरत नहीं रह सकता ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप मण्डल बरेली के अधीनस्थ खण्डों में ऐसे 31 लिपिकगण कार्यरत हैं जिनको उसी मण्डल में कार्य करते हुए 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि हो गई है तथा उन्हें उक्त मण्डल से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को एक मण्डल से दूसरे मण्डल को स्थानान्तरित करना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि कोई प्रशासनिक आधार न हो ।

ऐसा कोई आदेश नहीं है कि लिपिकगण एक ही मण्डल में 15 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक कार्यरत नहीं रह सकते हैं ।

बाढ़ खण्ड, फैजाबाद, उप खण्ड छावनी, बस्ती की आडिट आपत्तियां

38--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ खण्ड फैजाबाद तथा उप खण्ड छावनी जिला बस्ती में गत तीन वर्षों में आडिट हुआ ? यदि हां, तो आडिटों में क्या-क्या त्रुटियां पाई गयीं ? कितने धन की अनियमितता हुई तथा उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में बाढ़ खण्ड फैजाबाद एवं छावनी उप खण्ड जिला बस्ती का आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश के द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा सम्पादित किया गया वर्ष 84-85 में छावनी उपखण्ड का आंशिक आडिट हुआ ।

वर्ष 82-83 तथा 83-84 के लेखा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित आपत्तियां अनियमितताओं एवं उस पर विभाग द्वारा दिया गया उत्तर साथ में संलग्न है । वर्ष 84-85 का लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अभी महालेखाकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154 पर ।)

बुलन्दशहर में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

39--श्री किरनपाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 84-85 में जनपद बुलन्दशहर की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनेकों धनवानों को जिला उद्योग अधिकारी द्वारा सहायता स्वरूप ऋण आवंटन किया गया ? क्या यह भी सही है कि स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी रोजगार नहीं चलाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि बुलन्दशहर के जिम्मेदार अधिकारियों ने ऋण आवंटन के समय भारी मात्रा में कमीशन भी लिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

किसी विशिष्ट शिकायत के प्राप्त होने पर जांच कराने की व्यवस्था है ।

बुलन्दशहर के ग्राम मुढ़ी बकापुर तथा गंगाहारी के बीच पुल निर्माण की मांग

40--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड लखावटी ग्राम मूढ़ी बकापुर तथा गंगाहारी के बीच में ड्रेनेज विभाग से एक पुल का निर्माण कराये जाने हेतु सन् 1981-82, 82-83 में जिला योजना समिति की बैठक में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो आज तक उक्त स्थान पर पुल का निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खंड लखावटी में ग्राम मुड़ढी बकापुर तथा गंगाहारी के बीच में ड्रेनेज विभाग से एक पुल का निर्माण कराये जाने हेतु सन् 1981-82, 82-83 में जिला योजना समिति की बैठक में कोई स्वीकृति नहीं दी गयी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रासवेयर निगम वाराणसी के लेखाधिकारी, श्री संकठा प्रसाद सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

41--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि ब्रासवेयर निगम मुरादाबाद (शाखा) वाराणसी में नियुक्त लेखाधिकारी के उत्पीड़न के सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 1472 दिनांक 1-8-84 दिनांक 2-8-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्रश्नकर्त्ता के सन्दर्भित पत्र में श्री संकठा प्रसाद सिंह, लेखाधिकारी की पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी कुछ तथा कथित शिकायतों का उल्लेख है, जिन पर निगम प्रशासन द्वारा विचार कर लिया गया है एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

आबकारी विभाग को धनराशि का आवंटन तथा व्यपगत धनराशि

42--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85

में आबकारी विभाग की किस-किस मद म कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गयी ? व्ययगत होने के कारण क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

वर्ष 1984-85 में आबकारी विभाग को आवंटित धनराशि तथा व्ययगत धनराशि का मदवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

व्ययगत होने का कारण यह है कि वर्ष 1984-85 में "239--राज्य आबकारी" शीर्षक के अन्तर्गत कुल आवंटित 2,96,47,000 रु0 की धनराशि में से 73,86,000 रु0 की धनराशि अनुपूरक अनुदान द्वारा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के बाद ही 26 मार्च, 1985 को वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त हो सकी । प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इसे आवंटित करने तथा वास्तविक व्यय करने में समय लगना अपरिहार्य था जबकि 30/31 मार्च को अवकाश भी था । फलस्वरूप 29 मार्च तक केवल 1,23,942 रु0 की धनराशि व्ययगत हुई ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 156 पर ।)

श्रम विभाग को धनराशि का आवंटन एवं व्ययगत धनराशि

43--श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में श्रम विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गयी ? व्ययगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सैयद सईदुल हसन--

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लेखा (प्रथम) इलाहाबाद के कार्यालय में वर्ष 1984-85 के व्यय के आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । मार्च, 1985 तक के व्यय के आंकड़ों का समाधान भी अभी नहीं हो पाया है । अतः अभी सही स्थिति बताना सम्भव नहीं है ।

उद्योग विभाग को धनराशि का आवंटन एवं व्ययगत धनराशि

44--श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में उद्योग विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त म किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्ययगत हो गयी और व्ययगत होने के कारण क्या हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वर्ष 1984-85 में उद्योग विभाग को सम्बन्धित मदों में आय-व्ययक के अनुसार आवंटित तथा व्यपगत धनराशियों के विवरण निम्नवत् है :--

मद	धनराशि (लाख रुपयों में)	व्यपगत (लाख रुपये में)
खानें तथा खनिज	533.00	..
ग्राम एवं लघु उद्योग	6,444.05	398.17
भारी एवं मध्यम उद्योग	9,388.35	607.38
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1,390.78	8.70

उपर्युक्त धनराशियों के व्यपगत होने के कारण ऋणों के पिछले अवशेष तथा ऋणों की शर्तों को पूरा न करना, पदों का रिक्त रहना, पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोग न होना, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की धनराशि उनके द्वारा अवमुक्त न किया जाना तथा उद्यमकर्ताओं से आवेदन-पत्र न प्राप्त होना आदि थे। चूंकि प्राविधानित धनराशि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय करने के उपरान्त उपर्युक्त धनराशि व्यपगत हुई, अतः सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल सहकारी कताई मिल, बहादुरगंज, गाजीपुर में श्री राम निवास की नियुक्ति

45--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सही है कि पूर्वांचल सहकारी सूत कताई मिल्स, बढ़ौरा, जनपद गाजीपुर के एक मजदूर विक्रमा पुत्र स्वरूप को मृत घोषित करके उसके स्थान पर राम निवास पुत्र जीउत को वारिस करार देकर मिल्स में नियुक्त कर दिया गया है जबकि विक्रमा पुत्र स्वरूप जाति का नाई है और उसका तथाकथित वारिस राम निवास पुत्र जीउत जाति का यादव है ? यदि हां, तो ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

पूर्वांचल सहकारी कताई मिल्स लि0, बहादुरगंज (ग्राम बढौरा) जनपद गाजीपुर में विक्रमा पुत्र स्वरूप नामक कोई श्रमिक कार्यरत नहीं था, अतः उसको मृत घोषित करने का सवाल नहीं उठता। जहां तक रामनिवास पुत्र जीउत की नियुक्ति का प्रश्न है उसे विक्रमा पुत्र स्वरूप की बयान हलफी, दिनांक 16 मई, 1984 तथा तहसीलदार मुहमदाबाद के प्रमाण पत्र, दिनांक 12 जून, 1984 के आधार पर ऐसे कृषक जिसकी भूमि मिल हेतु अधिगृहीत की गयी है, के आश्रित के रूप में प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मामले में तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित शिकायत की जांच जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा करायी जा रही है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। अतः अभी किसी अधिकारी

के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं का समयबद्ध वेतनमान

46 —श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं को समयबद्ध (टाइम स्केल) वेतन-मान देने का प्राविधान हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान दिया गया तथा 1 मई, 1985 को कुल कितने लोगों को देना शेष है ? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं के समयबद्ध वेतन को फिक्स करने में तीन-तीन वर्षों का समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाराबंकी में यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 के अन्तर्गत निर्मित शेडों का किराया

47—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 द्वारा वर्ष 1976-77 में रासायनिक काम्पलेक्स हेतु बाराबंकी में निर्मित चौदह शेड खाद व गेहूं रखने हेतु किराए पर उठा दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उद्यमी इन्हें खरीदने पर तैयार नहीं है ? क्या सरकार इन्हें मासिक किराए पर उद्यमियों को देने पर विचार करेगी ताकि जनपद के उद्योगीकरण के साथ-साथ जनपद के बेरोजगार लोगों को काम मिल सके ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

ये शेड्स वर्षों से खाली पड़े रहने के कारण इनके रख-रखाव एवं राजस्व की हानि तथा स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की सम्भावनायें प्रबल हो रही थीं । वर्ष 1983 में उ0 प्र0 राज्य भंडारागार निगम ने किराये पर लेने का आग्रह किया । व्यर्थ में पड़े खाली शेडों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय लोगों के अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से तथा राजस्व की हानि को बचाने के उद्देश्य से इन रिक्त पड़े 14 शेडों को उ0 प्र0 राज्य भंडारागार निगम को किराये पर अल्प अवधि के लिये अस्थाई रूप से दे दिए गये ।

चालू वर्ष में कुछ उद्यमियों नें शेड लेने हेतु रुचि दिखाई है । उ0 प्र0 भंडारागार निगम से चार शेड खाली कराकर सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बाराबंकी के माध्यम से 4 उद्यमियों को आवंटित किए जा चुके हैं ।

इन शेडों का आवंटन किराया क्रय पद्धति (हायर परचेज) पर किया गया है । किराये पर देने से बाद में बेदखली आदि की समस्या होगी :

चूंकि भविष्य में इन शेडों के उद्यमियों को हायर परचेज के अंतर्गत आबंटित होने की संभावना है, इन्हें किराये पर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अमरोहा नगर के बीड़ी मजदूरों के लिये अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव

48—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त 1984 में तत्कालीन श्रम मन्त्री ने अमरोहा नगर में बीड़ी मजदूरों के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपए की लागत से एक अस्पताल बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संयद सईदुल हसन--

भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित बोड़ी श्रमिकों की राज्य सलाहकार समिति ने गुरसहायगंज तथा अमरोहा में अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को मान लिया था ।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार द्वारा ही की जानी है । प्राप्त सूचना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में केवल गुरसहायगंज के सम्बन्ध में ही भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की मांग

49--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संयद सईदुल हसन--

जी हां । बीड़ी मजदूरों की मजदूरी दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर विचार हेतु एक त्रिदलीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है ।

त्रिदलीय समिति के गठन के सम्बन्ध में औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद में सिंचाई विभाग के मौरा स्थित राजबाहे की सफाई

50--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में राजबाहा मौसरा के प्रारम्भ के लगभग 7 किलोमीटर क्षेत्र में एक मीटर से अधिक ऊंची बालू की सिल्ट जमा है जिसके कारण उक्त नहर के किनारे की फसलों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो उक्त राजबाहा की सफाई कब से नहीं कराई गयी ? क्या मन्त्री जी दोषी लोगों को दंडित करके किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । एक मीटर से अधिक ऊंची सिल्ट जमा नहीं है तथा इस नहर के किनारे की फसलों को पानी मिल रहा है ।

अंतिम बार सिल्ट सफाई हेड से 1·00 कि0 मी0 तथा कुछ अन्य जगहों पर माह नवम्बर, 1984 में कराई गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पानी उपलब्ध है ।

प्रदेश की चीनी मिलों के मजदूरों के वारिसों की नियुक्ति

51--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों के वारिसों के भर्ती के सम्बन्ध में श्रम अनुभाग-2 से एक राजाज्ञा संख्या 3158 (एच0 आई0)/36-2-90 (11) (एच0 आई0) 79, जुलाई 15, 1982 निर्गत हुआ है, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश रा0 चीनी निगम के अन्तर्गत कार्यरत चीनी मिलें नहीं करा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त राजाज्ञा का परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु चीनी निगम को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सैयद सईदुल हसन--

चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों के वारिसों को भर्ती के सम्बन्ध में शासन द्वारा अधिसूचना सं0 2153 (एच0 आई)/36-2-101 (11) (एच0 आई0) -79, दिनांक 15 जुलाई, 1982 जारी की गई है जिनका अनुपालन उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत कार्यरत इकाइयों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रजनीकान्त, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, बहराइच की लापरवाही से कार एवं निषिद्ध मान-चित्र की चोरी

52--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 के 'जांच अनुभाग' के इंचार्ज श्री रजनी कान्त जिस समय अधिशासी अभियन्ता थे, उस समय उनके अधीनस्थ जांच अनुभाग में उनके विरुद्ध ऐसा प्रकरण विचाराधीन था जिसमें कि उनके द्वारा एक अम्बेस्डर कार सहित दो टाइपराइटर एवं सर्वे आफ इंडिया के प्रतिबन्धित मानचित्र गायब किए जाने के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग द्वारा जांचोपरान्त इस आशय की जांच आख्या शासन को प्रस्तुत की गयी थी कि कार के गायब होने में श्री रजनीकान्त अभियन्ता की लापरवाही सिद्ध पाई गयी ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की उक्त महत्वपूर्ण अनुभाग में क्यों पद स्थापित रखा गया तथा वर्ष 1983 में उक्त अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि शासन द्वारा किए जाने पर भी उसकी पदोन्नति अधीक्षण अभियन्ता पद पर वह भी कार्यकारी मण्डल में क्यों की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री रजनीकान्त, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, बहराइच माह अगस्त, 1979 के प्रथम सप्ताह में 51 निषिद्ध नक्शों के साथ स्टाफ कार से राजकीय कार्य हेतु लखनऊ आये थे।

दिनांक 7/8 अगस्त की रात में उक्त कार जिसमें 51 निषिद्ध मानचित्र भी थे, चोरी चली गई इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गयी। जांच के फलस्वरूप श्री रजनीकन्त की कार तथा महत्वपूर्ण नक्शों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिये शासनादेश संख्या-2726/82-23-सि-10-561/79, दिनांक 4-8-82 द्वारा वर्ष 1982-83 के लिये भर्त्सनात्मक चरित्र पंजिका प्रविष्टि दी गयी। तत्पश्चात् उनके प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उक्त प्रविष्टि को निरस्त कर मात्र साधारण चेतावनी दी गयी। माह जून, 1983 में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर तदर्थ प्रोन्नतियों हेतु किये गये चयन में तुलनात्मक श्रेष्ठता के आधार पर श्री रजनीकान्त को प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया। उनके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं पायी गयी, जो उनकी पदस्थापना जांच अनुभाग अथवा कार्यकारी मण्डल में किये जाने में बाधक हो।

सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान अनुभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं उनकी सम्पत्ति की जांच की मांग

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों में इस समय कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको अधिष्ठान अनुभागों में कार्य करने

को कुल अवधि 10 से 20 वर्ष के मध्य है ? क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को पदस्थापना अनुसन्धान नियोजन संगठन अथवा ऐसे ही समकक्ष अनुभागों में करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों में इस समय तृतीय श्रेणी के 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी अधिष्ठान अनुभागों में कार्य करने की कुल अवधि 10 से 20 वर्ष के मध्य है। ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 3 है तृतीय श्रेणी के उक्त 7 कर्मचारियों को अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित करने का प्रकरण विचाराधीन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पद-स्थापना अनुसंधान एवं नियोजन संगठन अथवा ऐसे ही समकक्ष अनुभागों में कर दी गई है।

54--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 के अधिष्ठान 1/2/3 अनुभाग में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनका अधिष्ठान अनुभागों का कुल सेवाकाल 10 से 22 वर्ष के मध्य है ? क्या इन कर्मचारियों के पास उपलब्ध चल/अचल सम्पत्ति की जांच सतर्कता अधिष्ठान अथवा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत किन्हीं दो पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की समिति के माध्यम से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग लखनऊ के अधिष्ठान-1/2/3 अनुभागों में कार्यरत ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 9 हैं।

इन कर्मचारियों की चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्ट आरोपों/शिकायतों के अभाव में सामान्य रूप से कथित प्रकार की कोई जांच कराना उचित नहीं है।

कस्बा रुदौली, बाराबंकी के अल्प संख्यक उद्यमियों को लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रदान की गयी सुविधाएं

55--श्री मित्रसेन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी अल्प संख्यक उद्यमियों एवं कुशल कारीगरों की बहुत बड़ी बस्ती है और कई प्रकार के कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास की सम्भावनाएं एवं वातावरण होने के बावजूद भी कोई उद्योग नहीं लग पाया है और हजारों परिवार बेरोजगार और बेसहारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई सर्वेक्षण कराकर सम्भावित उद्योगों को लगाने में प्राथमिकता के आधार पर रुचि लेगी और सैकड़ों परिवारों के हजारों बरोजगार लोगों को रोजी-रोटी मुहैया कराने पर विचार करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रदेश में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु अनेक योजनायें शासन द्वारा चलाई जा रही हैं। वर्तमान में ऐसी योजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनसे बेरोजगारी दूर हो। ऐसी योजनाओं में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार योजना तथा शहरी क्षेत्रों की दुर्बल वर्ग योजना सम्मिलित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से छोटे-छोटे उद्यमियों एवं कुशल कारीगरों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा रहा है ताकि वे अपना रोजगार आरम्भ कर सकें। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में दुर्बल वर्ग योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से बाराबंकी जनपद, कस्बा रुदौली में अल्प संख्यक उद्यमियों एवं कुशल कारीगरों को कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने में सहायता दी जा रही है।

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को उद्योगों में प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायत देकर उनका विकास करना है। इस निगम के माध्यम से भी अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिल सकेगी।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर के वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन दिये जाने की मांग

56--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में बेसहारा बूढ़ों तथा औरतों तथा विकलांगों की कितनी संख्या है तथा उनको आज तक पेन्शन एवं सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

सैयद सईदुल हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रम विभाग की श्रम सेवा नियमावली में संशोधन सम्बन्धी-पत्र

57--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 94 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्ताव का परीक्षण पूरा हो गया है ? यदि हां, तो शासन का अन्तिम निश्चय क्या है ? परीक्षण पूरा न होने की दिशा में विलम्ब का क्या कारण है ?

सैयद सईदुल हसन--

अभी अन्तिम निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है। इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है।

श्रम विभाग के मानचित्रकारों का सेलेक्शन ग्रेड एवं समय-बद्ध वेतन मान

58--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र (1984) के पांचवें मंगलवार को उत्तरित प्रश्न संख्या-93 के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त विषय पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त हो गया है ? परीक्षण पूरा न होने की दिशा में विलम्ब का क्या कारण है ?

सैयद सईदुल हसन--

वित्त विभाग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा रहा है।

59--श्री कल्याण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मुख्य अभियन्ता, शारदा नहर के अन्तर्गत नहरों की सफाई

60--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता शारदा नहर के अधीनस्थ नहर खंडों में खंड अनुसार प्रत्येक खंड में वर्ष 84-85 में नहरों की सफाई की कितनी-कितनी धनराशि ठेकेदारों को देय है ? क्या मन्त्री जी तुरन्त उक्त धनराशि का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जून, 1985 के अन्त तक वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित नहरों की

सफाई हेतु ठेकेदारों को खंडवार निम्न धनराशि देय है :

खंड का नाम	धनराशि लाख रुपयों में
1—शाहजहांपुर खंड शारदा नहर, शाहजहांपुर	0.42
2—लखनऊ खंड–2 शारदा नहर, लखनऊ	2.42
3—हरदोई खंड शारदा नहर, हरदोई	2.23
योग ..	5.07

अवशेष देय धनराशि के भुगतान की व्यवस्था शीघ्र कराई जायेगी ।

मुनि की रेती, ऋषिकेश में मेसर्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि0, कोटा द्वारा कारखाने की कथित स्थापना

61—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुनि की रेती (ऋषिकेश) में कोटा इंस्ट्रूमेन्टेशन का प्रस्तावित विशाल कारखाना अब इसलिए नहीं लग पा रहा है कि सरकार उक्त उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ रही ? यदि हां, तो प्रदेश के औद्योगीकरण को उक्त क्षति पहुंचाने के लिए कौन उत्तर-दायी है तथा सरकार उक्त उद्योग को स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

भारत सरकार के प्रतिष्ठान मेसर्स इंस्ट्रूमेन्टेशन लि0, कोटा ने लगभग ढाई वर्ष पूर्व अपनी एक अतिरिक्त इकाई लगाने का प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सम्मुख रखा था । शासन के प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने यह इकाई उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की थी और इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के अनेक स्थलों को चयन हेतु देखा था और प्रस्तावित इकाई के लिये मुनि की रेती में भूमि को उपयुक्त पाया था । शासन ने उनके अनुरोध पर चयनित भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी परन्तु इसी बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा इन्स्ट्रूमेन्टेशन द्वारा एक अतिरिक्त इकाई लगाने का इरादा छोड़ दिये जाने के कारण प्रस्तावित कारखाना स्थापित नहीं हो सका ।

गोण्डा में चित्तौड़गढ़ बांध जलाशय परियोजना का निर्माण

62—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन चित्तौड़-गढ़ बांध जलाशय परियोजना पर कितने वर्षों से काम चल रहा है ? इस परि-योजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित बजट कितना था और अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है और कार्य पूरा होने तक इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चित्तौड़गढ़ बांध जलाशय परियोजना का कार्य वर्ष 1961 में आरम्भ किया गया था, परन्तु बाद में 1962 में धनाभाव के कारण बन्द कर दिया गया । वर्ष 1977 से पुनः कार्य चल रहा है ।

प्रश्नगत परियोजना की लागत 489.00 लाख रुपये थी । मार्च, 1985 तक रु0 533.00 लाख रुपया व्यय हुआ है ।

वर्ष 1987–88 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है और कार्य पूरा होने तक 1,354.00 लाख रुपया (वर्ष

1984–85 के मूल्य सूचकांक पर) व्यय होने का अनुमान है ।

गोरखपुर के मलौली बांध पर प्राइवेट बस का कथित संचालन

63––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले के मलौली बांध पर प्राइवेट बस तरकुलानी तक चल रही है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने प्राइवेट बस चलाने की अनुमति दी है ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से बस चलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कताई मिल, अकबरपुर व सण्डोला के कर्मचारियों का बोनस भत्ता व ग्रेच्युटी

64––श्री राम आसरे वर्मा---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित सहकारी सूती मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तों, बोनस भत्ता, ग्रेच्युटी आदि सुविधाओं में समानता की नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो सहकारी सूती मिल, अकबरपुर और सहकारी सूती मिल, संडीला में क्रमशः कर्मचारियों को वेतन भत्ता, बोनस आदि से सम्बन्धित सुविधाएं आदि क्या-क्या हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित सभी सूती मिलों में कर्मचारियों की समान सेवा शर्तें हैं ।

अकबरपुर व संडीला की कताई मिलें सहकारी सूती मिलें नहीं हैं । अकबरपुर की कताई मिल उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिलस कम्पनी नम्बर–1 की है व संडीला की मिल राज्य वस्त्र निगम की मिल है । अकबरपुर और संडीला कताई मिलों में कर्मचारियों को उनकी कार्यदक्षता तथा कुशलता के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता है तथा दोनों इकाइयों में न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार है :--

	रु0
मूल वेतन	275.00
अपरिवर्तनीय महंगाई भत्ता	50.43
परिवर्तनीय महंगाई-भत्ता	369.90
(जून माह) योग ..	695.33

शासन द्वारा समय–समय पर घोषित नीति के अनुसार कर्मचारियों को बोनस, ग्रेच्युटी, प्रविडेन्ट फंड आदि का भुगतान किया जाता है ।

मलिहाबाद में सिंचाई विभाग की सैदापुर ड्रेन की सफाई

65—श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद क्षेत्र की सैदापुर ड्रेन की सफाई कब करायी गयी थी और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या मन्त्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि विगत सफाई के पूर्व जब उसकी सफाई हुई तब खर्चा कितना आया था ? क्या इस तथ्य की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त ड्रेन की सम्बन्धित विगत सफाई मात्र कागजों पर की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सैदापुर ड्रेन की सफाई वर्ष 1984–85 में कराई गई थी, जिस पर 22,873 रु0 की धनराशि खर्च की गयी ।

उक्त सफाई से पूर्व सैदापुर ड्रेन की सफाई वर्ष 1981-82 में हुई थी, जिस पर 16,562 रु0 खर्च हुआ था ।

ड्रेन की सफाई वास्तविक रूप से हुई थी, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग गंडक के सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

66--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984 में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) ने कुछ सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया था जिसे प्रमुख अभियन्ता के एतराज के कारण निरस्त करना पड़ा ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण का आधार क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उक्त स्थानान्तरण के कारण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता ने कोई एतराज नहीं किया था । चूंकि मुख्य अभियन्ता (गण्डक) ने उक्त स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता स्तर से होने वाले स्थानान्तरण के पूरे होने के पूर्व ही कर दिये थे अतः मुख्य अभियन्ता द्वारा किये गये स्थानान्तरण निरस्त करना आवश्यक था ?

सिंचाई विभाग के प्रभारी सहायक अभियन्ता

67--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज) हैं एवं इन सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज) में से कितने लोग अधिशासी अभियन्ता के कार्यकारी पद पर हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 108 प्रभारी सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं । इनमें से 76 अधिकारी कार्यकारी पदों पर स्थापित हैं ।

आगरा, फिरोजाबाद के ग्राम बरगदपुर बसई, मोहम्मदपुर करकोली, अहलादपुर में यमुना नदी से कटाव

68--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के खण्ड वि0 क्षे0 फिरोजाबाद के ग्राम बरगदपुर बसई, मोहम्मदपुर करकोली और अहलादपुर में क्या वर्षा के पानी के नालों से कटाव होने पर आबादी में भी कटाव आ जाने पर मकान गिरने लगे हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत ग्राम यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित है । यहां पर सिंचाई विभाग का कोई नाला नहीं बना हुआ है जिसमें कटाव के कारण वर्षा में बाढ़ के पानी से आबादी के मकान गिरने की समस्या उत्पन्न हो। वर्षा में खारों द्वारा तेजी से पानी बहने के कारण केवल ग्राम मोहम्मदपुर करकौली में कच्चे मकान गिरने की समस्या है । सिंचाई विभाग की इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता, मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान की गयी धनराशि

69--श्री श्रीप्रकाश--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-7-84 को बंधी प्रखण्ड वाराणसी में अनुबन्ध संख्या 77/83-84, 78/83-84, 79/83-84 तथा 80/83-84 के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुबन्धित किया गया ? यदि हां, तो ठेकेदारों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किस अधिकारी द्वारा किया गया ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

क--दिनांक 30-6-84 को बंधी प्रखण्ड, वाराणसी के पंचम उपखंड में अनुबंध संख्या 77/84-85, 78/84-85, 79/84-85 तथा 80/84-85 (न कि अनुबन्ध संख्या 77/83-84, 78/83-84, 79/83-84 तथा 80/83-84 जैसा कि प्रश्नकर्ता ने उल्लेख किया है) के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुबन्धित किया गया।

ख--अधिशासी अभियन्ता, मूसा खंड बांध प्रखंड वाराणसी द्वारा निम्नवत् भुगतान किया गया :--

	रु0
अनुबन्ध संख्या 78/84-85	8,000
अनुबन्ध संख्या 79/84-85	10,000
अनुबन्ध संख्या 80/84-85	3,836

अनुबन्ध संख्या 77/84-85 के भुगतान की कार्यवाही कम्प्रेशरों की टेस्टिंग के कारण रुकी है।

ग--विवरण उपरोक्तानुसार है।

सिंचाई विभाग, गोरखपुर मंडल के प्रशिक्षित नलकूप चालकों की नियुक्ति की मांग

70--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मंडल में कितने प्रशिक्षित ट्यूबवेल आपरेटरों को 15 मई, 1985 तक नौकरी नहीं मिल पाई थी, उन्हें कब तक रोजगार मिलने की सम्भावना है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

15 मई, 1985 तक 253 प्रशिक्षित नलकूप चालकों को नौकरी नहीं मिल पायी थी। इनकी नियुक्ति निश्चित नहीं है।

मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि0, मोतीनगर, मसौधा, फैजाबाद को कोयले का कथित आवंटन

71--श्री मित्रसेन--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि0, मोतीनगर, मसौधा फैजाबाद को प्रति वर्ष स्टीम कोल की स्वीकृति क्या है और क्या उसका उपयोग वे फैक्ट्री चलाने में करते हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री धान की भूसी से चलाई जाती है और सारा कोयला प्रति वर्ष भट्ठे वालों को ब्लैक में बेचा जाता है ? यदि हां, तो उन्हें कोयले की स्वीकृति क्यों दी गई है और जांच कराकर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मेसर्स विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि0, मोतीनगर, मसौधा, जिला फैजाबाद डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डेवलपमेन्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली की पंजीकृत इकाई है। उसे उद्योग निदेशालय द्वारा कोई कोयला आवंटित नहीं किया गया है।

72-73--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सीतापुर के ग्राम शाहजलालपुर के नलकूप हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

74--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि0 खं0 खैराबाद, जिला सीतापुर के गांव शाहजलालपुर में बने राजकीय नलकूप संख्या 109 में जिन काश्तकारों की भूमि नालियां तथा पम्प हाउस बनाने में गई हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को मुआवजा दिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वि0 खं0 खैराबाद, जिला सीतापुर के ग्राम शाहजलालपुर में बने राजकीय नलकूप संख्या 109 के भू-अर्जन सम्बन्धी प्रस्तावों में केवल खेत नम्बर व उनका क्षेत्रफल ही अंकित किया गया था जो नियमानुसार हैं। प्रतिकर के आंशिक भुगतान के रूप में 9731.72 रु0 की धनराशि बांटी जा चुकी हैं। शेष प्रतिकर का भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु समुचित आदेश दे दिये गये हैं।

75--श्री राजेन्द्र गुप्त--

उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या अधि0 अ भ0 नलकूप खंड, सीतापुर द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर को मुआवजा हेतु मई, 1984 से जुलाई, 1984 के बीच कोई पूरक सूची भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें किन-किन काश्तकारों के नाम थे तथा उन्हें मुआवजा न मिलने का क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड सीतापुर द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर को मुआवजा हेतु मई, 1984 से जुलाई, 1984 के बीच कोई पूरक सूची नहीं भेजी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ताओं सिविल के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति

76--श्री राम बदन एडवोकेट--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य हैं कि सिंचाई विभाग में दिसम्बर, 1984 एवं जनवरी, 1985 में अधीक्षण अभियन्ताओं सिविल के पद पर सितम्बर, 1986 तक की रिक्तियों के विरुद्ध जो पदोन्नतियां की गयी हैं, उनमें न्यूनतम वांछित योग्यता के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उपलब्ध रहते हुये भी अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अगस्त, 1984 के चयन के आधार पर दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी, 1985 में अधीक्षण अभियन्ता, सिविल के पदों पर तत्कालीन एवं अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर सितम्बर, 1986 तक के लिए उच्चीकृत पदों की रिक्तियों में पदोन्नतियां/पद स्थापना की गयी। चयन में पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नामों पर विचार किया गया था और चयनित अधिकारियों की पदोन्नति पदस्थापना की गयी।

सिंचाई निर्माण मंडल, वाराणसी का कार्यालय, गाजीपुर में स्थापित किये जाने की मांग

77--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण मंडल, वाराणसी के अधीनस्थ गाजीपुर जनपद का 80 प्रतिशत कार्य होने पर भी मंडलीय मुख्यालय गाजीपुर को न बनाने का क्या कारण हैं ? क्या मंडलीय कार्यालय, गाजीपुर करने का प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई निर्माण मंडल, वाराणसी के अधीनस्थ देवकली पम्प नहर, जमानियां पम्प नहर तथा नारायन पुर पम्प नहर परियोजना का निर्माण कार्य सौंपा गया हैं देवकली पम्प हाउस की दूर वाराणसी तथा गाजीपुर से लगभग बराबर हैं। नारायनपुर पम्प हाउस का निर्माण कार्य जो एक बहुत वृहद योजना हैं वाराणसी से समीप पड़ता हैं जमानियां पम्प हाउस भी वाराणसी से सीधे जी0 टी0 रोड से जुड़ा हुआ हैं।

इस प्रकार उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि इस मंडल के अधीनस्थ परियोजनाओं के वृहद कार्यों का मौगोलिक केन्द्र वाराणसी है। साथ ही, मुख्य अभियन्ता (सोन) का कार्यालय तथा वाराणसी मंडल के आयुक्त का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है जिनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वाराणसी में यातायात एवं संचार की व्यवस्था भी गाजीपुर की अपेक्षा उत्तम है। अतः मंडल कार्यालय का मुख्यालय वाराणसी में ही रहना जनहित में है। उसे गाजीपुर में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगरा में फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग को मथुरा तेल रिफाइनरी से गैस की आपूर्ति की मांग

78--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद की कांच चूड़ी पकाई भट्ठियों को कोल अभाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्पन्न गैस को पाईप के जरिये फिरोजाबाद की चूड़ी पकाई भट्ठियों को सप्लाई कर क्या कोल का विकल्प तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद की कांच चूड़ी उद्योग को कोयले के स्थान पर मथुरा तेल रिफाइनरी से गैस उपलब्ध कराने की सम्भावना अभी नहीं पायी गयी है।

इटावा जिले की बिकूपुर माइनर का निर्माण

79--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के अन्तर्गत तहसील विधूना में सिंचाई विभाग द्वारा बिकूपुर माइनर का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और उसे कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1980-81 में खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया। उसके बाद से इस माइनर से सिंचाई हो रही है।

नलकूप मंडल, अलीगढ़ के अन्तर्गत विफल नलकूप

80--श्री कल्याण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मंडल अलीगढ़ में दिनांक 31-5-85 तक किस-किस नलकूप उपखंड में कितने राजकीय नलकूप कब कब से खराब पड़े हैं और अभी तक चालू न किए जाने के कारण क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? ऐसे सभी खराब नलकूप कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप मंडल, अलीगढ़ में दिनांक 31-5-85 तक संलग्न† तालिका "अ" एवं "ब" के अनुसार नलकूप खंड प्रथम अलीगढ़ के प्रथम उपखंड, अलीगढ़ में 6 नलकूप, द्वितीय उपखंड, अलीगढ़ में 4 नलकूप, तृतीय उपखंड, खैर में 4 नलकूप, चतुर्थ उपखंड, हाथरस मे 9 नलकूप एवं नलकूप निर्माण खंड, अलीगढ़ के द्वितीय उपखंड, अतरौली में 15 नलकूप चतुर्थ उपखंड, अतरौली में 14 नलकूप नलकूप खंड (उत्तर), बुलन्दशहर के प्रथम उपखंड बुलन्दशहर में 13 नलकूप द्वितीय उपखंड, बुलन्दशहर में 11 नलकूप, तृतीय उपखंड बुलन्दशहर में 7 नलकूप एवं नलकूप खंड (पश्चिम), बुलन्दशहर के प्रथम उपखंड, डिबाई में 8 नलकूप, तृतीय उपखंड, सिकन्दराबाद में 9 नलकूप एवं चतुर्थ उपखंड, बुलन्दशहर में 10 नलकूप

†छापी नहीं गयी।

(कुल 110 नलकूप) तालिकाओं में निहित नलकूपों के समक्ष अंकित तिथियों से बन्द पड़े थे और 4 नलकूपों (नलकूप निर्माणखंड के चतुर्थ उपखंड अतरौली के कूप सं0 197 अतरौली ग्रूप और 25 अतरौली ग्रूप तथा नलकूप खंड, उत्तर, बुलन्दशहर के प्रथम उपखंड, बुलन्दशहर में नलकूप सं0 76 के0 बी0 ग्रूप एवं नलकूप खंड (पश्चिम), बुलन्दशहर के प्रथम उपखंड डिबाई कूप सं0-54 एस0 बी0 ग्रूप) को छोड़कर तालिकाओं में निहित नलकूपों के समक्ष अंकित तिथियों में चालू कर दिए गये हैं। तालिका "अ" में नलकूप सं0 197 अतरौली ग्रुप मोटर चोरी होने के कारण एवं नलकूप सं0 25 अतरौली ग्रूप सबमर्तिबिल पम्पिंग सेट खराब हो जाने के कारण तथा तालिका "ब" में नलकूप सं0-76 के0 बी0 विद्युत् विभाग के ट्रांसफार्मर खराबी एवं कूप सं0 54 एस0 बी0 ग्रूप विद्युत् विभाग की भूमिगत केबिल वर्स्ट हो जाने के कारण खराब पड़े हैं। उपरोक्त 4 नलकूपों को छोड़कर सभी नलकूप चालू कर दिये गये हैं और उक्त चारों खराब नलकूपों को तालिका "अ" एवं "ब" में निहित इन नलकूपों के समक्ष अंकित तिथियों से चालू किये जाने की सम्भावना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ में 34 राजकीय नलकूप विफल/परित्याग/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 3 राजकीय नलकूपों का, जिनका बिद्युतीकरण मार्च, 1985 में हुआ है, प 0 वो0 सो0 पाइप लाईन आदि का निर्माण कार्य किया जाना है जिन्हें दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। 13 विफल नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिन्हें फसल रबी 1393 में चालू कर दिया जायेगा। अवशेष 18 विफल नलकूपों में से 10 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जायेगा, अवशेष 8 विफल नलकूपों के बारे में तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है।

जनपद बुलन्दशहर में 5 नलकूप विफल/परित्याग/निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनमें से 2 नलकूपों पर जिनका विद्युतीकरण मार्च, 1985 में हुआ है, पी0 वी0 सी0 पाईप लाईन आदि का निर्माण किया जाना है जिन्हें 30 नवम्बर, 1985 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। 3 विफल नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण करा कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू करा दिया जायेगा।

इलाहाबाद में कोच फैक्टरी एवं पलोट ग्लास फैक्टरी की कथित स्थापना

81--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में कोंच फैक्टरी एवं फ्लेटिंग ग्लास फैक्टरी की स्थापना मन्जूर थी? यदि हां, तो उसकी कब तक लगने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इलाहाबाद में कोच फैक्टरी एवं पलोट ग्लास फैक्टरी की स्थापना कभी मंजूर नहीं की गयी थी। कोच फैक्टरी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जानी है और समाचार-पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह परियोजना इस प्रदेश में नहीं लग रही है। पलोट ग्लास फैक्टरी पिछड़े जनपद बांदा में लगने का निर्णय लिया गया है।

फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर के अन्तर्गत स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा महिलाओं की पेंशन

82--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर में कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन अथवा विधवा पेंशन वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्वीकृत की गई है तथा कितने अंधे लोगों को प्रदत्त सुविधा प्रदान की जा रही है?

संयद सईदुल हसन--

जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन तथा 24 विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की गई एवं केवल एक अंधे को प्रदत्त सुविधा प्रदान की जा रही है ।

पिथौरागढ़ के नारायण नगर में भूतपूर्व सिक्ख रेजीमेन्ट के सैनिकों का सम्मेलन एवं शराब का वितरण

83--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या आबकारी मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तह0 अन्तर्गत नारायण नगर में 15 अगस्त, 1984 को 20वीं बटालियन सिख रेजीमेन्ट द्वारा भू0 पू0 सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो इस सम्मेलन में इस जनपद के पूर्ण नशबन्दी होने के बावजूद, शराब की खुलेआम बिक्री पुरस्कार स्वरूप शराब दिए जाने को क्या सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों को कठोर दण्ड देने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां । तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत स्थान नारायण नगर में 15 अगस्त, 1984 को 20वीं बटालियन सिख रेजिमेन्ट द्वारा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

जनपद पिथौरागढ़ में पूर्ण मद्यनिषेध नहीं है बल्कि परमिटधारियों के लिए विदेशी मदिरा की दो फुटकर दुकानें हैं। आबकारी नियमों के अन्तर्गत मद्यनिषेध क्षेत्र में सेना की यूनिट कैंटीनें, एफ0 एल0-9 तथा एफ0 एल0-9-ए लाइसेन्स पर सैनिक इकाई के सदस्यों एवं आर्मी रेगुलेशन के अनुसार अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मदिरा सम्भरित कर सकती हैं । उक्त सैनिक इकाई को एफ0 एल0-9/एफ0 एल0-9-ए लाइसेन्स प्राप्त है ।

इन अनुज्ञापनों के अतिरिक्त 20वीं बटालियन सिख रेजीमेन्ट को सामयिक लाइसेन्स एफ0 एल0-11 प्राप्त करना चाहिये था जो नियमों की अनिभिज्ञता के कारण उनके द्वारा यथा समय प्राप्त नहीं किया गया और न सम्मेलन के आयोजन की सूचना ही जिलाधिकारी को दी गयी ।

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा परगनाधिकारी, डीडीहाट को निर्देशित किया गया था कि वे स्वयं प्रश्नगत मामले में सिख रेजीमेन्ट के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें और उक्त सम्मेलन में वितरित मदिरा की लाइसेन्स फीस जमा करावें । तदनुसार उन्होंने रेजीमेन्ट के अधिकारी से निर्धारित धनराशि राजकोषागार में जमा कराकर बिक्री को विनियमित करा दिया है ।

मुरादाबाद में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

84--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद जिले में 31-3-85 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है ? इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र 31-12-83 तक प्राप्त हुये तथा उनमें से यदि कुछ प्रार्थियों को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ है, तो क्यों ? जिन्हें ऋण स्वीकृत हो चुका है उनमें से कितने व्यक्ति सम्बन्धित बैंकों से ऋण राशि प्राप्त करने में सफल रहे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मुरादाबाद जनपद में 31 मार्च, 1985 तक 997 शिक्षित बेरोजगारों को

शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

31 दिसम्बर, 1983 तक 7,780 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 1,325 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र बैंकों को भेजे गये थे । बैंकों ने 712 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया । शेष 613 व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया गया ।

अब तक कुल 997 आवेदकों को ऋण की धनराशि वितरित की जा चुकी है ।

केवल 10 तारांकित प्रश्नों के लिये जाने की मांग

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आप इस सदन को बड़ी काबलियत से चला रहे हैं लेकिन यह देखा जा रहा है कि 20 सवाल तारांकित आते हैं लेकिन यहां राज 10 सवाल से ज्यादा नहीं आ रहे हैं । तो क्या आप ऐसा नियम में करा देंगे कि 10 सवाल से ज्यादा न लिये जायें । क्योंकि यह रोज हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

नियमावली में 20 सवाल लिखा हुआ है । मैं समझता हूं, शार्ट नोटिस, तारांकित उसके बाद अतारांकित, कार्य मंत्रणा समिति में स्वयं नेतागण इस पर विचार करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देवनागरी लिपि से भिन्न लिपि में दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त--

नियम 282 की ओर माननीय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है । अब माननीय, तारांकित प्रश्न संख्या 11 देखें, इसमें देवनागरी से भिन्न लिपि का भी प्रयोग किया गया है । पहले पेज पर....

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा नहीं होना चाहिए । मंत्री जी इस को देख लें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

आपने व्यवस्था क्या दी ? क्या देवनागरी लिपि से भिन्न किसी लिपि का प्रयोग इस आदरणीय सदन में किया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--

अगर ऐसी कोई बात है तो उसका अनुवाद भी होना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, वह होगा ।

(व्यवधान)

माननीय सम्बन्धित मंत्रीगण, इस बात का विशेष ध्यान रखें । जो हमारे सदन की भाष और लिपि है, उसका उसी प्रकार प्रयोग होना चाहिए ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज मेरा तारांकित प्रश्न 16 है । मेरा प्रश्न और उत्तर आपके पास होगा, देख लें....

श्री अधिष्ठाता--

अब समय समाप्त हो गया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, प्रश्न के सम्बन्ध में है, कोई चर्चा नहीं होगी । मैं केवल यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न भिन्न और उसका उत्तर उससे बिल्कुल भिन्न। आप देख लें अगर आप उससे सहमत हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, प्रश्न में जो तारीख दी थी, उत्तर में उसके 6 महीने पहले की कार्यवाही का उत्तर दिया गया है। इसलिए इस तरह से जो ऊल-जलूल उत्तर दिये जा रहे हैं इस पर आप कृपया कार्यवाही करें और इस प्रश्न को स्थगित करें।

श्री अधिष्ठाता--

इस सम्बन्ध में आप मुझ से चैम्बर में बात करें।

(व्यवधान)

सदस्यों के शिकायती पत्रों पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आदरणीय सदन की गरिमा को कम करने की साजिश हो रही है, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

यह आप किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपसे निवेदन कर रहा था नियम 38 के तहत कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों की गरिमा जानबूझकर प्रशासन नीचे गिरा रहा है, उस पर अंकुश लगा रहा है, हमारे अधिकारों को छीन रहा है। आपकी ओर से यह निर्णय हो चुका है कि हम जो शिकायत करेंगे उसकी जांच होगी और अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, ऐसे अनेक निर्देश और आदेश हुये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर में उद्योग कार्यालय है, जहां पर कि ऋण मिलता है बेरोजगार लड़कों को। वहां पर इतनी घांधली थी कि शासन पक्ष के लोग ही अनशन करते रहे। एक नहीं अनेक, सैकड़ों शिकायती पत्र आये, मैंने भी दिया। उसमें निश्चित आरोप थे, एक व्यक्ति के सम्बन्ध में...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसमें नहीं आता है। अगर आपको उठाना है तो इसके लिये नियम हैं, उनके अन्तर्गत उठाइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं नियमों के अन्तर्गत ही बात करता हूं, नियमों के परे एक शब्द भी कहने का आदी नहीं हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न है 27, इसका जो उत्तर आया है...

श्री अधिष्ठाता--

आप उत्तर नहीं पढ़ सकते। अगर मैंने इसको नहीं लिया है, तो आप पढ़ नहीं सकते।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह अतारांकित प्रश्न है।

इसके उत्तर का पहला हिस्सा है कि स्वतः रोजगार योजना में धांधली के सम्बन्ध में विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत तथा कतिपय जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों पर संयुक्त निदेशक, उद्योग से जांच कराई गई है।

इसके दूसरे भाग में कहा गया है कि जी हां, शिकायत पंजाब नेशनल बैंक पखावन शाखा द्वारा ऋण न दिये जाने के सम्बन्ध में है। जांच सहायक प्रबन्धक से कराई गई थी। सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने के कारण श्री सिंह को ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोनों में मेरी शिकायत है। मैं यही कह रहा था कि जांच कराई गई, लेकिन उसकी सूचना मुझे नहीं दी गई। इसमें करोड़ों रुपये की बंगलिंग हुई है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि प्रशासन कहां जा रहा है? क्या जो आदेश निदेश हुए हैं, उसका परिपालन न करने का ही निर्णय दिया गया है?

श्री अधिष्ठाता--

आप इस पर लिखित रूप में दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे पास लिखित देने की फुरसत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों को देखने का कष्ट करें। हम लोगों को जांच की सूचना नहीं दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आपके सवालातों पर या शिकायत पर माननीय सदस्य को उस जांच के मुताल्लिक जरूर इत्तला दी जानी चाहिये कि किस स्तर पर है और क्या हो रहा है। इससे माननीय सदन की और सदस्यों की गरिमा भी बढ़ेगी और प्रश्न भी कम से कम होंगे। इसके लिये शासन से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहूंगा कि सदस्यों के जो शिकायती-पत्र आते हैं, उनके बारे में उनको ऐसी चिट्ठी जरूर लिख दी जाय कि जांच किस स्तर पर है और क्या कार्यवाही हो रही है।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के सम्बन्ध मे भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। नियम 301 की 27 सूचनायें....

(श्री शारदा प्रताप के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप अपने स्थान पर वापस जायं।

(श्री शारदा प्रताप अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

आखिर सदन को चलाना है! आप बजट पर बोल सकते हैं। सम्पूर्ण बजट जो है वह पूरे प्रदेश का होता है। जो माननीय सदस्य खड़े हैं कृपया वे बैठ जायं।

श्री शारदा प्रताप--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--

क्या व्यवस्था का सवाल है?

*श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का सवाल यह है कि आज सबेरे माननीय सदस्य ने लिख कर दे दिया कि वे प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे। आप कोई सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न उठाने का अवसर दे देते हैं और कोई सदस्य इससे वंचित रह जाता है। तो जो सदस्य अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है तो

नोट :--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर उसके पास अपनी बात को कहने का और कौन सा उपाय रह जाता है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम आसरे वर्मा जी, क्या अपनी बात को कहने की यही प्रक्रिया है जो ये अपना रहे हैं ? माननीय मनोहर लाल जी, आप बैठें ।

(व्यवधान)

आप व्यवस्था का प्रश्न उठा कर नियमों का सहारा ले तब कोई व्यवस्था होती है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 301 के लिय जो सूचनाएं दी गई हैं, इनमें से आठ की सूचनाएं स्वीकार हुई हैं वे हैं श्री मैनेजर सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री गौरी शंकर भइया, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गया प्रसाद वर्मा और श्री हरीश चन्द्र । अब इनकी सूचनाओं को सदन में पेश किया जायेगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री फजलुल बारी—

(नियमावली की प्रति को दिखाते हुए) मान्यवर, इस नियमावली के तहत सदन को चलना है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

(नियमावली को पढ़ने का प्रयास करते हुए)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान...

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न किसने उठाया है ?

श्री अधिष्ठाता—

फजलुल बारी ने ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

तो वे ही इसे पढ़ें ।

श्री फंजलुल बारी—

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है 218 में प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति और 219 में प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति के सम्बन्ध में ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, इसके लिए दो नियम बनाये गये हैं इस पर माननीय शुक्ला जी ने आज आपको लिख कर दिया और इस समय उस पर ये सूचना दे रहे हैं । अगर कोई आदमी नियम के तहत रहता है, यदि आप उसको उसके अधिकारों से वंचित करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य गोंडा, बैठें । मैं यह कह रहा हूं कि जब मैं दूसरी मद पर चला जाता हूं तो उसे पूर्ण करना है । यदि बीच में कोई बात है तो नियमानुसार आप व्यवस्था की मांग कर सकते है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

प्रश्नों के बारे में व्यवस्था तत्काल ही प्रश्नकाल के बाद की जाती है, बाद में नहीं होती है ।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन यदि मैं दूसरी मद पर चला जाता हूं तो फिर प्रश्नों पर व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री फजलुल बारी--

नियम 218 और 219 के सम्बन्ध में जो बात मैंने कही उसके सम्बन्ध में शुक्ला जी ने आपको पत्र भी लिखा है, उसके सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दे ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं व्यवस्था की अनुमति चाहूंगा । शुक्ला जी ने आज सबेरे ही प्रश्नों के सिलसिले में व्यवस्था के लिए लिखकर दिया था, जो प्रक्रिया से सम्बन्धित था ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या उस समय स्वीकार हो गया था कि व्यवस्था दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

आप नियम 314 को देखें ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

नियम 218 तो संकल्प के बारे में है । आप ट्रेनिंग क्लास खोलें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि चिन्तन का ग्रुप बनना चाहिये, ताकि नियमों के अनुसार किसी मामले को सदन में उठाया जा सके । यह परम्परा पहले थी और जैसा बर्क जी ने कहा, इस तरह का चिंतन का ग्रुप बनना चाहिए ।

गंगा नदी पर बलिया-बैरिया संसार तथा बक्सर कोइलवार बांध के निर्माण से बलिया जिले के अनेक ग्रामों के बह जाने के खतरे के सम्बन्धमें नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह --

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । बलिया जनपद में गंगा नदी का तट बांध बलिया-बैरिया-संसार टोला तैयार हो गया है । दूसरी ओर गंगा का बिहार तट बांध बक्सर कोइलवर पूर्ण होने ही वाला है । दोनों बांध के पूर्ण होने पर गंगा नदी का जल फैलाव कम होगा और पुनः अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक मीटर पानी का बढ़ाव किसी भी बाढ़ से ऊंचा हो जायेगा । ऐसी दशा में बांध और गंगा नदी के बीच की आबादी में एक मीटर पानी ऊंचा होने के कारण सैकड़ों गांव की आबादी नष्ट हो जायेगी । इसके अतिरिक्त गंगा नदी के दूसरी ओर आबाद बलिया जनपद के गांव चक्की नौरंगा (भगवानपुर) नौरंगा-मुआक, छपरा, उदई छपरा, जवही शिवपुर दियरा एवं उमरपुर दियरा आदि के लिये भयंकर खतरा पैदा होगा । लाखों धन-जन की बरबादी होगी जिससे पूरे जनपद में भयंकर क्षोभ एवं असन्तोष की लहर व्याप्त है । अतः उपरोक्त तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अविलम्ब सुरक्षा की मांग करता हूं ।

जनता लघु माध्यमिक विद्यालय, पिपरा, बस्ती के शिक्षण कार्य में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के जनता लघु माध्यमिक विद्यालय, पिपरा प्रथम, तहसील बांसी, जनपद बस्ती के विधिक रूप से चयनित एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित अध्यापकों तथा कर्मचारियों को कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती की मिली भगत तथा पुलिस की मदद से शिक्षण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ अनधिकृत लोग पुलिस की सहायता से विद्यालय में घुसकर कब्जा किए रहते हैं। पिछड़े क्षत्र के गरीब अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा का बेहद नुकसान हो रहा है और बाध्य होकर गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों को दूर भेजना पड़ रहा है।

चयनित एवं अनुमोदित अध्यापकों तथा कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्र के तमाम गरीब अभिभावकों में असन्तोष व्याप्त है। बस्ती जनपद का बेसिक शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और लिखित रूप में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सारी कार्यवाही मौखिक रूप से अनैतिक ढंग से की जा रही है। अतः सम्मानित सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि अनुमोदित अध्यापक एवं कर्मचारी सुचारु रूप से शिक्षण कार्य कर सक।

(श्री राज किशोर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज किशोर सिंह—

मेरे पास कागज नहीं है, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

301 में पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता है।

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद को आवंटित धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पांडे—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नांकित विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती जिले के ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का खुले आम दुरुपयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में डी0 आर0 डी0 द्वारा स्वीकृत योजनायें अभी 80 प्रतिशत अधूरी रह गई हैं। विकास खंड, परसरामपुर विक्रमजोत, हरैया, गौर कप्तानगंज जिले के अन्य 27 विकास खंडों में स्वीकृत योजनायें अधूरी पड़ी हैं। सम्पर्क मार्ग, विद्यालय भवन तथा अस्पताल भवन निर्माण, नाले की खुदाई, बंधा, नलकूप, गूल आदि बाकी रहने के कारण जनता में घोर असन्तोष फैला हुआ है। उपरोक्त विकास खंडों के लिए आवंटित धनराशि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। दो करोड़ रुपये का बिला काम किये भुगतान करा लिया गया है। जिले की समस्त ठेकेदारी प्रथा से समस्त विकास खंडों में कार्य कराया जा रहा हैं। एक किलो गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी उदासीन हैं तथा जिला विकास अधिकारी इंजीनियर तथा असामाजिक तत्व, जो ठेकेदारी मस्टर रोल की आड़ में कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं, उनसे सांठ-गांठ करके जिले में लट मचा रखी है। इसे रोकने में जिलाधिकारी असमर्थ हैं। जिला विकास अधिकारी फर्जी भुगतान घड़ल्ले से करा रहे हैं।

अतः आज सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुये उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं।

गुरुधाम मन्दिर, वाराणसी पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, वाराणसी के 174 वर्ष पूर्व आध्यात्मिक भावना से अभिभूत होकर पूर्व काशी महाराज जय नारायण द्वारा बनवाये गये प्रख्यात गुरुधाम मन्दिर का अस्तित्व अवैध कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों के कारण खतरे में पड़ गया है। ज्ञातव्य है कि उपरोक्त मन्दिर 1814 ई0 में बनवाया गया था। इसके पास 18 एकड़ भूमि थी। जिसे अवैध कब्जा करने वालों ने अनुचित प्रकार से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने व साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से कब्जा कर लिया है। इस पुरातन मन्दिर के आठ प्रवेश द्वार हैं जो इन कब्जा करने वालों द्वारा बन्द कर दिये हैं। मन्दिर के राधेश्याम की दुर्लभ अष्ठधातु तथा अन्य बहुमूल्य मूर्तियां चोरी कर ली गई हैं। मन्दिर प्रांगण में स्थित धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं वाला तालाब कूड़ा-करकट से पाट दिया गया है। मन्दिर का राजसी पादुका स्थल जो कभी उच्चस्तरीय विचार-विमर्श तथा आध्यात्मिक चेतना का केन्द्र बिन्दु था आज व्यापारियों द्वारा कब्जा करके गोदाम में बदल दिया गया है। मन्दिर की इस दुर्दशा व दुर्लभ मूर्तियों के गायब होने से पूर्वांचल की धर्मभीरु जनता में क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा किसी दिन किसी बड़े घटना के हो जाने की सम्भावना बलवती हो गई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि सरकार तत्काल मन्दिर का पुनरुद्धार कराये।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—

बाद में पढ़ियेगा।

प्रदेश में पटरी दुकानदारों के उजाड़ने से हजारों परिवार के जीवन यापन की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अतिक्रमण हटाओं के प्रदेश व्यापी अभियान से शहरी क्षेत्रों में खोमचे, ठेले, लगाकर गुजारा करने वाले लाखों लोगों की जिन्दगी तबाह हो गई है। लखनऊ में सड़कों के किनारे नालियों पर दुकान उजाड़कर छोटी पूंजी के पटरी दुकानदारों को दर-दर का भिखारी बना दिया गया है। ईद के दिन इसी अभियान से पीड़ित राजाजी पुरम निवासी भी बहीद को आत्महत्या के लिये विवश होना पड़ा, क्योंकि त्यौहार के दिन इस दुकानदार के पास अपने बच्चों के खाने तक के लिये कुछ न रहा था। उसकी उजाड़ी गई दुकान का सामान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लूटा गया, बेरहमी से पटरी दुकानदारों पर डंडे भी तोड़े गये और नियम कानून ताक में रखकर भारी जुर्माने किये गये ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त दुकाने तक ध्वस्त कर दी गईं । मन्त्री स्तर के एक सदस्य द्वारा उन्हें न उजाड़े जाने की लिखापढ़ी की जाती रही, किन्तु राज्य मन्त्री स्तर के सदस्य द्वारा तबाही बरबादी का आलम अपनी आंखों के सामने पैदा किया जाता रहा ।

उक्त अभियान से पीड़ित दसियों हजार परिवारों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया । दिनांक 12 जुलाई को लखनऊ की सड़कों पर विशाल प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन द्वारा कार्यवाही की मांग करता हूं ।

कस्बा लखना, इटावा में सिनेमाघर के निर्माण में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

जनपद इटावा में लखना कस्बे में चलचित्र निगम से निर्माणाधीन सिनेमा घर में लाखों रुपये का घोटाला सामने आया है । जनता सरकार में इस सिनेमा का शिलान्यास हुआ था और 1980 में कांग्रेस सरकार के समय निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया । निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और उक्त योजना का पूरा पैसा निकाल कर अधिकारी खा गये हैं । इसलिए वहां की जनता में भारी असन्तोष है ।

अतः इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि उक्त सिनेमा हाल का अविलम्ब निर्माण कराकर चालू कराया जाय और जिन अधिकारियों द्वारा इस घोटाला काण्ड में हाथ हो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

महोदय, मैं आपका ध्यान बस्ती जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अनियमितताओं की तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, कस्बों को छोड़कर बाकी पूरे जिले के ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं के पास उपभोक्ता सामाग्री प्राप्त करने हेतु न तो राशन कार्ड की व्यवस्था है और न प्रधान का परमिट या उनकी देख-रेख में वितरण करने की व्यवस्था है । केवल फुटकर विक्रेता अपने बिक्री रजिस्टरों में मनमाने ढंग से नाम चढ़ाकर फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी लगा लेते हैं । सारा सामान उपभोक्ताओं को मिलने वाला उनको न मिलकर चोर बाजारी में बिक रहा है । बिक्री रजिस्टरों की पड़ताली व उपभोक्ताओं से पूछताछ पड़ताली अथारिटी नहीं करते । कार्यालयों में बैठे ही सत्यापन कार्य हो जाता है और प्रत्येक दुकानदार से दो हजार रुपया फुटकर लाइसेंस चीनी व एक हजार रुपया पर मिट्टी का तेल लेकर नियुक्त किया जाता है । आंख मीच कर लाइसेंसियों की नियुक्ति की जाती है । यह भी खयाल नहीं किया जाता है कि उक्त लाइसेंसी पंचायत क्षेत्र निवासी है अथवा नहीं । बहुत सी दुकानें निरस्त किये हुए परिवार के नाम है और प्रत्येक दूकानदार के

गांवों का बंटवारा करते समय यह नहीं देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या है। मात्रा और अनुपात का ख्याल नहीं किया जाता है। मान्यवर, वितरण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए मान्यवर, खाद्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।

बिजनौर में पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशोर सिंह--

मान्यवर, बिजनौर जिले के थाना-स्वार की पुलिस 15 जून, 1985 को ग्राम सैदपुर गंगाराम व टीकम सिंह को घर से पकड़ कर मारा-पीटा और गंगाराम को मरणासन्न हालत में छिपा दिया था जिसके विरोध में 18 जून, 1985 के जुलूस को थानाध्यक्ष डी0 के0 त्यागी ने न केवल लेने से इंकार किया बल्कि शान्ति पूर्ण निहत्थी जनता पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 लेकर लाठी चार्ज किया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मन्त्री श्री रमपाल सिंह, किसान सभा के मन्त्री सुरेश सिंह व सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बरबरतापूर्वक मारा-पीटा और कई लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसा दिया है।

टांडा भई दास पुलिस चौकी के इंचार्ज उमेश त्यागी ने 14 जून, 1985 को कई व्यक्तिओं को मार-पीट कर हड्डी तोड़ दिया और फर्जी मामले में फंसाया।

उपरोक्त घटनाओं से जनता में घोर असन्तोष व क्षोभ व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन द्वारा निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने की मांग करता हूं।

तत्कालीन संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा फैजाबाद की घटना की जुडीशियल जांच की घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

नियम 300 के अन्तर्गत आज चार सूचनाएं औचित्य के सवाल पर मुझे प्राप्त हुई हैं। एक तो दिनांक 6-4-1984 को डाक्टर अम्बार रिजवी ने सदन में कहा था कि फैजाबाद की घटना की जुडीशियल इंक्वारी की जायेगी। माननीय सदस्य इस विषय में औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं। इस संबंध में चूंकि जूडीशियल जांच जज के जरिये हो रही है, जांच आयोग बैठा है, यह प्रश्न आश्वासन समिति के समक्ष भी है, इसलिये इसमें औचित्य का प्रश्न मैं नहीं मानता हूं।

*श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। यहां आश्वासन दिया गया था 6 अप्रैल की कार्यवाही देख लें।

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय मैंने दे दिया है इसलिए सुनने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, जांच अभी शुरू नहीं हुई है। पुलिस एक पक्ष है उसके नाते मेरी बात सुन लें। पुलिस सारे साक्ष्यों को, प्रत्यक्षदर्शी जो साक्ष्य हैं, उनको मिटाने का काम कर रही है। तीन गवाहों की हत्या कर दी गई लेकिन उस दरोगा का ट्रान्सफर नहीं किया गया। डी0 एम0 का ट्रान्सफर हो गया लेकिन पुलिस कर्मचारियों का ट्रान्सफर नहीं हुआ जो जुडीशियल इंक्वायरी का पार्ट है वह दरोगा कहता है कि जुडीशियल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंक्वायरी के एक-एक साक्ष्य को मिटा दूंगा जब यहां से जाऊंगा। 198 गवाह हैं उसमें से 3 को मार दिया गया 7 के हाथ पैर तोड़ दिये गये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

जांच चल रही है, आप नियमों के अनुसार यदि कोई टर्म्स आफ रेफेरेन्स या प्रोसीजरल गलती है तो कह सकते हैं।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करना है, मान्यवर, मैं न्यायधीशों का सम्मान करता हूं। आप सहमत होंगे कि माननीय सदस्य को बड़ी पीड़ा है जिसको सुना लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि घटना से संबंधित दरोगा वहां रहे हैं और गवाहों को तोड़ ले तो क्या वहां की जांच निष्पक्ष हो पायेगी।

मान्यवर, आप शासन को निर्देश दे दें माननीय मुख्य मंत्री जो यहां बैठे हैं, कि क्या उन दरोगा को वहां रखना जुडीशियल इक्वायरी के लिये आवश्यक है। यदि नहीं तो उसको हटा देना चाहिए। यह बात मैं माननीय सदस्य की बात के साथ जोड़ना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

औचित्य के प्रश्न पर, आप नियमों को जानते हैं, यह प्रश्न श्री मित्र सेन उठाना चाहते हैं, लेकिन यह प्रश्न दूसरे नियमों में यहां उठा सकते थे, किन्तु औचित्य के प्रश्न पर जहां संविधान के अनुच्छेद जो संबंधित हों उन पर वार्ता कर सकते हैं। यहां जांच की बात है, आप स्वयं जानते हैं कि टर्म्स आफ रेफेरेन्स या प्रोसीजरल कोई गलती हो तो उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन उस पर भी नहीं। इसलिये श्री मित्र सेन औचित्य के प्रश्न पर जो बात कहना चाहते हैं उसको मैंने अस्वीकार किया।

वह और किसी नियम के अन्तर्गत इसे लायेंगे तो मैं उसकी तरफ शासन का ध्यान दिला सकता हूं। अब आप बैठ जायें। यह हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष पीठ से जो आप संरक्षण चाहते हैं, वह आपको मिलेगा। अन्य नियम में जब आप इसे रखेंगे तो आपको अवसर दिया जाएगा।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

दूसरा औचित्य का प्रश्न श्री काशी सिंह ऐरो जो का है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अंग्रेजी में कोई वाक्य पढ़ा था, उसके बारे में। मैं उसके बारे में कहूंगा, मैं उसके औचित्य के प्रश्न के रूप में मंजूर नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य और अन्य सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के सन्दर्भ में यह बात आई है जब अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में वह कोई बात कहा करें तो वह उसका हिन्दी अनुवाद कर दिया करें।

(व्यवधान)

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जो आज मुझे कल के अपने भाषण की प्रतिलिपि संशोधन करने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिली हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि केवल व्याकरण की त्रुटि को ही देख सकते हैं, लेकिन म कहना चाहूंगा कि जो कल हमने अपने भाषण में बातें कही हैं, वह पूरी की पूरी उसमें नहीं आती हैं और वह छोड़ दी गयी हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपने मुझे इसकी कोई अलग सूचना नहीं दी है, आप बिना सूचना के बोल रहे हैं। आप कृपया बैठें। आपका प्रश्न अलग से आयेगा। आप बैठें।

(व्यवधान)

इसका मौका आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त नहीं मिल सकता है। सुबह लिख दिया होता तो यह होता।

तीसरा श्री सत्यपाल सिंह यादव ने शाहजहांपुर में दो अधिकारियों के बीच मकान के आवंटन के झगड़े के बारे में दिया है। इसको यह नियम 300 से बन्धित करना चाहते हैं। इसमें किसी कांस्टीट्युशन के अनुच्छेद या नियमावली का उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए इसमें यह नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने इसको अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

आप नियमों के जानकार हैं, इसलिए इसको मेरे लिए सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह--

अब आप ही बता दें कि यह किन नियमों में आ सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो चेम्बर में कहने की बात है।

(व्यवधान)

* श्री सत्यपाल सिंह--

हमारे शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेटों का रवैया बिलकुल तानाशाही का हो रहा है। नगर मजिस्ट्रेट ने वहां एक इंजीनियर का सारा सामान उसके घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उससे सारे अधिकारियों में असन्तोष और रोष व्याप्त है। पिछली बार मेरठ में भी यही हुआ है।

(व्यवधान)

जहां वहां का एक अधिकारी जो एल0 एल0 बी0 का इम्तहान दे रहा था वह नकल करते पकड़ा गया। तो उसने भी एक इंजीनियर का सामान निकाल कर फेंक दिया

(व्यवधान)

इसलिए मैंने इस मामले को आपके माध्यम से उठाया है।

श्री अधिष्ठाता--

अस्वीकार हुआ। चौथा श्री कुशल पाल सिंह का है कि ग्राम्य विकास मंत्री का यह कथन कि जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है, गलत है। इसमें मैं भी आपसे यह कहूंगा कि यह भी अनुच्छेद और नियमों में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको अस्वीकार किया है।

श्री काशी सिंह ऐरी--

आप कृपया मेरी भी बात सुन लें..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए इसको मैं बाद में ही ले सकता हूं, आप अपने साथियों से पूछ लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (चतुर्थ संशोधन) (1) तथा (2) नियमावली, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचनाएं संख्या 5273-टी/30-4-25 केएम0-82-7-पी-84, दिनांक 21 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (चतुर्थ संशोधन) (1) तथा (2) नियमावली, 1985 को संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2420/12 सी-1-84-7 (13) 1979-यू0 पी0 एक्ट-11-66-रूल्स-1968-ए0एम0 (15)-1983, दिनांक 13 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचन संख्या 453 सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलधियों और पेंशन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने का) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2568-बी/33-2-70-जी/82-यू0 पी0 ए0-33-61-नियम-1963-संशोधन (3) नियम 1983, दिनांक 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश

†छापी नहीं गयी।

क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री--(श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2893-बी/33-2-67-जी/82-यू0 पी0 ए0-33-61-नियम-1962 ए0 एम0 (7वां)-1983, दिनांक 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना

†छापी नहीं गयी ।

संख्या 617-बी-33-2-68-जी/82-यू0 पी0 ए0 33 1961 नियम-(1962)-संशोधन (10)-1983, दिनांक 23 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (छठा संशोधन) नियमावली, 1983†

†ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 615-बी/33-2-66-जी/82-यू0 पी0 ए0-33-1961-निगम-1962 संशोधन(6)-1983, दिनांक 23 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (छठां संशोधन) नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला

†छापी नहीं गई ।

परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा-237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्रांम्य संवर्ग) (चौथा संशोधन) नियमावली, 1984†

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतीराज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 5261-बी/33-2-213-जी/84-यू0 पी0 एक्ट-33-1961-नियम-1966 संशोधन (4)-1984, दिनांक 27 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्रांम्य संवर्ग) (चौथा संशोधन) नियमावली, 1984 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(श्री गुलाब सिंह एवं श्रीमती सुखदा मिश्रा द्वारा राज्यपाल दीर्घा में बैठे हुए कुछ अधिकारियों से बातचीत करने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, उधर देखिये गवर्नर लाबी में बैठे अधिकारी से दो-दो मंत्री बात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी निगाह गवर्नर लाबी की तरफ ज्यादा रहती है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, जब सबकी निगाह उधर ही रहती है, तो इनकी भी उधर ही रहती है ।

†छापी नहीं गई ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, शासन पर निगाह रखी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985†

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1844-बी/33-2-243 जी-82-यू0 पी0 एक्ट-33, 1961-नियम-1979 संशोधन (1)-1985, दिनांक 18 जून, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन समय से सदन के पटल पर न रख जाने पर आपत्ति

(नियम संख्या-121 लिये जाने पर)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में हमारी वैधानिक आपत्ति है । मान्यवर, यह जो वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गई ।

पटल पर रखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(6) को देखने की कृपा करें। मान्यवर, इसमें लिखा है लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मान्यवर, धारा (7) को भी देख लें, 7 में लिखा हुआ है—उप धारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे। लेकिन मान्यवर, वार्षिक प्रतिवेदन के बजाय यह 1981 का प्रतिवेदन आया हुआ है। यह 1981 का प्रतिवेदन क्यों आया हुआ है? इसका कारण यह है कि यह जो प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 पर है, आप देख लें: इसका पृष्ठ जो प्रारम्भिक है, उसके पृष्ठ 2 पर मैं केवल बीच की दो पंक्तियां पढ़ देता हूं। दुर्भाग्यवश यह कार्यालय भी विभागीय विलम्ब से अछूता नहीं रहा। आगे कहते हैं, सम्बन्धित सरकारी विभागों से मांगे गये, उत्तर, टीका एवं अन्य सामग्री बहुधा समय से प्राप्त नहीं होती और उसमें विलम्ब होता है। अब मान्यवर, देखें, मेरी बिलकुल निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन के पास 2 मंत्रियों तथा वरिष्ठ राजकीय अधिकारियों के खिलाफ लोक आयुक्त की तरफ से इनसे रिपोर्ट मांगी गयी है। जो राजकीय अधिकारी हैं उनके बारे में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी जाती है। मंत्रियों और विधायकों के बारे में मुख्य मन्त्री से रिपोर्ट मांगी जाती है। लेकिन मान्यवर, हमने प्रतिवेदन पढ़ा है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 जिस मंशा से बनाया गया है, वह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका उन्मूलन करने के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोकायुक्त अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि शासन समय से कार्यवाही करने के लिए, लोकायुक्त को यथा समय जानकारी नहीं देते हैं।

1981 की रिपोर्ट सदन के पटल पर अब प्रस्तुत की जा रही है, जबकि 1984 की रिपोर्ट अब 1985 में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। मान्यवर, यह प्रशासनिक शिथिलता नहीं तो और क्या है? मान्यवर, जानबूझ कर लोकायुक्त की संस्तुति को निष्प्रभावी करने के लिए, वरिष्ठ मन्त्री परिषद् के सदस्यों तथा वरिष्ट राजकीय अधिकारियों के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए रिपोर्ट नहीं दी जाती है। मान्यवर, पिछले सत्र में एक मामला माननीय मन्त्री जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता खिलाफ उठाया गया था। उसमें लोकायुक्त ने कहा था कि इस मन्त्री जी पर भाई-भतीजावाद के आरोप सिद्ध हो गये हैं। इसमें पूछने पर उत्तर आया था कि कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैंने पूछा इसमें क्या कार्यवाही की गई है, तो मुख्य मन्त्री जी ने मुस्करा कर कहा, उनका विभाग बदल दिया गया है। मान्यवर, वह पहले गन्ना विकास विभाग के मन्त्री थे उसके बाद उन्हें पर्यटन का मन्त्री बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या विभाग बदलना ही कार्यवाही है? मान्यवर, समय से जानकारी लोकायुक्त को नहीं भेजी जाती है, इस लिए लोकायुक्त की संस्तुति निष्प्रभावी होती जा रही है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जो प्रश्न उपस्थित किया है, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने, वह बहुत उपयुक्त प्रश्न है। मान्यवर, नियमों में साफ-साफ लिखा है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। लोकायुक्त का जो उद्देश्य है वह पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, लोकायुक्त की पंड़ा प्रतिवेदन में दिखाई दे रही है कि 1981 तक तो प्रचार के लिए उसको पैसा दिया गया, लेकिन उसके बाद प्रचार हेतु पैसा उसे नहीं दिया गया । अधिनियम के मुताबिक उपलोकायुक्त का गठन होना चाहिये था, लेकिन 1975 से आज तक उप लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका है । पिछले दो महीनों में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट को शासन के पास भेज दिया है, लेकिन शासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । तो मैं समझता हू कि जो प्रतिवेदन है, यह नियमों का पालन नहीं करता है ।

साथ ही साथ यह प्रतिवेदन अपने आप में अधूरा इसलिए है कि जो जांच रिपोर्ट भेजी है वह मन्त्री के सम्बन्ध में है, विधायक के सम्बन्ध में है, करीब दो दर्जन राजपत्रित अधिकारी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिन पर प्रथम दृष्टया में भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोकायुक्त इन्तजार कर रहे हैं कि कोई कार्यवाही हो। जो शिकायत प्राप्त हो रही हैं, उन पर लोकायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर कार्यवाही न होने की वजह से वह अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं । सरकार बजट के जरिये उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। यह जो प्रतिवेदन है यह अपने आप में अधूरा है । मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह से लोकायुक्त कार्यालय को चलाना है कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्यवाही होनी हो न हो तो लोकायुक्त कार्यालय बन्द कर दें । मैं तो कहूंगा कि लोकायुक्त कार्यालय लोपयुक्त हो गया है, लोप हो गया है । यह कोई प्रभावशाली कार्य नहीं कर पा रहा है । नियम 21 में प्राविधान है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जायेगा तो नियम 216 के उपनियम (4) के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है । मेरी गुजारिश है कि इस पर चर्चा अवश्य करायें । इस प्रतिवेदन पर चर्चा करना सदन का दायित्व है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना चर्चा कराये इसको पारित न होने दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मुझ भी सुन लें ।

श्री कल्याण सिंह—

दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

जो कानूनी पाइन्ट उठाया है, उसी के अन्दर सीमित रहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जो लोकायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है । यह इतनी वेदना की बात है राजपत्रित अधिकारी, सीनियर मोस्ट आफिसर, मन्त्रीगण और विधायक जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और भ्रष्टाचार से ओतप्रोत हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिये लोकायुक्त की स्थापना की गयी । भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय लोकायुक्त कार्यालय को यह मंत्रिपरिषद् निष्क्रिय बना रहा है । लोकायुक्त को मजबूत बनाने के बजाय अपंग बनाया जा रहा है । इस लिए अपंग बनाया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगे बल्कि प्रोत्साहन दिया जाय । राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ जो टीका मांगी गयी वह निर्धारित समय में नहीं भेजी गयी। मन्त्री के खिलाफ जो आरोप थे, उनके सम्बन्ध में टीका समय से नहीं भेजी गयी। जो वित्तीय कठिनाई थी, उसको पूरी न करके, लोकायुक्त कार्यालय की जो सक्षमता होनी चाहिये थी, उसकी सक्षमता पर चोट की गयी है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नियम 216(4) के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा तब होगी जब प्रजेन्ट कर दें और आप चर्चा की मांग करें । अभी ले डाउन होने दीजिये । जो डिले हुआ है, जिसके बारे में श्री राजेन्द्र गुप्त ने कहा उसी के सम्बन्ध में कहें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा केवल एक निवेदन है । मन्त्री जी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । 216(4) में...

श्री हुकुम सिंह—

प्रस्तुत नहीं हुआ है, चर्चा हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्वाइन्ट आफ आर्डर में कुछ कहा जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह—

ले लिया जा सकता है या नहीं । इसमें संवैधानिक कठिनाई हो तो कहा जा सकता है । प्रस्तुत हुआ नहीं सारी बहस हो चुकी

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

हमें अधिकार है कि सदन के सामने प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद् की ओर से सदन के पटल पर रखा जाय । आप देखें बाकी तीन प्रतिवेदन अभी नहीं आ पाये हैं । उसका क्या कारण है । आप मंत्रिपरिषद् को निर्देशित करें कि तीनों प्रतिवेदन इसी बजट सत्र में प्रस्तुत करें । जब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत हो तो जैसा शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा नियम 216(4) में चर्चा होगी । चूंकि चर्चा को मांग रखा दिया है, इसलिये बहस करानी चाहिये आप निर्देशित करें । प्रस्तुत करने में मेरा विरोध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी आपत्ति को अस्वीकार करते हुये मैं प्रस्तुत करने की बात स्वीकार करता हूं ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि का)†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि का) स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

[1 बजकर 20 मिनट]

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, नियम 216(4) के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त उस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह समितियों के लिये है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, यह इस पर भी लागू होगा जैसे जो आपका नियम है, उसमें विधान सभा का उपवेशन और समिति का उपवेशन दोनों को एक ही मान लिया गया है । इस तरह से इसको भी आप उसमें शामिल कर लें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सूचना लिखित रूप से भेज दें। हम उस पर बात करके विचार करेंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आपको मैं सूचना दे रहा हूं मौखिक रूप से, लिखित रूप से भी दे दूंगा । आप इस पर चर्चा करा दें ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भंडार केन्द्रायित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 2663/12 सी-3-10 (1) 82 यू0 पी0 ए0-11-1966 नियमा0-1976-संशोधन (1)-1982, दिनांक 25 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भंडार केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983, जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984†

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 3227/15-6-84-10 (8)-79, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1984†

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-6 की अधिसूचना सं0 698/15-6-84-18 (111)-82, दिनांक 13 जून, 1984 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1984 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं

आबकारी अनुभाग-2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 2906†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग-2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2906 ई-2/तेरह-37 (1)-84, दिनांक 22 जुलाई, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904

†छापी नहीं गयी।

की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आबकारी अनुभाग-2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या 2907†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग-2 की दिनांक 22 जुलाई, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2907 ई-2/तेरह-37 (1)-84, दिनांक 22 जुलाई, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छठवां संशोधन) नियमावली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2870-ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 22 जुलाई, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (छठवां संशोधन), नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी ?

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) नियम वली, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2871-ई-2/तेरह-503-83, दिनांक 22 जुलाई, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

सीतापुर जिले की रहिमाबाद पम्प कैनाल के कमाण्ड को खारिज कर पुनः शारदा नहर खंड में मिलाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी एजेंडे में सीरियल में कुछ फर्क हो गया था इसलिये 21 के बाद 21--क करके पूरा कर दिया गया ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सीतापुर जिले की रहीमाबाद पम्प कैनाल के कमाण्ड को खारिज कर पुनः शारदा नहर खंड में मिलाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार मिश्र, सदस्य, जिला परिषद्, सीतापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से याचिका पढ़ देता हूं ।

आदरणीय सदन, विधान सभा, उत्तर प्रदेश याचिका विनम्र निवेदन है कि--

1--यह कि सीतापुर जिले में रहीमाबाद पम्प कैनाल बनी हुई है, जिससे कि काफी क्षेत्र सींचे जाने की व्यवस्था है । परन्तु बिजली की समय पर आपूर्ति न होना तथा यान्त्रिक गड़बड़ी होने के कारण पम्प अपने निर्माण से अब तक आवश्यक क्षमता पर नहीं चल सका ।

2--यह कि इस कैनाल के कमाण्ड का क्षेत्र पहले शारदा नहर से सींचा जाता था और कई हजार सुविधानुसार पानी पाते थे । अब पम्प नहर बन जाने से शारदा ने पानी देना बन्द कर दिया है ।

3--यह कि क्षेत्र में किसानों की बरबादी को ध्यान में रखकर सीतापुर जनपद की 20 सूत्री कार्यक्रम की कार्यान्वयन समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा शासन से मांग की है कि रहीमाबाद पम्प कैनाल का यह क्षेत्र पुनः शारदा को वापस कर दिया जाय ।

4--यह कि कुछ दिन पूर्व सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता महोदय ने इसका निरीक्षण किया और उनका भी यह मत रहा कि इस एरिया को शारदा को वापस कर दिया जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

राजेन्द्र गुप्त जी, इस याचिका को केवल प्रस्तुत किया जाता है, इसे पूरा यहां पढ़कर आगे वक्तव्य नहीं दिया जाता है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज कार्य-स्थगन की 25 सूचनाएं मेरे पास आयी हैं । जिन लोगों ने सूचनाएं दी हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूं :--

(1) श्री राजेन्द्र गुप्त जी, (2) श्री फजलुल बारी, श्री कल्याण सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अवनीश कुमार सिंह, (3) श्री राम सरन, (4) श्री सत्यपाल सिंह जी, (5) श्री किरन पाल सिंह जी, (6) श्री राम नरेश तथा श्री शारदा प्रताप जी, (7) श्री कौशिक रमा शंकर जी, (8) श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री मत[illegible]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रसाद पाण्डेय, श्री मित्रसेन तथा श्री त्रिलोक चन्द्र जी, (9) श्री सरदार सिंह जी, (10) श्री भोपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, डा0 बंगाली सिंह, श्री बलराम यादव, श्री किरन पाल सिंह, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री मोहम्मद मसूद खां तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी आदि, (11) श्री मनोहर लाल जी, (12) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी, (13) श्री मित्रसेन, श्री अफजाल अंसारी तथा इकबाल अहमद साहब, (14) श्री बुनियाद हुसैन अंसारी साहब, (15) श्री अकबर हुसैन बावर, श्री राज किशोर सिंह, श्री रमाकान्त, श्री काजी कलीमुर्रहमान, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री शारदा नंद अंचल, श्री दीप चन्द्र, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री राम सागर तथा श्री सुखपाल पाण्डे जी आदि, (16) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी, (17) श्री गौरी शंकर भइया, (18) श्री राम आसरे वर्मा, (19) श्री हृदय नारायण दीक्षित, (20) श्री शतरुद्र प्रकाश, (21) श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विष्णु देव जी, (22) श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी, (23) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी, (24) श्री औसान सिंह, किशन लाल दिलेर, अवनीश कुमार सिंह व श्री धनराज यादव जी और (25) श्री सूर्य प्रताप शाही जी।

इनमें से मैंने श्री राजेन्द्र गुप्त जी और अन्य साथी, श्री भोपाल सिंह व अन्य साथी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व अन्य, श्री अकबर हुसैन बावर और अन्य साथी, श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री शतरुद्र प्रकाश को सुनने के लिये मैंने स्वीकार किया है।

श्री राम सने--

यह जो सूचना एकत्र करते हैं माननीय, इसमें विषय तो बता दिया करें कि किसका क्या विषय है।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है। जिस पर सुनना है, पहली सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त की सहारनपुर के दंगे में 7 लोगों के मरने तथा 50 के घायल होने के सम्बन्ध में है। इस पर माननीय सदस्य को सुनना है। दूसरी मेरठ में भू-जल स्तर नीचे गिरने के सम्बन्ध में श्री भोपाल सिंह व अन्य की है। तीसरी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, टाउन एरिया भाटपार रानी, देवरिया में थानाध्यक्ष की साजिश से कब्रिस्तान जोतने के बारे में है। चौथी, श्री अकबर हुसैन बावर व अन्य की, रामा शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर के श्रमिकों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसके बाद श्री शतरुद्र प्रकाश की, बाबतपुर हवाई अड्डे पर सोमालिया के राजनयिक की तस्करी एवं जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र गुप्त जी की बात सुनने से पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि यह बड़ा संवेदनशील मामला है। इसलिए चाहूंगा कि उसके फैक्ट्स में जाकर, कोई ध्यानाकर्षण की बात हो, तो उसे कहें ताकि मेलजोल बढ़े न कि उससे कोई और नुकसान हो।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मुझे माननीय, दुख प्रकट करना है इस बात का कि मुख्य मंत्री जो कि संयोग से गृह विभाग के प्रभारी हैं, जैसे ही यह विषय चर्चा के लिये यहां आया, वे यहां से उठकर चले गये। यह बहुत दुख की बात है। हम लोग आपके कार्यालय में किसी विषय की बाबत उस सूचना को प्रति 10 बजे तक इसलिए उपलब्ध कर देते ताकि वे सम्बन्धित मंत्री जी को दे दी जाय।

मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी थी कि सहारनपुर की बाबत एक संवेदनशील मामला कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आ रहा है । उनका यहां से चला जाना अत्यन्त चिंताजनक है । मैं उसकी भर्त्सना करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

उनके यहां से जाने की बात को जाने बिना, आप भर्त्सना की बात कैसे कह सकते हैं ।

*संसदीय राज्य कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

म माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी सूचित करना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन से बचने के लिए नहीं बल्कि सहारनपुर की स्थिति का खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जी तुरन्त सहारनपुर गये हैं ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

हेलीकाप्टर से गये होंगे, लेकिन अगर 15 मिनट बाद गये होते तो वहां भी जायजा लेने में आसानी होती ।

मान्यवर, सहारनपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की विफलता के कारण यह दुखद घटना घटी । यहां कोई हिन्दू-मुस्लिम का मामला नहीं है । मान्यवर, चिलकाना रोड पर अगल-बगल में दो धर्म स्थल हैं, एक मस्जिद है और एक हिन्दू की धर्मशाला है । वहां के प्रतिष्ठित जो नेता लोग थे, उन्होंने यह तय कर लिया कि वह धर्मशाला की दीवार ऊंची कर ली जायेगी । लेकिन, समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व विद्यमान हैं जो हमारे मेल-मिलाप को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं । आपका जो यह पुलिस प्रशासन है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण यह घटना वहां पर घटी, आपका यह प्रशासन समाज में विकृत पैदा करना चाहता है । पुलिस प्रशासन को एल0 आई0 यू0 के माध्यम से इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, पुलिस को इस बात की जानकारी पहले से थी कि इस संवेदनशील मसले पर समझौता हो जाने के बाद भी एक काम होने जा रहा है । परन्तु आपकी पुलिस सतर्क नहीं थी, जबकि उसको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए था । दो धर्म गुरुओं ने समझौता कर लिया, मगर कुछ लोग हवा फैलाते हैं कि वहां पर अवैधानिक रूप से दिवाल गिराई जा रही है । पुलिस वहां पर नहीं गई ।

सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि पुलिस ने जब भीड़ पर आंसू गैस व लाठी चार्ज किया तो जो लाशें वहां पाई गयीं, वे भीड़ के हट जाने के बाद पाई गई । आपके पास जो जानकारी है, वह 5 लोगों की है, मगर मेरे पास 7 लोगों की जानकारी है । अगर आपका प्रशासन किंचित दूरदर्शिता से भी काम लेता तो यह घटना वहां पर न होती । इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? इस पूरे काम में प्रशासन विफल रहा है इस मामले पर हम सबको पार्टी से ऊपर उठकर सौहार्दता से काम करना है । इसमें दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मैं आशा करता था कि इस मामले पर सरकार को अब तक जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर देनी चाहिए थी, परन्तु उसने वह नहीं किया । मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस पर आप आज कार्य-स्थगन के माध्यम से चर्चा करवाने की कृपा करें ।

(श्री कल्याण सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने श्री राम सरन जी को बुला लिया है, क्योंकि यह मामला उनके शहर का है ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह जो घटना हुई है वह शहर सहारनपुर की है । यह जो सहारनपुर में जो घटना हुई है, इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

तो मेरा सर शर्म के मारे आपके व इस आदरणीय सदन के सामने झुका जा रहा है । हम वहां पर सभी सम्प्रदाय के लोग बड़े प्रेम से रहते थे और एक दूसरे के त्यौहारों को भी बड़े प्रेम से मनाते थे । यदि कभी कोई मामला होता भी था तो उसे आपस में बैठकर तय कर लेते थे । वहां पर मस्जिद के मौलाना साहब व मन्दिर के पुजारी साहब ने कोई बात तय कर ली, उसके बाद भी जो यह घटना हुई, उनमें निश्चित ही कोई न कोई साजिश अवश्य है । यह साजिश शासन की है और प्रशासन की है ।

मेरी निजी जानकारी है कि यह मामला सहारनपुर का नहीं है बल्कि सरकार की तरफ से फैलाया गया है । हर मुद्दे पर यह सरकार फेल हो गई है । यह सरकार हर मुद्दे पर जनता का डाइवर्सन चाहती है, जब ये लोग आर्थिक दृष्टि से और महंगाई रोकने में फेल हो गयी हैं । ला एण्ड आर्डर में फेल हो गये हैं । गुप्ता जी ने जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कही । मैं यह चाहता हूं कि, जैसा कि अभी माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये हैं, सदन का एक-एक सदस्य वहां पर हर दल का भेजा जाय और स्थिति का पता करें । सदन की एक कमेटी बनाई जाय, जो 2-3 दिन में अपनी रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत करे । अधिकारियों की साजिश की वजह के यह घटना वहां पर हुई है, यह मैं गारन्टी के साथ कहना चाहता हूं । असलम साहब यहां पर इस समय नहीं हैं । मन्त्रिमंडल के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिये । सरकार जो साजिश कर रही है, इसमें वह सफल नहीं हो पायेगी । यह सरकार हर चीज में विफल हो गई है । सहारनपुर में जो यह घटना हुई है इसमें सरकार व प्रशासन का हाथ है ।

श्री अधिष्ठाता—

सहारनपुर से इस मामले का ताल्लुक था, इसलिए मैंने उनको विशेष समय दिया । कल्याण सिंह जी आप बैठ जायं । श्री राम सरन जो अब आपकी बात भी समाप्त हो गयी है, कृपया आप भी बैठ जायं ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, इस प्रकार की घटना सारे देश में हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री राम नरेश—

हमने भी इस सम्बन्ध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है और आपसे कुछ...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम नरेश जी, आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और मैंने यह फैसला इस पीठ से, आप सब लोगों की सहमति से दिया है कि एक विषय पर एक सदस्य को, क्योंकि हम 5, 6, 10 तक ले लेते हैं, तो उन्हें सुना जाय और जिस क्षेत्र का मामला हो तो वहां के सदस्यों को भी एक-आध मिनट दिया जा सकता है । इसलिए इस समय नहीं...

(व्यवधान)

श्री राम नरेश—

यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है । सचमुच जिस तरह से यह घटना घटी है वह बहुत ही दुखद और चिन्तनीय है और सारा सदन उस घटना को समाचार-पत्रों में पढ़ने के बाद दुखित है इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सारे सदन के सहयोग से उसे विश्वास में लेकर कि कहीं दूसरी जगह उसकी आंच न आने पाये, मुख्यमंत्री जी और संसदीय मंत्री जी बैठे हैं, उनसे वक्तव्य दिलवाने का कष्ट करें ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मुहम्मद आजम खां—

ऐसे विषय को मान्यवर, ऐसे टालेंगे...

श्री अधिष्ठाता--

जो गम्भीरता है मैं उसको नहीं टालता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सुनने के बाद...

(श्री किरनपाल सिंह, श्री फजलुल बारी, श्री मुहम्मद आजम खां आदि खड़े होकर लगातार बोलने लगे)

श्री फजलुल बारी--

[***] ।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह का आक्षेप आप नहीं लगा सकते ।

*श्री फजलुल बारी--

आप मेरी सलाह तो सुन लें । इससे सरकार को सहायता ही होगी । हर दल का एक आदमी वहां चला जाय, हम सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश में शान्ति रहे, इस देश में अच्छी तरह से सारा काज-काज चले लेकिन सहारनपुर में पुलिस ने जो कुछ किया है उस की जांच हो जाय, जनता को मालूम हो जाय ।

मान्यवर, स्थिति को जानने के लिये....

श्री अधिष्ठाता--

पहले मन्त्री जी की बात तो आ जाने दीजिये ।

श्री फजलुल बारी--

इससे सरकार को आसानी हो जायगी ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, सहारनपुर की स्थिति के बारे में जो चिन्ता माननीय गुप्त जी ने और माननीय राम सरन जी ने व्यक्त की और चिन्ता करते हुए इस बात का भी एहसास किया कि वहां की स्थिति को सुधारने के लिये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ करना चाहिये । आज जो जानकारी उपलब्ध है यदि आप जानना चाहते हैं तो प्रस्तुत कर दूं, उसके बाद जो निदेश होगा, पालन किया जायगा । कल जैसे ही जानकारी मिली आपके निदेशानुसार मौके पर सबसे पहले जानकारी सदन के सामने प्रस्तुत की । आज जो जानकारी मिली है कल से लेकर अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और स्थिति नियन्त्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है, इसलिये कर्फ्यू भी है, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गयी है । मण्डल के आयुक्त और डी0 आई0 जी0 वहां पर हैं ।

जहां तक आपने जो सुझाव दिया है विधायकों के वहां पर जाने का तो राम सरन जी, आपका सहयोग वहां पर हो सकता था, हम स्वागत करते अगर आप जाते । वैसे यहां से सुरेन्द्र कपिल जी वहां मौके पर गये और वह भी स्थिति को सुधारने में लगे हुये हैं । मुझे विश्वास है कि आप लोगों की शुभकामनाओं से स्थिति, जो अवांछित तत्वों के कारण बिगड़ गयी थी, शीघ्र ही ठीक हो जायगी । रही पुलिस की बात तो राम सरन जी हमारे वरिष्ठ साथियों में से हैं, लेकिन कभी-कभी जोश में आकर बोल जाते हैं कि असफलताओं के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने करा दिया । आप सहारनपुर में जायेंगे तो आपको जानकारी मिल जायगी । जैसे ही स्थिति में तनाव पैदा हुआ, पुलिस गयी और कन्ट्रोल करने की कोशिश की और यह पुलिस के कन्ट्रोल करने का ही परिणाम था कि स्थिति आगे नहीं बिगड़ने पायी । पुलिस

फार्यारिंग भी हुई, जिसकी कि मैजिस्टे-रियल इन्क्वायरी के आदेश दे दिये हैं। मैं इसके बारे में एक शब्द भी सदन में नहीं कहना चाहता कि फार्यारिंग जस्टीफाइड थी या नहीं। मैजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी के बाद यदि कोई कमी प्रशासन की पायी जाती है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

श्री हुकुम सिंह---

मेरे बोलने में कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है फिर व्यवस्था कैसी? यह तो व्यवधान है, व्यवस्था नहीं है। मैं अभी खड़ा हुआ हूं, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

इस घटना का उल्लेख नहीं होगा, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

(संसदीय कार्य राज्य मन्त्री के बैठ जाने के उपरान्त)

हमारे यहां प्रशासनिक व्यवस्था है कि अगर किसी अधिकारी के आचरण के खिलाफ जांच होनी है तो ऊंच स्लेब से होनी है। जो शिकायत कर रहे हैं उसमें एस0एस0पी0 की विफलता का है, जांच करेंगे एस0 डी0 एम0। आप स्वयं सोच लें कि एस0 डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 से ऊपर की रैंक के हैं या नीचे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसका इनवाल्वमेन्ट है, उसकी इन्क्वायरी करेगा एक नीचे का अधिकारी। इसी-लिये जुडीशियल इन्क्वायरी का आग्रह किया था। डिपार्टमेन्ट से भिन्न व्यक्ति हो, तब तो जरूर कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है। आप बैठें।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी।

(श्री शतरुद्र प्रकाश को अनुमति दिये जाने पर)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं बड़ी विनम्रता के साथ नियम 58 की ओर, जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन और कार्य-स्थगन के बारे में सफ लिखा हुआ है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे कि नियम 56 के बारे में परम्परा है, इसकी ग्राह्यता के बारे में आप सुन लें। मान्यवर, कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे। तो यह एक ही प्रस्ताव है। दूसरा है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। तो यह एक ही विषय है और बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरा है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी घटना या निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा, तो मान्यवर, यह कल या परसों की घटित घटना है। चौथा है कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा, तो यह कोई विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा रहा है। पांचवा है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा नहीं हुई है। नम्बर 6 पर है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के समक्ष आने की सम्भावना है, तो अब ऐसी कोई सम्भावना भी नहीं है । सातवीं है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके, तो ऐसी भी कोई बात इसमें नहीं है ।

मान्यवर, मैंने आपके सामने ग्राह्यता की सब शर्तों को पेश कर दिया । विषय के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । विषय बहुत नाजुक है यदि इस पर आरोप प्रत्यारोप चर्चा के दौरान शुरू हो जायेंगे तो स्थिति और भी नाजुक हो जयेगी । लेकिन पिछली बार जब भी यहां इस प्रकार का विषय आया है तो सदन में एक या दो घंटे की उस पर चर्चा करायी गयी है । यदि आपको यहां कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को लाना है, तो देखना होगा कि कोरम का 1/10 इसका समर्थन करें । यदि आपको इसे देखना है तो आप इसे देख लें । यदि आपको यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि यहीं बहस के दौरान बात करने से सहारनपुर की स्थिति और बिगड़ेगी तो इसके लिये आप कैमरा डिस्कशन करा सकते हैं । मसला क्या है कि यह जो साम्प्रदायिकता है यह बहुत जहरीली चीज है । इस आदत को जब तक दिमाग नहीं साफ होगा तब तक दूर नहीं किया जा सकता है । तो मैं चाहूंगा कि ग्राह्यता की जितनी शर्तें हैं उसको देखते हुये और जो सदन की भावना है इसको भी देखते हुये, इस विषय पर कार्य रोक कर चर्चा करायी जाय । यह चर्चा आज ही नहीं हो जायेगी, इसके लिये समय निर्धारित किया जायेगा ।

आपको याद होगा कि सन् 1977-78 में आप हमारे साथ हुआ करते थे, तो ऐसे एक विषय पर मेरठ के बारे में आपने मेरा साथ दिया था और मेरठ की घटना के बारे में मेरे साथ आपने भी हस्ताक्षर किये थे ।

श्री अधिष्ठाता --

मैंने संसदीय कार्य मन्त्री को बुलाया था और उनकी बात को सदन सुन रहा था । इसी बीच में माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैंने दो सदस्यों को, माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी को और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी का सुन लिया । मेरा आपसे यह कहना है कि पहले आप संसदीय कार्य मन्त्री का अपनी बात पूरी कर लेने दें । इससे पहले कि मैं अपना निर्णय दूं, मैं संसदीय कार्य मन्त्री को सुनना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है ।

श्री अधिष्ठाता--

स्पष्टीकरण बाद में हो जायेगा ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, ऐसे टालने से रोग बढ़ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सम्भावना के विषय में बात न करें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मेरा दिमाग साफ है । हमारी बहस से वहां कोई नुकसान नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हम लोगों का दिमाग साफ है, हम लोग परिपक्व हैं । मान्यवर,..

(व्यवधान)

पुलिस प्रशासन बुरी तरह से सोया हुआ था ।...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप, किस तरह माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं, वह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । आप नियमानुसार ही कहें । आप बैठें ।

श्री किरन पाल सिंह--

चर्चा का मौका दे दें । एक मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय आपको मौका नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायें ।

श्री किरन पाल सिंह--

एक स्पष्टीकरण कर लूं ।

श्री अधिष्ठाता--

जब मंत्री जी अपनी बात कह लें, तब आपको स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

आपका यह कहना कि मैं नहीं सुनूंगा, यह ठीक नहीं है । मैं अपनी बात कहूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

यह ठीक नहीं है । अगर आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो मैं समय दूंगा, लेकिन इस समय आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप पिछली विधान सभा में भी रह चुके हैं और नियमों को जानते हैं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री आजम साहेब, पहले इन्हें अपनी बात कहने दें, फिर आप कहें । जब तक उनकी बात पूर्ण न हो जाये तब तक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है । वह अपनी बात को खतम कर लें और जिस मद पर आप स्पष्टीकरण चाहेंगे, उस पर हो जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

एक मिनट का मौका दे दें ।...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समय को देख लें और आपकी भावनाओं को देखते हुये, जो नोटिस दिया है, उस पर कोई बात यह कह दें । बैठ जायें, आप । इनको एक मिनट का मौका दे दूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय मंत्री जी की बात को रोक कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है और आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

वह अपनी बात कह लें, फिर आप कहें ।

श्री मुईद अहमद --

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।...

श्री किरनपाल सिंह--

मंत्री जी को भी चाहिये कि वह सुनें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, एक जगह का मामला आया है और वह संवेदनशील मामला था...

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ...

(व्यवधान)

(दोनों पक्षों के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं । बाद में कोई बात आयेगी तो मैं आपको समय दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

जिस वक्त मौका आयेगा, मैं आपको बुला लूंगा ।

(श्री किरनपाल सिंह तथा विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

वह नहीं लिखा जायेगा जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं । आप लोग कृपया बैठ जायं । शांत रहे ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, चर्चा के लिये माननीय सदस्यों ने कहा। मैं निहायत अदब के साथ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किस विषय को लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं । कोई जानकारी जो उपलब्ध नहीं है और चर्चा का उद्देश्य यह बताया जायेगा कि खड़े होकर प्रशासनिक अधिकारियों को आरोपित कर सके तो यह उचित नहीं है ...

(व्यवधान)

जो कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी वह मैंने बता दी और सारी जानकारी दे दी । लेकिन हम बिना किसी आधार के और पूरे तथ्यों की जानकारी किये बगैर प्रशासनिक अधिकारियों को आरोपित नहीं करेंगे । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर अभी चर्चा न करायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

उनके भाषण के बाद मुझे निर्णय देना है । ..

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

माननीय नेताओं ने जो बात रखी और नियमों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बाद मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। उस पर जो निर्णय हो, तब आप कोई बात कहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि विपक्ष केवल प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आरोपित करने के लिए चर्चा की मांग करना चाहता है और उनको कोई जानकारी नहीं है...

श्री हुकुम सिंह--

मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा कि माननीय सदस्यों के पास अभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी नहीं है इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर अभी चर्चा न कराई जाय और चर्चा करने में कोई उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है ।

* श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, आपने मुझसे कहा था कि मंत्री जी के उत्तर के बाद कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो आप समय देंगे। मान्यवर, मैं घटना के ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है और इस सदन में वह कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे वह और बढ़े। ऐसा कदम उठाया जाय जिससे शांति बनी रहे और परस्पर सौहार्द बना रहे। कोई उत्तेजना की बात माननीय सदस्यों ने नहीं उठाई। हम शासन के साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं।

मान्यवर, तीन चीजें हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि हम मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं। मामला यह है कि पुलिस वहां पर कितनी थी। दूसरी बात यह है कि मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है क्योंकि मैंने सहारनपुर से टेलीफोन पर पता किया है। वहां से डाक्टर पन्ना लाल ने बताया कि वहां पर दंगा होने जा रहा है, भीड़ इकट्ठा होने जा रही है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनकी वहां के पुलिस एस0 एस0 पी0 से बात हुई। उन्होंने एस0 एस0 पी से कहा कि यहां पर खून हो जायेगा, आप तुरन्त आ जायं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहा धोकर आ जाऊंगा। लोग वहां पर खून से नहा रहे थे और वे अपने यहां नहा धो रहे थे।

मान्यवर, इस मामले के सम्बन्ध में केवल दो ही विकल्प हैं या तो आप इसकी खुली जांच करवा लें यह इसलिए आवश्यक है कि हम नहीं चाहते हैं कि यह कोई दलगत राजनीति का मुद्दा बने और है भी नहीं, यह मानवता का मुद्दा है। एक-एक प्रतिनिधि सब पार्टीज का लेकर कमेटी बना दें जो वहां जायेंगे तो वातावरण ठीक होने में सहायता मिलेगी। मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ कहना ही चाहते हैं। हां, जहां-जहां खामियां हैं, उसमें हमारा हक है कि हम उसकी आलोचना करें और शासन को सुझाव दें। पुलिस सब कुछ करती जाय और सरकार की ओर से लगातार यह उत्तर होता जाय कि हम आलोचना कर रहे हैं और उसको यह संरक्षण देते जायं। वहां मैजिस्ट्रीरियल जांच से सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं हो सकता है। या तो आप जुडिशियल इनक्वायरी करायें या फिर इस माननीय सदन के सदस्यों की समिति बना दें जो इसकी जांच करे इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने स्पष्टीकरण की बात कही आपने स्पष्टीकरण नहीं होने दिया, व्यवस्था का प्रश्न किया, आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं होने दिया। मैं अब यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप स्पष्टीकरण और व्यवस्था का प्रश्न शक्ल देख कर मानते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

तब तो मैं आपकी शक्ल देख कर फौरन मान जाता।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं स्पष्टीकरण और व्यवस्था का प्रश्न एक साथ कर रहा हूं। कल सरकार ने सूचना दी थी कि वहां पर 5 लोग मारे गये और छुरेबाजी की शिकायतें आ रही हैं और स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। बाद होगा जब जनता पार्टी की सरकार थी तब अलीगढ़ में हुए दंगों में उसी दिन प्रधान मंत्री वहां पहुंचे। अगर बहुत दूर नहीं जाते तो जनता सरकार की उस मिसाल को मद्देनजर रख कर ही चले गये होते। आज तीन दिन हो गये, प्रदेश के मुख्य मंत्री आज तक वहां नहीं गये शायद आज अभी चले गये हों। तो इस प्रदेश का क्या होगा ? इस सदन में कहा गया कि 5 लोग मारे जा चुके हैं तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री कल चले गये होते तो आज मुकम्मल सूचना सदन को मिल गयी होती और सारी जानकारी सदन को मिल पाती । हैरत है 5 बेगुनाहों की जानें जाने के बाद भी सारी रात इस प्रदेश के मुख्य मंत्री किस तरह चैन से सोया होगा । तो क्या इस बात का जवाब सरकार के पास है । इन 24 घटां में जो छुरेबाजी की घटनायें हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी या नहीं होगी ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह से क्या इस पर चर्चा होगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय मंत्री जो जवाब देने के लिए उठे हैं । सरकार को इस जिम्मेदारी का जवाब देना चाहिये कि जो 24 घंटों तक जो छुरेबाजी हुई उसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय आजम खां ने दो बातें कही हैं, एक तो यही कि मुख्य मंत्री वहां क्यों नहीं जा पाये । मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि जैसे ही जानकारी मिली है हम बराबर जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाये हैं । जो घटना परसों रात को हुई थी उसके बाद से आज तक कोई दूसरी घटना नहीं हुई । स्थिति तनाव की है लेकिन नियंत्रण में है । तनाव होते ही आज माननीय मुख्य मंत्री जी गये हैं जायजा लेने के लिए ।

श्री किरन पाल सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह--

इतनी बड़ी घटना हो गयी और इस पर यहां चर्चा हुई ।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा नहीं हुई ।

*श्री किरन पाल सिंह--

जो भी हुआ, विचार रखे गये माननीय सदस्यों द्वारा मैं भी कोई नयी बात की सूचना देना चाहता हूं । वहां का पुलिस प्रशासन जनता की नजरों में दोषी है जिसकी माननीय मंत्री जी वकालत कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सारी घटना हुई उसको एक तरफ करके पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी आप मैजिस्टीरियल जांच करायेंगे ?

हम चाहते हैं कि सारी घटना की जिसमें 5 लोगों की जानें गयी हैं और पुलिस प्रशासन वहां सोता रहा, जिसकी यह वकालत करते हैं, इसमें माननीय सदस्यों की एक समिति बनाकर जांच की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया है और जो इस सरकार का रवैया है उसके खिलाफ मैं और मेरा दल जनता पार्टी सदन का त्याग करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, सहारनपुर कांड को मंत्री जी बड़े हल्केपन से ले रहे हैं, इसलिये मैं और मेरा दल (लोकदल) सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने न तो जुडी-शियल इंक्वायरी की मांग को ही स्वीकार किया और न इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाने की बात को ही स्वीकार किया, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कल्याण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री फजलुल बारी--

सरकार के रवैये के खिलाफ हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री फजलुल बारी भी सदन त्याग कर चले गये)

*श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मंत्री जी ने जुडीशियल इंक्वायरी की बात को स्वीकार नहीं किया । जबकि वहां 5 आदमी मारे गये तो जुडीशियल इंक्वायरी द्वारा जांच करवाते क्योंकि मैजिस्टीरियल जांच से कुछ नहीं होता । इसलिये 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर भी जुडीशियल इंक्वायरी को स्वीकार न करने पर मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री कौशिक रमाशंकर सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम नरेश--

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है लेकिन सरकार ने इस मामले को जिस तरीके से लिया वह खेदजनक और चिन्ता की बात है । पूरा सदन चाहता है कि शांत वातावरण वहां रहे लेकिन जुडी-शियल इंक्वायरी की मांग को न स्वीकार किये जाने के विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम नरेश तथा अकबर हुसैन बावर भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की सूचनाओं में सहा-रनपुर में जो घटना हो गयी है और वहां जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में शासन शीघ्रातिशीघ्र अपना वक्तव्य दे । उसके बाद जो स्थिति हो तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

शेष जो सूचनाएं आयी हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूं ।

(समय 2 बजकर 15 मिनट)

1985-86 के आय-व्ययक के अनु-दानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 41--राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या 67-सहायता एवं पुनर्वास विभाग तथा अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,49,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव

करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,75,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सहायता और पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,78,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस प्रदेश की जनसंख्या का 82 प्रतिशत भाग इससे सीधे सम्बद्ध है और जो शेष जनता है शहरों में रहने वाली....

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आपने इस मद का चौथा हिस्सा नहीं पढ़ा है, उसे पढ़ दें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने उसको भी पढ़ लिया है, मैंने चौथा भी पढ़ लिया है । तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रदेश की 82 प्रतिशत जनता इस राजस्व विभाग से सीधे सम्बद्ध है और जो शेष जनता शहरों में रहती है, उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व विभाग से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध है । मान्यवर, शहरों में बहुत सारे उद्योगपति रहते हैं, उनको भी अपने-अपने उद्योगों को लगाने के लिए राजस्व विभाग से सम्बन्ध स्थापित कर, भूमि अर्जित कर कारखाना लगाना होता है । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश की जनता का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है और राजस्व विभाग इस प्रदेश की जनता की वर्षों से सेवा कर रहा है और यह सबसे पुराना विभाग है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,97,47,789 हेक्टेयर है और प्रदेश का बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल 1,72,25,662 हेक्टेयर है । प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के खातेदारों के संख्या 2,76,81,745 है । मान्यवर, इसके साथ-साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणी के खेती करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या तादाद है । 3 1/8 एकड़ की जोतवाले किसानों की संख्या 1,79,91,641 है और 3 1/8 एकड़ से साढ़े 6 एकड़ के काश्त वालों की संख्या 61,70,278 है ।

सवा 6 एकड़ से साढ़े 12 एकड़ तक के 26,76,792 काश्तकार हैं । साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले 8,43,034 काश्तकार हैं । मान्यवर, कृषकों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख है और कृषि श्रमिकों की संख्या, खास-तौर से जिनके बारे में माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, उनकी संख्या 52 लाख है । इसी तरह से कृषि से सम्बन्धित 2 करोड़, 42 लाख लोग हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विभाग की कुछ मोटी-मोटी बातें सदन के समक्ष रख देना आवश्यक समझता हूं ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें या अपने सुझाव दें जिससे विभाग लाभान्वित हो सके । मुझे आशा है कि आप हमारे कार्य कलापों को सुनकर और देखकर हमारा समर्थन करेंगे ।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूर किसी भूमि पर, किसी ग्राम सभा की भूमि पर काबिज हैं और उनका उस भूमि पर 30 जून, 1980 के पूर्व कब्जा है और उनके पास अपनी भी कुछ भूमि है लेकिन वह भूमि 3.125 एकड़ से अधिक नहीं है तो वह उस ग्राम सभा की भूमि से बेदखल नहीं किए जायेंगे और उनको वही अधिकार होंगे जो भूमिधर के अधिकार होते हैं लेकिन वह नान-ट्रांसफरेबिल होगा, उनको बेचने का हक नहीं होगा । यह प्राविधान जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम में करने जा रहे हैं । (मेजों की थप थपाहट ।)

मैं समझता हूं कि जिसके लिए आप बराबर कहते थे, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर हमने यह प्राविधान किया है । दूसरी बात यह है कि हमारे यहां आवास स्थलों का प्रश्न है । 30 जून, 1980 के पूर्व कोई भी पात्र व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर या किसी खातेदार की भूमि पर अगर उसने मकान बना लिया है, तो वह भूमि बंदोबस्त हुई समझी जाएगी और उसका मकान हटाया नहीं जा सकता है । यह एक महत्वपूर्ण निश्चय सरकार ने किया है । मुझे आशा है कि आप हमारे इस सुझाव का जो मैंने आपके सामने रखा है उसको अपना समर्थन देंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से सीलिंग भूमि के आवंटियों, को अ-अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधरों का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है । एक एकड़ से 3.125 एकड़ तक की जोत रखने वाले खातेदारों की भांति मालगुजारी माफी का लाभ उनको मिलेगा । यह एक दूसरा महत्वपूर्ण प्राविधान करने का निश्चय किया है । हमने यह भी व्यवस्था की है कि जिन क्षेत्रों में एक बार चकबन्दी कराई जा चुकी है वहां पर 40 वर्ष के अन्दर दोबारा चकबन्दी नहीं की जाएगी । मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव क्या हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से आवास-स्थलों के जो आवंटी थे या सरकारी पट्टेदार थे उनकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध उसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी जो ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ की जाती है ।

इससे जो अनधिकृत कब्जे होते हैं, उनमें कमी हो जाय । एक और प्राविधान हम कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि हमने 1984 में एक अभियान चलाया था, उस अभियान में रिकार्ड की दुरुस्ती का कार्य किया गया था और प्रदेश के समस्त जिलों के बहुत सारे किसानों को उस अभियान से बहुत बड़ा फायदा हुआ । अभी तक से लोग 6-6 महीने तक तहसील में, लेखपाल के यहां जाकर दाखिल-खारिज नहीं करा सकते थे, लेकिन जब हमने अभियान चलाया, जिनकी शिकायतें थीं, उनके रिकार्ड को ठीक कराया । उसी बात को दृष्टि में रख कर यह किया गया है कि भूमि के आवंटियों की दाखिल खारिज कानूनगो किया करेंगे । गांवों में जाकर लोगों को जो तकलीफ होगी, उसको सुनकर वही उसकी दाखिल खारिज किया करेंगे ।

मान्यवर, पट्टे के निरस्तीकरण का जहां तक सवाल है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । मान्यवर, सभी पट्टों के निरस्तीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस नहीं दी जा सकती । उसका समय समाप्त हो गया है और उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिए यह प्राविधान किया गया है कि यह कार्यवाही आगे भी चले और फिर से उसको प्राविधान कर दिया जाय । उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 198 (6) में यह व्यवस्था है कि 10-11-80 के पूर्व किए गए पट्टे के निरस्तीकरण के लिए दो वर्ष की अवधि

के समाप्त होने के पूर्व किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 9-11-82 को समाप्त हो गई है । इसलिए यह व्यवस्था पुनः करने का प्रावधान किया गया है ।

मान्यवर, इस प्रदेश में चकबन्दी का कार्य 1954 से चल रहा है और चकबन्दी से इस प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जो उसके खेत गांव में फैले हुए थे, वह खेत एक जगह इकट्ठा हो गये, उसने अपना ट्यूबवेल बनाया, अपने खेतों को ठीक किया और उत्पादन बढ़ा रहा है । यह ठीक बात है । जो कमजोर व्यक्ति रहा है, कमजोर किसान रहा है, अनुसूचित जाति का है, निर्बल वर्ग का है, उसको कुछ कष्ट हुआ है । लेकिन शासन ने कोशिश की है कि उसके कष्ट को दूर करें । लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी है, तो उसको दूर करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, ताकि उसको इस चकबन्दी योजना से, इस कार्य-क्रम से लाभ हो सके ।

मान्यवर, यह 1954 से इस प्रदेश में पहले पहल 140 लाख हेक्टेयर में यह कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ता गया पहाड़ी पट्टियों को और झांसी जिले को छोड़कर शेष में यह कार्य चल रहा है । 1963 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, उसमें 24 जिलों की 26 तहसीलों में फिर से चकबन्दी कराई गयी । मान्यवर, पहले चकरोड नहीं बनते थी न लियां नहीं बनती थीं और सार्वजनिक कार्यों के लिए या आबादी के लिए जगह नहीं छूटती थी, जब यह व्यवस्था की गई कि आबादी, स्कूल, अस्पताल आदि और जो सार्वजनिक कार्य जितने भी होते हैं, उन कार्यों के लिए भूमि छोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है ।

अब चकबन्दी इसी संशोधित अधिनियम के मुताबिक कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय औसान सिंह जी आप बैठें । माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मार्च, 1985 तक 159 लाख 88 हजार हेक्टयर क्षेत्रफल पर चकबन्दी हो चुकी है और वर्ष 1985-86 में 3 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य हमने रखा है, तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करेंगे । इस वित्तीय वर्ष में 1897 लाख 51 हजार रुपया व्यय हो गया है इस कार्य पर । यह मैं आपको बताना चाहता था ।

(शोर)

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कब तक चकबन्दी का कार्य पूरा हो जाएगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, इस राजस्व से राजकीय देयों का प्रश्न है । मान्यवर, चकबन्दी के बारे में मैं एक बात कहना भूल गया, बहुत दिन से जब से चकबन्दी प्रारम्भ हुई इसका मूल्यांकन नहीं हो पाया है, मेरा यह विचार है वैसे तो जिले में जो जिलाधिकारी है, इसका डिप्टी डायरेक्टर चकबन्दी है, लेकिन हमारा इरादा है कि मंडलायुक्त को इसमें समय-समय पर कार्य करना चाहिए उनको जहां जहां चकबन्दी चल रही है वह उसकी परीक्षा करें, उसको देखें और जो कमियां दिखाई दें, उसको दूर करने के लिए शासन से आदेश लें, तो हमारा इरादा है कि इसमें मंडलायुक्त कार्य करें । इसका हम मूल्यांकन भी कराना चाहते हैं, ताकि सरकार को पता लग सके कि कुछ लोग ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं और कुछ लोग परेशान होते हैं, तो इस तरह की बातें

दूर हो, यह हमारा प्रयास है । राजकोष देयों में हमारे मित्र भी यहां बैठे हुए हैं, जानते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि कुछ दिनों की अवधि दे दिया जाए । ताकि जो गरीब आदमी हैं वह अपनी सुविधानुसार दे सके, लेकिन आज स्थिति यह है कि 1984-85 में 31 मार्च, 1985 तक जो देयों की शुद्ध मांग है वह 70 करोड़ 86 लाख थी । वसूली हुई है 30 करोड़ 20 लाख की ।

तो जितनी मांग थी उससे कम की वसूली हुई है । इसी तरह से 1984-85 में जो 88 करोड़ 43 लाख थी उसमें 66 करोड़ 24 लाख की वसूली हुई । तो इस तरह से वसूली में ढिलाई हुई है । वसूली के बारे में हमने एक आदेश जारी किया था कि 500 रुपये तक जिसको वसूली देनी है उसके साथ सख्ती न बरती जाए, जिससे उसे ऐसा न महसूस हो कि उसका हैरेसमेन्ट हो रहा है, तो इससे काफी लोगों को लाभ पहुंचा है । चकबन्दी में एक बात छूट गई है वह भी बताना चाहूंगा कि स्वैच्छिक चकबन्दी में 1016 गांव के लोगों ने चकबन्दी कराई है और चकबन्दी अधिकारियों को ले जाकर रिकार्ड बनवाया है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, भूमि अध्यापित करने के बारे में । यह एक बड़ा वैसा सवाल है । करोड़ों रुपया कम्पनसेशन का पड़ा हुआ है । शासन के आदेश हैं कि जब भूमि ली जाय, उस पर कब्जा लिया जाय तो तुरन्त पैसा दे दिया जाय । लेकिन भूमि अध्यापित करने की कार्यवाही जो होती है, उसमें जो एवार्ड देते हैं उसका 2/3 फौरन दे दिया जाय यह आदेश है । लेकिन इसके बावजूद जो विभाग इस भूमि को अध्यापित करने की कार्यवाही करता है, विभाग कुछ बिलम्ब से, बिलम्ब के चाहे जो भी कारण हों, धन जमा करता है । जिसके कारण हम किसानों को समय से पैसा नहीं दे पाते हैं । भूमि अध्यापित करने वाले अधिकारियों की अपनी कठिनाई होती है ।

हमारे जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हैं, उनको जीप की व्यवस्था नहीं थी, उनको जिले में घूमने के लिये, दौड़ा करने के लिये टेलीफोन और जीप की व्यवस्था इसी बजट में की गयी है । हम उम्मीद करते हैं, इसकाम में तेजी आयेगी । हमने एक कांफ्रेंस भी की थी । हमारी कोशिश है कि जो राजकीय देय हैं, उनकी वसूली में तत्परता हो । इन सुविधाओं के मिलने के बाद इस काम में तेजी आयेगी ।

(इस समय 2 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

कितने लोगों को भूमि दी गई इसके बारे में बताना चाहता हूं । यह आंकड़े बड़ी मेहनत से बनते हैं । 2 लाख 7 हजार 890 लाभार्थियों में से 1 लाख 49 हजार 7 5 अनुसूचित जाति के और एक हजार 405 अनुसूचित जनजाति के हैं, इनको भूमि आवंटित की गई है और कब्जा मिल गया है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

जो अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं, उनका जानकारी है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

भूमि आवंटन में गरीबों को मदद मिली है । मान्यवर, एक बात पुनर्वासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था उस समय करीब 6 लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आये थे । उनके पुनर्वासन की व्यवस्था की गई : इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से 50 हजार के करीब लोग यहां आये थे । उनकी भी व्यवस्था कर ली गई है । कुछ शेष है, उनका भी पुनर्वासन कर रहे हैं । अब तक भारत सरकार का पैसा इस पर खर्च होता था । अब प्रदेश सरकार को ही इस पर धन व्यय करना पड़ रहा है । अभी रुद्रपुर नैनीताल में जिन लोगों को रखे हुए हैं, उनके पुनर्वासन का सवाल ।

इसी तरह कुछ लोगों को कानपुर में पुनर्वासित किया गया है। यह योजना चल रही है। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस बजट को पास करने में सहायता करें।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, जिस मंथर गति से माननीय राजस्व मंत्री चल रहे हैं उसी मंथर गति से यह राजस्व विभाग भी चल रहा है। माननीय राजस्व मंत्री ने अभी कुछ तथाकथित घोषणाएं सदनों में की कि हमने बड़े क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं, राजस्व विभाग में जनता को राहत प्रदान करने के लिए उसके विषय में मुझे कहना है कि मंत्री जी ने कार्य विवरण पुस्तिका 1984 प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि गरीब हरिजनों, पीड़ितों, आश्रितों के लिए कुछ सुविधाएं दी हैं। अच्छा होता यदि उनको पुस्तकाबद्ध करके हम लोगों को वितरित कर दिया जाता, हम लोग उस पर विचार करते जैसा हर विभाग में हुआ करता है। उन्होंने हमें कोई सहयोग नहीं दिया है और न उनका कोई क्रान्तिकारी कदम है। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत जिस प्रकार की भावना पैदा हुई थी कि हमें देश को आजाद कराना है उसमें भूमि आन्दोलन सामन्तवादी व्यवस्था खत्म हो। लेकिन आज भूमि की व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्था खतम नहीं हो रही है। हमारे 82 प्रतिशत व्यक्ति आज राजस्व पर खेती पर निर्भर करता है जिसका मुख्य काम खेती है। यह 82 प्रतिशत हमारे देश की रीढ़ की हड्डी का काम करता है यह 82 प्रतिशत सुधारों के अभाव में कमजोर होता है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो 84-85 का विवरण दिया इससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माननीय मंत्री जी, मंत्री न होकर किसी सेठ, बनिये के मुनीम हो और सट्टा-बट्टा का हिसाब दे रहे हो। आज मैं महसूस करता हूं और मंत्री जी से पूछता हूं कि आज वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत आपने राजस्व विभाग के अन्तर्गत कोई उपलब्धि की है अथवा राजस्व विभाग के द्वारा आपने जनपद को कोई राहत प्रदान की है। आप कह सकते हैं कि राजस्व विभाग के द्वारा हम कोई योजना नहीं बनाते, हमारा कोई योजनागत काम नहीं है, हम तो केवल जमीन को आवंटित करते हैं।

उन गरीबों के लिये, हरिजनों और वनवासियों के लिये जो निराधार हैं। जिनके पास कोई साधन नहीं है। आप इस समय सरकार चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें सन् 77 के समय, जिस समय जनता शासन था। उस समय लोकदल और जनता पार्टी की सरकार थी। आप कह सकते हैं कि उस समय आपकी सरकार थी। उस सरकार ने क्या कदम उठाये थे।

मैं माननीय मन्त्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम जो सुधार बताने जा रहे हैं, वह ऐसे सुधार हैं, जिनका उल्लेख आप कर सकते हैं, कि जनता शासन के अन्दर यह काम किये गये। उस समय राजस्व विभाग की ओर से जो काम किये गये, उनका उल्लेख करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। जिन हरिजन, कृषि मजदूर, दबे पिछड़े लोगों के लिये आप कहते हैं, उनके लिए 15 लाख 91 हजार लोगों में 18 लाख 33 हजार हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया और उनमें से 99 प्रतिशत लोगों को कब्जा दिलाया गया। एक स्टेट मिनिस्टर उस समय कब्जा दिलाने में आगे-आगे रहते थे।

मान्यवर, यही नहीं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें जो भूमि का आवंटन किया गया, उनके लिये 3 साल का लगान माफ किया गया और उन्हें खेती की सारी सुविधायें दी गयीं खाद, बीज, हल वगैरह की इसके अतिरिक्त जनता पार्टी के जमाने में 12.12 लाख हरिजन तथा कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन एलाट की गयी और उस पर कब्जा दिलाया गया। आवंटियों को मकान बनाने के लिये सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए गृह निर्माण निगम की स्थापना की गयी।

जनता पार्टी के जमाने में नये आवंटियों को प्रत्येक को 275 रुपये काश्तकारी के लिये दिये गये। जमींदारी उन्मूलन सन् 52 में हुआ था, उसके लिये कारगर कदम उठाये गये और प्रदेश के एक करोड़ सीरदारों को भूमिधर का अधिकार दिया गया। ये इस प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं बता सकते हैं। उनके विचार में, दिमाग में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये मंथर गति से किसी प्रकार से अपने विभाग को खींच रहे हैं। एक लाख बीस हजार लोगों को लगान में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी जनता शासन में। उसी वर्ष भूमि सुधार कार्यों के लिये 7.5 करोड़ रुपया भूमिहीनों के लिए सहकारी समितियों के सृजन के लिये दिया गया।

इसके अलावा मान्यवर, इसी जनता शासन में और भी कारगर कदम उठाये गये।। हम आपसे भी इसी प्रकार की उम्मीद करते थे कि जिस तरह से साढ़े तीन एकड़ की दर से 1.24 हेक्टेयर भूमि वाले सभी काश्तकारों के लिये 77 से लगान माफी कर दी गयी उस लगान को माफ करने से 70 प्रतिशत जनता को राहत मिला। इस तरह कोई काम आप करते तो हमें भी प्रसन्नता होती। मन्त्री जी अपने अनुभव और बुजुर्गी का उपयोग इसमें करते जो जनता पार्टी और लोकदल ने साढ़े तीन एकड़ तक लगान माफ किया था, यह घोषणा करते सदन में कि साढ़े 6 एकड़ तक माफ करने जा रहे हैं तो सारे प्रदेश इनकी वाह वाही करता। मन्त्री जी केवल मुनीम की तरह से पढ़ देने से काम नहीं चलता। आपके विभाग ने लगान वसूली का काम ले रखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना रुपया वसूल करते हैं उसके आधे से ज्यादा रुपया केवल वसूलयाबी पर खर्च कर देते हैं। यह बात मैं आपके डाटा से आपके ही सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। [× × ×] को तरह मैं आपके ही डाटा से यह बात साबित करने का प्रयास करूंगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वसूली पर जो धन खर्च हो रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मन्त्री जी पर जो बात कही गयी [× × ×] यह अशोभनीय है ।

श्री अधिष्ठात --

अगर माननीय सदस्य ने ऐसी बात कोई कही है, और वह असंसदीय है, तो उसे देख लिया जायेगा ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, इसे कार्यवाही का अंग न माना जाय ।

श्री चेतराम गंगवार--

अगर मान्यवर, माननीय सदस्य शाहजहांपुर के लिये यह कहा जाय कि [× × ×] तो क्या यह उचित लगेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले ही कह दिया कि इसे दिखवा लेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, 1980-81 में 49 प्रतिशत वसूलयाबी पर खर्चा आया । 1982-83 में 59 प्रतिशत आया । 1983-84 में 14·5 प्रतिशत आया और 1984-85 में 16 प्रतिशत आया ।

मुझे मान्यवर, विशेष रूप से कहना यह है कि इतना बड़ा खर्चा वसूलयाबी पर करते जा रहे हैं, और जो दूसरे विभाग हैं जैसे बिक्रीकर विभाग है, एक्साइज बिभाग है इन सारे विभागों के अन्दर वसूलयाबी का खर्च 1 या 2 प्रतिशत आता है । लेकिन रेवन्यू विभाग इतना बड़ा खर्चा करता है काहे के लिए अपना लगान की वसूलयाबी के लिये । लगान की वसूलयाबी के समय वसूली तो करती ही है, साथ में दुर्व्यवहार भी करता है । ऐसा दुर्व्यवहार होता है, जो दुर्व्यवहार अपराधिक प्रवृत्ति के मुलजिम के साथ भी नहीं हुआ करता है । बगैर किसी वारन्ट के उनका नायब तहसीलदार पहुंच जाता है और गरीब काश्तकारों को पकड़ कर उनको जेल के अन्दर कर दिया जाता है जबकि जेल के अन्दर भेजने का प्राविधान नहीं है । मैंने अपने जिले के अन्दर देखा है जेल के अन्दर भेज देते हैं । उनका लाइसेन्स सस्पेन्ड कर देते हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह कार्यवाही किस प्राविधान के अन्तर्गत होती है ? जिस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिये लाइसेन्स खरीद लिया है, उनके संस्पेंशन निलम्बन के आर्डर आपके एस० डी० एम० तहसीलदार भेज देते हैं डायरेक्ट जेल भेज देते हैं । उनको तहसीलदार की हवालात के अन्दर बन्द रखा जायेगा । जिस हरिजन वर्ग के लिये आप दुहाई देते हैं, आज जेल के अन्दर बन्द कौन होता है कभी कोई बड़ा आदमी नहीं होता है चाहे वह कितना ही बड़ा कर्जदार क्यों न हो, गरीब बन्द होता है, हरिजन बन्द होता है । तहसीलदार की उस काल कोठरी के अन्दर उस गरीब को बन्द कर दिया जाता है, जहां न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, न टट्टी आदि की व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था है और न फर्श आदि ही है, 30 या 40 पैसे मात्र उनके प्रतिदिन का खर्चा है । जबकि इसकी रिकवरी के लिये वसूलयाबी के लिये 59 और 60 प्रतिशत खर्च लेते हैं ।

मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी अपनी बुजुर्गित के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर सदन में घोषणा करेंगे कि वसूलयाबी के लिये पकड़े गये लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न हो करके मानवीय व्यवहार होगा । उनके साथ अपराधिक प्रवृति के मुलजिम जैसा व्यवहार नहीं होगा ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अब दूसरी बात मुझे इसी लगान की वसूलयाबी के सम्बन्ध में यह कहना है कि लगान वसूलयाबी में व्यवहार जो है, वह बिल्कुल पशुता जैसा किया जा रहा है। बगैर वारन्ट के गिरफ्तारी होती है नायब तहसीलदार, आपका तहसीलदार एस० डी० एम० कराता है। मैं समझता हूं कि यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्य वाही करनी चाहिये। आपने मान्यवर, एक बहुत बड़ी घोषणा पिछले सत्र में की थी कि पहली मई से लेकर 30 जून तक हम सारे भूमि अभिलेखों का सत्यापन करा रहे हैं, उनका सुधार कर रहे हैं। आपने मुनीम की तरह आंकड़े दे दिये कि हमने बहुत कुछ सुधार करवा दिया है। जिन भूमि अभिलेखों की आप दुहाई देता है, मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कह सकता, परन्तु अपने जिले शाहजहांपुर के अन्तर्गत 20 गांव ऐसे हैं जैसे मूरेना, डबोरा, बरी प्रसिद्ध जो बदायूं की सीमा पर है और बीच में रामगंगा है, जिनके अभिलेखों को ठीक कराने का विवाद सालों से चला आ रहा है, उसे आज तक आप ठीक नहीं करा पाये हैं। सन् 1970 से काश्तकारों की यह मांग रही है कि इन अभिलेखों को ठीक करा दिया जाय। हरदोई में एक अभिलेख कार्यालय भी खुला है, जहां पर एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन आज भी प्रति वर्ष वहां 1-2 कत्ल इस भूमि विवाद के कारण होते हैं। नदी की धारा से सीमा तय होती है।

बड़े-बड़े काश्तकार छोटे - छोटे काश्तकारों की जमीन हड़पे हुए हैं। मगर आपका मकसद गरीबों की मदद करना और उनको भूमि देने की मदद करना है। यह समझ में नहीं आता है कि जिस मामले को आप 15 साल से सुलझा नहीं पाये हैं आप अपने मकसद को कैसे पूरा करेंगे। अखबार में आया हर जगह प्रतिनिधि मण्डल आप से मिले लेकिन उन 20 गांव के 20 हजार लोगों को इस वर्तमान व्यवस्था ने भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। आप कहते हैं कि हम एक महीने में अभिलेखों की जांच कराके और उनका सत्यापन करा के ठीक कर देंगे। समझ में नहीं आता कि जिस काम को आप 15 साल में ठीक नहीं कर पाये, उसे आप 1 महीने में कैसे ठीक कर देंगे।

मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि जहां भी इस तरह की जनता की सामूहिक समस्यायें हों, उन पर आप विशेष गौर करें। लेखपाल, नायब तहसीलदार व तहसीलदार जो आपकी ये गड़बड़ियां करते हैं, यह आपसे भी छुपा नहीं है। माननीय मन्त्री जी जब आप भी कल इस पद से हट जायेंगे, या आप यहां आ जायेंगे या फिर आप दूसरों की तरह भूतपूर्व हो जायेंगे तो उस समय आपका काम भी लेखपाल बिना रिश्वत के नहीं करेगा। आपने जो क्रान्तिकारी कदम उठाने की बात की है, इसके पीछे वे लाखों रुपया खाकर मनचाहा अभिलेखों में शुद्धिकरण कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता--

सत्यपाल जी आपका समय हो गया है। 20 मिनट आप ले चुके हैं।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय, 15 मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

10 मिनट का समय आपको और दिया जाता है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, अब मैं अपनी बात जल्दी कहूंगा। चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। 1982-83 में 206 गांवों की चकबन्दी के बारे में आपने कहा और 1983-84 में आपने कहा कि 155 गांवों में चकबन्दी करा दी गई है। माननीय मंत्री जी चकबन्दी की जो आपकी योजना है, उसके तहत आप उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में चकबन्दी कर चुके हैं और कितने में चकबन्दी करा देंगे और कितने में इस समय चकबन्दी चल रही है।

माननीय, मैं आपको बरेली का एक केस का उदाहरण देना चाहता हूं। जैराज सिंह बनाम सूरज सिंह, ग्राम भजनोई, तहसील आंवला का केस सी० ओ० चकबन्दी अधिकारी, बरेली के यहां सन् 1970 से पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है, 15 साल का समय बीत चुका है। समझ में नहीं आता है कि आप चकबन्दी कैसे करवा लेंगे। आप जब अपना उत्तर देंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें कि इतने जिलों में चकबन्दी पूरी कर दी जायेगी।

माननीय, सहायक चकबन्दी अधिकारियों की मेरे पास लिस्ट है। मैं उसे पढ़कर, समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। उनमें आज कुन्ठा है। 20–22 साल उनको काम करते हुए हो गये हैं, परन्तु उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया है। आपके जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं वे 15 साल के अन्दर कमिश्नर बन जाते हैं। चकबन्दी में जो आपके लिपिक हैं, उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है और न ही उनका स्थायीकरण। माननीय मंत्री जी मेरी मांग है कि यदि आप चकबन्दी के कार्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो वक्त की आज मांग है कि आप इन सहायक चकबन्दी अधिकारियों व लिपिकों को स्थायी करें और उनके लिए भी प्रमोशन के अवसर पैदा करें। इसके अलावा आपने एक दूसरी बात की है सीलिंग के विषय में। इसमें मुझे कहना है कि सन् 1960 में ऐक्ट बना और 1972 में दूसरा कुछ संशोधन करके। पहले 40 एकड़ था और बाद में 18। 15 लाख हेक्टेयर सीमा रखी थी प्राप्त करेंगे और 2 लाख हेक्टेयर प्राप्त की। उससे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल सका बल्कि जो कानून बनाया है अगर अमल में उसे नहीं ला पायेंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा और जिस मंशा से उसे बनाया गया था वह भी पूरा नहीं हो पाया। सीलिंग कानून लागू होने से पहले ही बड़े-बड़े अफसरों ने, आई० ए० एस०, आई पी० एस०, मिलेटरी के आफिसरों ने अपनी जमीन बचा ली और उसका दुरुपयोग कर लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह कानून पूरी तरह से विफल रहा। दो कमेटियां बनी थीं भूमि सुधार के विषय में। एक तो मंगलदेव विशारद 1972-74 की बीच में और दूसरी तराई लैंड्स कमेटी बनी थी। बहुत सी संस्तुतियां उसने की थीं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू कराने की कृपा करें।

आज हमारे देहात के अन्दर बहुत से झगड़े पैदा हो गये हैं। जमीन के, चकबन्दी के मेड़ बन्दी के, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के। लेकिन उनके निपटारे का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तीन-तीन साल तक किसानों को मेड़-बन्दी के लिए इन्तजार करना पड़ता है। केवल एक सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट है आपके पास। कम से कम एक-एक डिविजनल मैजिस्ट्रेट इस कार्य के लिए अलग से तैनात करें जो कब्जा न मिलने के कारण, मेड़ बन्दी का, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के झगड़े का फैसला करे। जो एक मैजिस्ट्रेट है भी उसके पास अन्य बहुत से काम है और वह उसी में व्यस्त रहता है।

रेवेन्यू कोर्ट की बात आपने कही थी और राजस्व परिषद् को हटाने का प्रस्ताव था लेकिन वह कोई नहीं बन पाया और मैं समझता हूं कि राजस्व परिषद् को जो समाप्त करने की बात कही गयी है, तो राजस्व परिषद् के अधिकारी भी इसे उचित नहीं समझेंगे और आप उनकी अवहेलना करके घोषणा कर नहीं सकते। जिलाधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार, एस० डी० एम० सब आपके अन्डर हैं लेकिन राजस्व परिषद् के अधिकारी उनकी हालत, आप हटा नहीं सकते किसी को। किसी ए० डी० एम० का ट्रांसफर तक नहीं कर सकते। हमारे जनपद शाहजहांपुर में एक है भारद्वाज, 6 साल हो गये हैं, इस एम०

पी0 के इलेक्शन में आपकी पार्टी के कैन्डीडेट को जिताने में उसने काफी सहायता की, उसको आप हटा नहीं सकते, आपमें दम नहीं है, आप बिल्कुल नपुंसक हो गये हैं..

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप यह प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते ।

श्री सत्य पाल सिंह--

मैं राजस्व मन्त्री जी के लिये कह रहा हूं ।

श्री गौरी शंकर--

किसी के पुरुषत्व को चुनौती देंगे तो बहुत गलत बात है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं पद के पुरुषत्व को चुनौती दे रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

भूमि सुधार के विषय में अभी तक उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कुछ काम किया है, तो वह किया है चौधरी चरण सिंह ने ।

(व्यवधान)

जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार लायें चौधरी चरण सिंह, चकबन्दी की व्यवस्था की चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भूमि सुधार हुआ, तरक्की हुई ।

(घोर व्यवधान)

अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं आप एक भी कानून बता दें

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर--

आप ही बता दें ।

श्री सत्य पाल सिंह--

1952 में जेड0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट, 1954 में कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट, 1960 में सीलिंग ऐक्ट, जिसका संशोधन हुआ 1972 में। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में मन्त्री थे, जिन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाया। मैं भरोसा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी कुछ कामों की तरफ ध्यान देंगे ।

राहत वाला विषय रखता हूं । उस सम्बन्ध में कहना है कि बाढ़ और सूखे पर बात रखी है। आज कल हमारे सारे प्रदेश में स्थान-स्थान पर भीषण आग लगती है, इसमें भी आपका वही कानून लागू होता है, जो बाढ़ पर लागू होता है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था दें घोषणा करें क्योंकि वहां पर स्थिति यह पैदा होती है कि बाढ़ में तो घर का छप्पर वगैरह बह जाता है, लेकिन दीवालें इत्यादि खड़ी रहती हैं जब कि आग में घर की दीवालें और छतें भी मय घर के सामान सहित बरबाद हो जाती हैं । राजस्व विभाग ने विचार नहीं किया कि जहां पर बाढ़ और सूखा है वहां पर आग लगने की घटनाओं की भी कमी नहीं होती ।

मेरा सुझाव है कि हर तहसील हेड क्वार्टर पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहियें । डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से फायर ब्रिगेड वहां पहुंचने पर कुछ नहीं कर पाती है । जो अनुदान देते हैं, वह भी अंग्रेजों की तरह देते हैं लगान को मुलतवी करके । मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था दे सदन में घोषणा करें कि 50 प्रतिशत या उससे अधिक अगर नुकसान हुआ है तो उनका लगान, आबपाशी और सरकारी देय माफ होने चाहिये, जिनका 50 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ हो, उनके देय मुलतवी किये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि 30 जून तक वसूलयाबी की आखिरी तारीख रख दें जिससे जनता को सुविधा मिल सके ।

श्री सीता राम निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए जो घोषणायें यहां पर आज की हैं, जिनका सम्बन्ध समाज के निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों से है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योजनायें हैं । गरीब हरिजन और निर्बल वर्ग के लोग जो गांव सभा की जमीन पर काबिज हैं और वह जो अल्प जोत के किसान हैं या सीमान्त जोत के किसान हैं, उनको सरकार ने जो अधिकार देने का फैसला किया है मैं आपके माध्यम से इसके लिये सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं ।

[समय 3 बजकर 10 मिनट]

इसी तरीके से मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी कांग्रेस की कल्याणकारी सरकार ने जहां हरिजनों को आवास की सुविधा दी है, जहां भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि के लिये जमीन दी है, वहीं इस कल्याणकारी सरकार ने इस प्रदेश के रहने वाले मछुआ समुदाय के लोगों को, जो कि केवट और मल्लाह, बिन्द, धीवर के नाम से जाने जाते हैं और जो नदियों के किनारे गांवों में बसते हैं उनके लिये इस सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और उन्हें नदियों और तालाबों के पट्टे मत्स्य पालन के लिये देने का फैसला किया है । भूमि सुधार कानून बनाया है, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट एवं भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह में आवश्यक सुधार किया गया है जिससे कि प्रदेश के लाखों मछुआ समुदाय के लोगों को राहत मिली है ।

माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए जिस सम्मानित नेता का नाम लिया और कहा कि उन्होंने भूमि सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किया, मैं बतलाना चाहता हूं कि उसी नेता ने जब जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था तब मछुआ समुदाय जिनका सैकड़ों वर्षों से नदियों तथा सभी जल प्रणालियों पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय से जहां पर निःशुल्क अधिकार रहा है, उसी नेता ने अपने शासन में उसके उस अधिकार को समाप्त कर दिया । लेकिन कांग्रेस की हुकूमत ने उस अधिकार को वापस दिलाने का काम किया है जिससे मछुआ समुदाय के लोग हृदय से सरकार को बधाई देते हैं ।

मान्यवर, इस प्रदेश में भूमि सम्बन्धी 28 प्रकार के कानून बताये जाते हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है । इस सम्मानित सदन में राजस्व संहिता विधेयक लाने का निश्चय किया गया था, इस सम्बन्ध में एक प्रवर कमेटी भी बनायी गयी थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, उसकी रिपोर्ट को सम्मानित सदन में पेश किया गया है । वह रेवेन्यू कोड जरूर पास किया जाय, उससे महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, उससे बहुत सुधार आयेंगे यदि वह सम्मानित सदन से पास हो जायेगा । उसी के साथ में 28 भूमि सम्बन्धी कानूनों के स्थान पर केवल तीन कानून रेवेन्यू कोड, चकबन्दी एवं सीलिंग कानून रह जायेंगे, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा ।

मान्यवर, आबादी के बन्दोबस्त की आवश्यकता है क्योंकि आबादी का बन्दोबस्त न होने से गांवों में जरवन

झगड़ा बढ़ रहा है और इससे निर्बल वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। हमारे प्रदेश में राजस्व परिषद् है जिसमें दस-दस साल तक मुकदमा पड़ा रहता है, उसे भी समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। इससे प्रदेश की जनता को लाभ होगा।

मान्यवर, बाढ़ के समय में गरीब मल्लाह अपनी नावों को लेकर प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं, उनकी नावों का किराया कई साल तक पड़ा रहता है। भिन्न-भिन्न जिलों में नावों का किराया भिन्न-भिन्न है। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रदेश की नावों के किराये की दर समान रूप से निर्धारित कर दें जिससे कि प्रदेश के गरीब मल्लाह परिवारों के लाखों लोगों के प्रति न्याय हो सके और उनके किराये की बकाया की रकम का शीघ्र भुगतान कर दिया जाय।

मान्यवर, नदियों के कछार की जमीन जैसे गंगा बरार, नवगीर की जमीन रेतीली जमीन जिस पर मछुआ समुदाय के परिवारों के लाखों लोग बसे हुए हैं और उसी से उनकी जीविका चलती है लेकिन अभी तक उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है और उसी से उनकी जीविका चलती है, लेकिन उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है। मैं राजस्व मंत्री से ऐसी भूमि का बन्दोबस्त करने का अनुरोध करूंगा कि इससे लाखों लोगों को जो मछुआ समुदाय के हैं, लाभ होगा। आप उनकी भलाई करने की कृपा करें और सदन में घोषणा करें कि नदियों के कछार में जो लोग बसे हुये हैं ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, बोरा जायद, खरीफ एवं रबी की फसलों की खेती करते हैं, वह जमीन उनके नाम कर दी जाये। हमारी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबों की सहायता और उनकी राहत के लिये बनाया है और उसके अन्तर्गत आई0 आर0 डी0 योजना है, जिसके अन्तर्गत गरीबों को राहत देने का निर्णय लिया गया है और आपने गरीब किसानों को सिंचाई साधनों में और बैरिंग में उनको छूट प्रदान की है।

मान्यवर, एक जरूरी बात मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऋण लेते समय विकास खंडों 61(ख) सूची की आवश्यकता पड़ती है। यह सूची तहसीलों में बनती है और वहां पर लाभार्थियों के उस सूची के लिये बहुत नाजायज पैसा लिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस सूची को तहसील से विकास खंडों तक भिजवा दें, जिससे लाभार्थियों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। 61(ख) की सूची न मिलने से लोगो को 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल पाता है और उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर जल्दी से क्रियान्वयन करें जिससे लोगों को आसानी से ऋण मिल सके और 61(ख) की सूची वर्ष 1985 की खतौनी के आधार पर बनवाकर सभी विकास खंडों को भेजने की व्यवस्था शीघ्र करने की कृपा करें, जिससे लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके और जो नाजायज पैसा उन्हें खर्च करना पड़ता है, वह न खर्च करना पड़े।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं राजस्व के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय सत्यपाल सिंह जी ने जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुछ घोषणायें हरिजन एवं निर्बल वर्ग आबादी के विषय में की है उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं ये घोषणायें केवल घोषणा होकर ही न रह जायं। आप क्या इन घोषणाओं का कार्यरूप में परिणत कर पायेंगे, क्या आप इनको अमली जामा पहना पायेंगे? आपने गर्व के साथ घोषणा किया है कि जो लोग वर्षों से

जिस भूमि पर आबाद हैं, और जिनकी झोपड़ियां जिस भूमि पर हैं, उनको भूमि से बेदखाल नहीं किया जायेगा ।

मान्यवर, मैं बलिया का मामला बताना चाहता हूं, 2-4 गांव मैं आपको बताना चाहूंगा आप जांच करा लें, वहां वह सन् 30, 32 और 42 के पहले से लोग आबाद हैं, जिनके घर बाढ़ से कट गये हैं और वह विभिन्न गांवों में आकर बस गये हैं और अपनी झोपड़ियां बनाकर बस गये हैं, उनकी आबाद भूमि पर आज तक आबादी दर्ज नहीं है । वह जमीन आज तक पूर्व के काश्तकारों के नाम दर्ज है पुराने काश्तकार जब वह चाहते हैं तो आबाद निर्बल वर्ग की झोपड़ियां उजाड़ देते हैं और उन पर ट्रैक्टर चला देते हैं । इस प्रकार की कार्यवाही बलिया जनपद में चल रही हैं और अन्य जिलों में भी है । अगर आप इन बातों पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो आपकी घोषणाओं का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल पायेगा ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राहत के नाम पर जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम होती है । चाहे अग्नि पीड़ित हों या बाढ़ पीड़ित हों, 200 रु० अहेतुक सहायता और 400 रु० भवन सहायता दी जाती है । इतने पैसे में एक झोपड़ी भी तो नहीं खड़ी हो सकती है । तो फिर किस आधार पर आप यह अनुदान देते हैं । बाढ़ पीड़ितों और अग्नि पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाई जा सके इसके लिए शासन का क्या कार्यक्रम है । मुझे खेद है कि आपके अधिकारी अग्नि पीड़ितों को समय से राहत नहीं पहुंचाते हैं । हमारे ऐसे लोगों के बार-बार बोलने पर भी आपके अधिकारी नहीं जाते हैं लिखने पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं । मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री एक बुजुर्ग और शरीफ व्यक्ति हैं, उनकी कोई शिकायत भी नहीं हुई, मैं उन्हें ईमानदार भी मानता हूं, लेकिन उनके ऐसे सज्जन मंत्री के रहते इस विभाग के अधिकारी निरंकुश और हृदयहीन हो गये हैं कि उनका राहत कार्यों के ऊपर कोई ध्यान नहीं गया है । हमारे माननीय मंत्री जो जैसा कि हमारे एक माननीय मित्र ने कहा, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता क्योंकि वह हमारे बुजुर्ग साथी हैं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि अधिकारी लोग जो कुछ लिखकर उनको देते हैं, उस पर वे दस्तखत कर देते हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बलिया के दोआबा के क्षेत्र में, माननीय विक्रमादित्य पांडेय के क्षेत्र में गांव के गांव जल गये लेकिन आपके विभाग द्वारा कोई राहत या सहायता का कार्य समय से नहीं किया गया । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी को लिख कर दिया लेकिन आपने उस पर गौर करने की कोशिश नहीं की और मुझे उत्तर दे दिया कि कोई विलम्ब नहीं हुआ । किस तारीख को आग लगी, किस तारीख को सहायता दी कुछ आपने नहीं देखा और बिना समझे बूझे आपके विभाग के भ्रष्ट, चांडाल और हृदयहीन अधिकारी हैं, उन्होंने जो कुछ लिखकर आपको दिया उस पर आपने दस्तखत कर दिये । मैंने आपको इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि आप ऐसे बुजुर्ग और निहायत शरीफ व्यक्ति को इसके बारे में कुछ लिखना मुझे अच्छा नहीं लगा ।

यदि इसी तरह से आपके ये अधिकारी जो लिखते रहेंगे और आप उस पर दस्तखत कर दिया करते हैं तो आपको यहां पर बैठने का औचित्य नहीं रह जायेगा और चाहे वहां कोई बैठ जाय कोई अन्तर नहीं होगा । ठाकुर साहब लाल प्रताप नारायण सिंह बैठ जांय लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व वाले आदमी के लिये यह सब ठीक नहीं । एक समय बहराइच जिले में गिरीश चन्द चतुर्वेदी कलेक्टर थे । वे वहां पांच साल तक रहे, उनका स्टैंडिंग आर्डर था । जैसे ही आग लगी, दूसरे ही दिन वहां पर पहुंच जाते थे । वे बहराइच में कलेक्टर थे । आज स्थिति यह है कि आपके राजस्व सचिव को इस बात का ध्यान नहीं है कि राहत कार्य समय से पहुंचाया गया या नहीं, न आयुक्त को ध्यान रहता है और न कलेक्टर को रहता

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को प्रताड़ित करें, उन्हें स्टैंडिंग आदेश दें कि जहां कहीं इस तरह आग की समस्या हो वहां फौरन राहत कार्य पहुंचायें ।

श्रीमन्, बाढ़ के कार्यों में करोड़ों रुपया जिलों को दिया जाता है और आपके ये अधिकारी उसे निगल जाते हैं । हमारे यहां सन् 1981 में टेंट समयाने के नाम पर 5 लाख रुपये का फर्जी भुगतान ढाबा परगना के एक हिस्से में हो गया । राहत में वहां के तहसीलदार महेन्द्रपाल सिंह ने कलेक्टर की साजिश से गबन किया । आज वे कलेक्टर गृह विभाग में बैठे हुये हैं । उनकी मौजूदगी में फर्जी भुगतान हुआ । इसके बारे में मैंने लिख कर दिया, राजस्व सचिव को लिखकर दिया, आयुक्त को लिख कर दिया, राजस्व मंत्री को लिख कर दिया, कलेक्टर को लिख कर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । बहुत कुछ कहने पर एक ए0 डी0 एम0 कोई जैसवाल थे जो ईमानदार थे, वे चोरी मे नहीं थे इसलिए उनको यह जांच का कार्य दिया गया । जब जांच का कार्य उन्होंने आरम्भ किया तो कलेक्टर ने उनसे कहा कि तुम प्रशासन को सहायता नहीं करते हो ।

इस कारण से उनसे यह जांच का कार्य छीन लिया गया और नीचे के अफसर हाकिम परगना को यह जांच का कार्य दे दिया गया । 5 लाख रुपये का भुगतान हुआ और मेरे क्षेत्र के एक छोटे क्षेत्र में हुआ । हमारे जिले का आधा भाग बाढ़ में डूबा था और एक हिस्से में 5 लाख का भुगतान हुआ ।

(व्यवधान)

मंत्री जी को पहले उनसे बात कर लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 5 लाख रुपये का भुगतान केवल परगने के एक कोने में हुआ । भाजापुर गांव में एक इंच भूमि खाली नहीं थी । सारा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था । उस गांव में 40 स्टोर टेन्ट लगाने के नाम पर फर्जी भुगतान हुआ । मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच हो । 81-82 की बाढ़ में जिस गांव में एक टेन्ट भी नहीं लगा उस गांव के नाम पर 40, 50 टेंट दिखा कर फर्जी भुगतान कर दिया गया । कलेक्टर ने आदेश दिये कि जांच के दौरान कोई भुगतान नहीं होगा, ए0 डी0 एम0 ने भी कहा भुगतान नहीं होगा लेकिन फिरभी जांच के दौरान 58 हजार का भुगतान महेन्द्रपाल तहसीलदार ने कर दिया । मैं इसमें केवल उसकी बेईमानी नहीं कहता । बेईमानी इस सरकार की है कि जो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेती । इस सरकार की यह हालत है कि उस महेन्द्रपाल सिंह, तहसीलदार को फिर बलिया भेज दिया । जिन अधिकारियों ने उसे बलिया भेजा वे बेईमान हैं वे 10 लाख रुपया राहत का खा गए ।

मैं जानना चाहता हूं कि कैसे वह फिर बलिया चले गये । मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराई जाय । राहत आयुक्त से मैंने कहा कि इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराई जाय । लेकिन सतर्कता विभाग को मामला नहीं दे रहे हैं । यहां आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 आफिसरों की एक यूनियन बनी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह--

ये लोग बेईमानी पर परदा डालते हैं । मैं मांग करता हूं कि इस मसले की सतर्कता विभाग से जांच हो जाय । इस

बात की भी जांच करायी जाय कि किस तरह बेईमानी से यह अधिकारी ढाई साल बाद फिर बलिया पहुंच गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है कृपया बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । माननीय मंत्री जी हमारे यहां एक सावन छपर गांव है वहां फर्जी भुगतान ऋणों का महेन्द्रपाल सिंह ने किया । इसकी जांच डिप्टी कलेक्टर कर रहे हैं । लेखपाल ने बयान दिया है कि मुझसे तहसीलदार ने बलात दस्तखत कराये हैं । ऋण भुगतान फर्जी है । बार-बार महेन्द्र पाल सिंह को साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन वह तहसीलदार अपना साक्ष्य देने नहीं गये । अब जांच में व्यवधान डालने पहुंच गये ।

श्री राम प्रकाश सिंह—

परम श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी जिन्होंने यह बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं । आप जानते हैं कि मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं जिसे दुर्नाम दस्यु क्षेत्र माधोगढ़ जनपद जालौन के नाम से सारे हिन्दुस्तान में जाना जाता है । मैं पहली बार इस आठवीं विधान सभा में चुनकर आया हूं और पहली बार यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं माधोगढ़ क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मुराद थी कि उस क्षेत्र को तहसील बनाया जाय । कई बार इस बात का जिक्र अखबारों में भी आया है कि इसे तहसील बनाया जायेगा । 1983-84 के बजट में जनता की सुविधा के लिए रायबरेली, सुल्तानपुर, सहारनपुर, एटा में 5 नयी तहसीलों का सृजन किया गया था । मेरे क्षेत्र की जनता की प्रबल इच्छा है कि जिला जालौन में माधोगढ़ के नाम से एक नयी तहसील हो । हमारे यहां मात्र 4 तहसीलें हैं । मेरे क्षेत्र में 4 सौ गांव पड़ते हैं, मेरे जिले का मुख्यालय उरई है, वहां से आखिरी गांव की दूरी लगभग 61 कि0 मी0 है । इसलिए जिला जालौन में माधोगढ़ तहसील का सृजन किया जाना जरूरी है । वहां 3 नदियां सिंध, पहूज और यमुना उस क्षेत्र में पड़ती हैं । मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बजट में नयी तहसीलों के सृजन के लिए भी कुछ प्राविधान रखा होगा इसलिए वरीयता के आधार पर माधोगढ़ को तहसील बनाने की कृपा करें ।

मैं पहली बार इस सदन में बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा समय मुझे ज्यादा दें । बाढ़ राहत कार्यों के लिए सरकार जनपदों में रुपया बांटती है उसमें सरकारी अधिकारी हेराफेरी करते हैं । मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जरा इस तरफ भी देखें कि इसमें हेरफेरी न हो। मैं सरकार का ही एक अंग हूं किन्तु यदि कहीं कोई खराबी है तो उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना हमारा फर्ज हो जाता है ।

मैंने राजस्व विभाग के बारे में माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में लेखपाल की रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी भी स्वीकार कर लेता है जब कि यह सत्य नहीं होती ।

मान्यवर, हमारी सिंचाई की जो क्षमता है, जो बुन्देलखंड में सलाहकार परिषद् की मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसके आंकड़े जो भी हों लेकिन बुन्देलखंड में सिंचाई की कमी है खारों का महत्वपूर्ण स्थान है जिसके लिये हम सदैव चिन्तित रहेंगे । मान्यवर, राजस्व मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सिंचाई एवं अन्य जो बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दिया जाय ।

माननीय हमारे यहां 4 तहसीलें कार्यरत हैं । एक हजार से ऊपर गांव हैं चार सौ से अधिक जालौन तहसील में गांव हैं । 324 गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे यहां एक नई तहसील का सृजन किया जाये । पिछले मुख्य मंत्रियों ने आश्वासन दिये, अखबारों में आया और आज भी आता रहता है हमारी नींव हराम है, इसलिये मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस कमी को प्राथमिकता के आधार पर करायें ।

माननीय, उत्तर प्रदेश के नक्शे में जहां चकबन्दी का जिक्र हुआ, मैंने पढ़ा है । 1954 में चकबन्दी आयी, उसका मूल आशय था गरीब किसानों के खातों को टुकड़ों में न बांटा जाये बल्कि उन्हें एकत्र करें एक जगह पर, 80 से 82 प्रतिशत जो किसान आबादी प्रदेश में रहती है मैं तो ऐसे किसान क्षेत्र से आता हूं जहां तीन टाउन एरिया के अलावा कोई शहर नहीं है । माननीय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया था कि बड़े बड़े लोगों को फायदा हो या न हो, हमारी नीति है, निर्बल वर्ग के लोगों को राहत देंगे ।

माननीय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि चकबन्दी में उड़ान चक व्यवस्था को समाप्त किया जाय या इस पर निगरानी रखी जाये चूंकि जो लोग अधिकारियों को पैसा दे देते हैं उनके खाते में जहां जमीन नहीं हैं वहां जक दे दिये जाते हैं इससे शासन और माननीय सदस्यों छवि खराब होती है इसी के साथ मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और आपने बोलने का मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । जयभारत । जयहिन्द ।

श्री धनराज यादव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं और राजस्व विभाग से संबंधित जिला प्रशासन गांव लेखपाल से जिलाधिकारी तक संबंध रखता है, उसके संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांव स्तर के कम से कम 10 कर्मचारी रहते हैं जैसे लेखपाल, ग्राम सेवक, जिनको आज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं, पतरौल, वेक्सीनेटर आदि ऐसे कार्यकर्ता हैं लेकिन जब गांव के किसान को जरूरत पड़ती है, तो वह एक भी कर्मचारी हफ्तों तक नहीं मिलते हैं वह चाहे टीका लगाने वाला हो, या इंतखाब देने वाला लेखपाल इसलिये मैं राजस्व मंत्री को सुझाव देता हूं कि इस विषय पर वह कार्य करें। वह बहुत तजुर्बेकार मंत्री हैं और उनको इस कार्य में वाहवाहियां मिल सकती है । गांवों के लिये यह परेशानी का कारण है कि जो गांव के कर्मचारी हैं, वह गांव के आदमी को खोजने पर भी जल्दी नहीं मिल सकते हैं । सक्षम आदमी भी 10 दिन में इन्तखाब नहीं पा सकता है, तो वह ऋण कैसे पायेगा और दूसरे कार्य वह उनके बिना कैसे समय पर कर सकेगा । आप ऐसी व्यवस्था करें कि एक गांव के लिए एक कर्मचारी रहेंगे जो गांव के सभी प्रकार का कार्य कर लेगा आपका एक कर्मचारी वहां अवश्य रहे और वह हर समय गांव पंचायत के अधीन उसको कर दिया जाय । यह भी इन्तजाम किया जाना चाहिये कि ग्रामीण स्तर का जो छोटा गांव का कर्मचारी है---लेखपाल, ग्राम सेवक, पतरोल, सेक्रेटरी और वेक्सीनेटर आदि इनके कार्यों से असंतुष्ट होकर यदि गांव सभा प्रस्ताव पारित कर दे तोउसके आधार पर उनका स्थानान्तरण निलम्बन आदि हो जाया करे ।

सन् 1971 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार बस्ती जिले की जनसंख्या 36 लाख है । इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रशासन होना सम्भव नहीं है । इसके कारण आपकी पकड़ न जिला अधिकारी पर है, न जिला अधिकारी की पकड़ तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 आदि पर है । कोई भी जिलाधिकारी यदि 10

से 5 बजे तक सिर्फ आए हुये कागजों पर दस्तखत करना चाहे तो वह ठीक ढंग से दस्तखत भी नहीं कर सकता है । इस लिए आप बस्ती जिले को विभाजित करें और उसके दो जिले बनायें, जिससे वहां ठीक ढंग से प्रशासन चल सके ।

आपने कुछ अच्छी घोषणायें भी की हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन आज अच्छे नियमों का पालन कराने वाला कोई नहीं है । सारा प्रशासन अस्त-व्यस्त है । नियम आपके कागज पर रहते हैं और उनका वहां कोई कार्यान्वयन नहीं होता है । प्रैक्टिकली जिस गरीब के लिए आप नियम बनाते हैं, बड़े सोच विचार कर बनाते है, उसका कोई लाभ गरीब जनता को नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी प्रशासन पर पकड़ ढीली हो चुकी है । एक जिले की जन संख्या 36 लाख और 12-12 लाख की आबादी वाले तो यूरोप में तमाम देश हैं, इसलिए बस्ती जिले का विभाजन बहुत ही आवश्यक है । वहां पर 6 तहसीलें हैं, इनमें वृद्धि किये जाने के बारे में भी हमने वृ छ सुन रखा थ', पर पता नहीं वह सच है या झूठ । फिर भी मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से और जन-हित की दृष्टि से शोहरतगढ़, इटवा, मेहदावल और महुली में तहसीलें अवश्य स्थापित कर दें । आप जिले में कम से कम 2 कलेक्टर रखिए--एक सामान्य प्रशासन के लिए और दूसरा नीचे के कर्मचारियों के लिए, ताकि आपका प्रशासन ठीक ढंग से चल सके । आपके यहां

(व्यवधान)

(राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य जी का ध्यान किसी सदस्य की तरफ होने पर)

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मंत्री जी बात करने में लगे हैं । बस्ती का नक्शा तक तो जानते नहीं होंगे, कम से कम उनकी बात ही सुन लें । वह भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री बनराज यादव—

मैं सुझाव देना चाहता हूं । बस्ती में वहां जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी हैं उनकी वजह से, उनके निकम्मेपन की वजह से न जाने कितने काम रुके हुए हैं । मेरे क्षेत्र में कपिलवस्तु (पिपरहवा) में सरकार ने जमीन तो एक्वायर कर ली है, लेकिन जनता को मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिकारी से नहीं मिल रहा है, जिनके कारण से कार्य आगे रुका हुआ है । इसी तरह से गंगाधरपुर से उसका रेलवे-पुल तक का जो बांध बनना है, उस बंधे के लिए जमीन अध्याप्त की जानी थी, लेकिन उसका भी न लोगों को मुआवजा मिला न बंधा बना । वहां के जिलाधिकारी जिले में ईमानदार अधिकारियों को रहने नहीं देना चाहते हैं । एक जिला परियोजना अधिकारी, जो बहुत ईमानदार थे, जो न कमीशन लेते थे न देते थे, इसलिए उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया । वहां के तमाम गांवों में बाढ़ की समस्या है, हमारे यहां के ग्राम संगलदीप और रींवा राप्ती नदी के पानी से, परसपुर ग्राम, कुंडा के पानी से और छितरापुर ग्राम बूढ़ी राप्ती के पानी से बह रहे हैं, कट गये हैं ।

आप इस तरह के आपदाग्रस्त लोगों की जो सरकारी सहायता देते हैं, एक घर के लिए दो-चार सौ रुपया देते है, जो कि बहुत ही कम है । कम से कम पांच हजार रुपया पुनर्वास के लिये दिया जाये । आप गांवों को ड्रेन से बचा नहीं सकते तो उसको कम से कम 5 हजार रुपया तो दे सकते हैं, आप वही दे दें ।

माननीय, एक छोटा सा संकेत करके अपनी बात खत्म करता हूं । जैसे कृषि विभाग हो या सहकारिता विभाग हो या रेवेन्यू विभाग हो सारे पैसे को आप वसूलते हैं और उसकी रसीद काटी जाती है लेकिन जिस पैसे का स्याहा नहीं किया जाता उसकी वसूली तहसीलदार को दे दी जाती है और तहसीलदार वारन्ट काट देते हैं, लोगों को पकड़ कर बन्द किया जाता है । मेरे यहां लालमन

नाम के व्यक्ति को बन्द किया गया। उसने रसीद दिखायी लेकिन फिर भी 4 दिन उसको बन्द रखा गया। तो आप ऐसा आदेश भेजें कि यदि काश्तकार रसीद दिखाता है तो उसको जेल में बन्द न किया जाय और जेल न भेजा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री धनराज यादव—

आपकी लाल बत्ती बहुत जल रही है, मैं अपनी बात को पूरी करता हूं।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और हमारे विरोधी दल की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। मान्यवर, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया कि राजस्व विभाग एक बहुत पुराना विभाग है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सबसे बड़ा और पुराना विभाग है। यह इसी से अंदाजा होता है कि जब कोई जरूरत पड़ती है, किसी प्रकार का कहीं पर काम पड़ता है तो वह लेखपाल को दिया जाता है। अगर पैसे की वसूली का काम है तो लेखपाल को लगा दिया जाता है। पैसा जमा करने का काम होता है तो लेखपाल को लगा दिया जाता है। नसबन्दी के काम में लेखपाल को लगा दिया जायगा और आंकड़े रखने का काम हो तो लेखपाल करेगा। कुटुम्ब रजिस्टर का काम भी कभी-कभी लेखपाल के जिम्मे दे दिया जाता है।

राजस्व विभाग को जो यह सब काम सौंप दिये जाते हैं तो उसका जो मूल काम है वह छूट जाता है और लेखपाल से लेकर ए0 डी0 एम0 स्तर तक यह होता है। एस0 डी0 एम0 के जिम्मे भी अनेक काम ऐसे लगा दिये जाते हैं जिससे उन्हे जो जमीनों के मुकदमें तय करने होते हैं और न्यायालय में बैठना होता है वह ठीक से नहीं कर पाते हैं और साल में 10-5 दिन ही न्यायालयों में बैठ पाते हैं। पुराने-पुराने मुकदमें पड़े रहते हैं और उनको एस0 डी0 एम0 तय नहीं कर पाते हैं। उनके जिम्मे ला-एण्ड-आर्डर की व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था देखनी होती है। तमाम वाद पड़े रहते हैं 10, 15 साल से। कुर्की सर्च प्रापरटी के मुकदमें पड़े रहते हैं उनको रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो मुकदमों के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिये और कोई एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट नियुक्त होना चाहिये।

अभी यहां पर बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। उन्होंने बताया कि 30 जून, 1980 के पहले से जो हरिजन ग्राम सभा की जमीन पर काबिज हैं उनको वह बेदखल नहीं करेंगे। यह क्रांतिकारी कदम है। इसी तरह से जो पात्र व्यक्ति हैं और 30 जून, 1980 के पहले किसी ग्राम सभा की भूमि पर या काश्तकार की जमीन पर मकान बनाकर वह रह रहे हैं तो वह बेदखल नहीं किये जायेंगे। यह सारे क्रांतिकारी कदम उठाये जा रहे हैं। यह कांग्रेस सरकार की नीति रही है और कांग्रेस सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। माननीय यादव जी ने कहा कि चौधरी साहब के समय में यह हुआ वह हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने स्वयं जमींदारी तोड़ी थी। चौधरी साहब कांग्रेस में थे। कांग्रेस के निर्देश पर ही वह काम उन्होंने किये थे।

श्री सत्यपाल सिंह—

कांग्रेस आज भी है लेकिन चौधरी साहब उसमें नहीं हैं।

श्री मुईद अहमद—

मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस की संस्कृति रही है। कांग्रेस सरकार क्रांतिकारी कदम उठाकर समाजवाद लायी। राजाओं को

समाप्त किया और जमींदारी तोड़ी । सारे समाजवादी काम कांग्रस सरकार ने किये हैं ।

श्री राम सरन—

राजा लोग आपकी कैबिनेट में हैं । राजा संजय सिंह और राजा अजित प्रताप सिंह तो आपकी कैबिनेट में हैं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, चकबन्दी की बात की गई, चकबन्दी से फायदा हुआ है । किसानों को और प्रदेश की जनता को चकबन्दी से इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता । सब लोग जानते हैं कि उनको मुकदमों से छुटकारा मिल गया, जो दीवानी और हाईकोर्ट में मुकदमें चल रहे थे, वह अटंच हो गये । चकबन्दी से फायदा हुआ । उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, उसमें चक रोड को चकरोड से मिलाया नहीं गया, सेक्टर रोड को सेक्टर रोड से मिलाया नहीं गया । इसको चाहे जब भी कीजिये लेकिन चकरोड को चकरोड से मिलाया जाय और सेक्टर रोड को सेक्टर रोड से मिलाया जाय, तो निश्चित ही विकास की ओर फायदा होगा ।

मान्यवर, एनीमी प्रापर्टी पड़ी हुई है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान पूरा नहीं जा रहा है । एनीमी प्रापर्टी ऐक्ट के माध्यम से काफी सम्पत्ति प्रदेश को मिल सकती है । मान्यवर, सरकारी कर्मचारी अगर कायदे से काम करें, तो यह सम्पत्ति काफी मात्रा में मिल सकती है । मान्यवर, बाढ़ और सूखा की आपदा प्रत्येक वर्ष आती है । यह दैवी आपदा है । इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बाढ़ और सूखे से प्रभावित लोगों को अविलम्ब राहत मिल सके ।

मान्यवर, जब तक जिलाधीश महोदय 80 फीसदी नुकसान की रिपोर्ट नहीं लगावेंगे, तब तक किसानों को लाभ नहीं हो सकता है । तो बाढ़ और सूखे के चपेट में पड़ने वाले गावों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका सर्वे कराया जाय और अगर बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, तो उनको परमानेन्ट रिलीफ देनी चाहिए । मान्यवर, मैं आपके आदेशानुसार अपना भाषण समाप्त करता हूं और जो राजस्व मंत्री जी ने राजस्व विभाग का बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के पुकारे जाने पर) ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी अवसर मिलेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, मुझ छठवीं विधान सभा में भी बैठने का मौका मिला और मैंने माननीय मंत्री जी का उस समय भी भाषण सुना था । मैंने माननीय मंत्री जी क भाषण उस समय भी सुना, जब माननीय मंत्री जी इधर बैठा करते थे । मान्यवर, यह जो उन्होंने भाषण दिया, यह उनका डयोरशंख भाषण है । मान्यवर, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं मैं मान्यवर, बस्ती जनपद, डुमरियागंज तहसील से चुन कर आता हूं । हमारे जिले में घाघरा, राप्ती और बूढ़ी राप्ती हैं । इन नदियों के बीच में हमारा जिला पड़ता है और उससे हम लोग तबाह हो जाते हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत भाषण दिया कि हमने यह तीर मारा, वह तीर मारेंगे । मान्यवर, इन नदियों के चपेट में हमारे डुमरियागंज तहसील

के 493 गांव महरूम हो गये। मुझे अफसोस है कि पिछली बार जो राहत कार्य के अन्तर्गत सहायता दी गयी, वह केवल 253 गांवों को दी गई और बाकी गावों को छोड़ दिया गया।

क्या कारण है कि जो गांव नदियों के किनारे बसे हैं जिनकी पूरी की पूरी आबादी मैरून रहती है, उन्हें आपके विभाग ने गृह अनुदान नहीं दिया। मान्यवर, काश्तकार मारे-मारे घूमते रहते थे, आपने कहा कि अनुदान नहीं है। बस्ती में कितनी बार रुपया मांगा गया। पहले जनता पार्टी का राज्य था तो उस समय जो राजस्व मंत्री बैठा करते थे, तब एक-एक परिवार को 50 किलो गेहूं दिया गया। कोई भी गांव मैरून नहीं किया गया, जो मैरून गांव थे, उनको आपने छोड़ दिया है। जो सहायता आप देते हैं आपका पत्र मौजूद है। मैंने 301 में सूचना दी थी पोथीडीहा गांव जल गया। वहां सात सौ रुपया 10 परिवारों को आपने दिया। 100 रु0 भी आपने हर परिवार को नहीं दिया। आप 400 सौ रुपया गृह अनुदान में दे सकते थे, लेकिन आपने 100 रुपया भी हर परिवार को नहीं दिया। आपकी चिट्ठी मौजूद है बल्देव सिंह आर्य जी को 700 रुपया आपने दिया है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि 10 परिवारों में सिर्फ 700 रुपया दिया गया।

मान्यवर, आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, उसके बाद जिलों में हाहाकार मचती है। सारे जिलों में बाढ़ आ जाती है। एक साथ फजाबाद और इलाहाबाद जिलों में बाढ़ आ जाती है। सड़कें कट जाती हैं तो आपके कलेक्टर और तहसीलदार ट्रकों पर नाव लादकर जिलों में पहुंचते हैं तब तक बाढ़ खिसक जाती है। आपका सारा किराया, सारा पैसा बेकार चला जाता है। मेरे पास सबूत है आपका सारा किराया, सारा पैसा बेकार चला जाता है। आप इसके आंकड़े जोड़िये आप नाव का किराया कितना देते हैं। आप इसको जितने मैरून गांव हैं उनको दे दीजिए।

मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं। जब बाढ़ आती है तो आदमी दौड़ना शुरू करता है, काश्तकार दौड़ना शुरू करता है। लेखपाल उसका नाम सहायता लिस्ट में जोड़ने के लिए कहता है 20 रुपये लओ, 10 रुपये लाओ तब नाम लिखूंगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप सहायता कार्ड क्यों नहीं बनवा देते हैं जिससे जब उन पर कोई आपत्ति आए, कोई दैवी आपदा आए तो वह उस कार्ड को लेकर चले जाएं और उसके हिसाब से उनको सहायता दे दी जाए। जैसे कि आपने जो तबही बनाई है। इस तरह से आप मैरून गांव में कर दें तो बेहतर होगा। जो जमीन आवंटित की है, जो घर बनाने के लिए जमीन दी गई है, उनके मुकदमें मुंसिफ की अदालत में चल रहे हैं। कितने हरिजन बनाम सरकार के चल रहे हैं उसका क्या कारण है। जमीनों को यह नहीं देते हैं। जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। आपका तहसीलदार और लेखपाल जो बैठते हैं हरिजनों के नाम से जमीन आवंटित कर देते हैं।

श्रीमन्, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां चकबन्दी चल रही है। डुमरियागंज में छः सी0 ओ0 की जगह हैं। उसमें केवल तीन सी0 ओ0 हैं। इसके अतिरिक्त 24 ए0 सी0 ओ0 होने चाहिए जिसमें 14 ए0 सी0 ओ0 काम कर रहे हैं। आप कभी कोई कानून बता देते हैं कभी कोई कानून बता देते हैं मान्यवर, आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि घर गिराई आग लगने पर जो 200 और 100 रुपये देते हैं, यह अपने आपमें शर्मनाक बात है। 100 रुपये तो छप्पर का फूस भी नहीं आ सकता है

अन्त में मैं माननीय सत्यपाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है, उनकी पुनरावृत्ति में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किन्हीं बिन्दुओं पर जो समयाभाव के कारण रह गये हैं, उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसलिए मैं आपकी अनुमति चाही, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया । सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम जो हमारी सरकार ने उठाया है, वह यह है कि 30 जून, 1980 से पहले से जो जहां बसे हैं, उनको बेदखल नहीं किया जायेगा । मैं समझता हूं यह एक ऐसा कदम है, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सभी की यह भावना है कि जो जहां बसा है उसको वहां रहने दिया जाय ।

यह जानकर आपको खुशी होगी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 85 तक पात्र पाये गये 1860222 परिवारों में से 1813646 को आवास स्थल आंवटित किये जा चुके हैं । मई 1985 तक प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1985-86 में आवास स्थल आंवटन में प्रदेश का स्थान भारत वर्ष में प्रथम रहा है । यानी हमने टाप किया है इससे हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है । गरीबों के लिये जो व्यवस्था की गयी है निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा होनी चाहिये ।

दूसरी बात यहां पर चर्चा हुई भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता की । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 1983–84 में 114.00 लाख रु० का प्राविधान था जिसमें से 94·36 लाख रुपये 27,132 भूमि आवंटियों में बांटे गये हैं । आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति/जनजाति के 18,765 व्यक्तियों को 64.19 लाख रुपये दिया गया है । वर्ष 1984–85 में 127.54 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 32,000 भूमि आवंटियों में बांटे जाने की व्यवस्था है जिसमें 103.54 लाख रुपये 21,705 भूमि आवंटियों में बांटे जा चुके हैं । वर्ष 1985–86 में रुपये 176 लाख की व्यवस्था की गयी है ।

एक बात माननीय सदस्य सत्यपाल सिंह जी ने राजकीय देयों की उगाही के बारे में कहा कि इस पर बहुत खर्च होता है । उनको शायद भ्रान्ति हो गई है । इसपर 14 प्रतिशत से अधिक नहीं खर्च हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि राजस्व वर्ष 1984–85 (1–10–84 से 30–9–85 तक) में दिनांक 31 मार्च, 1985 तक मुख्य देयों के अन्तर्गत शुद्ध मांग रुपये 70.86 करोड़ के विपरीत रुपये 30.20 करोड़ की वसूली की गयी । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1984–85 में विविध देयों की वसूली होने योग्य शुद्ध मांग 88.43 करोड़ थी जिसके विपरीत रुपये 66.24 करोड़ की वसूली हुई वित्तीय वर्ष 1983–84 में कुल वसूली रुपया 156.09 करोड़ संग्रह अधिष्ठान पर 22 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च हुये थे जो वसूली का 14.5 प्रतिशत है । जो भी भ्रान्ति है इस भ्रान्ति को कृपा कर अपने मस्तिक में न रखे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तथ्यों को झुठलाया है । मैंने जो बात कही थी 1982–83 और 1981–82 की कही थी ।

श्री गौरीशंकर—

मैंने आंकड़े दे दिये हैं ताकि भ्रान्ति न हो । निर्बल वर्ग को राहत देने के लिए साहूकारी व्यवस्था जो चली आ रही थी । उससे हमारे निर्बल वर्ग के लोग बहुत दुखी थे । यह तो एक

बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है कि साहूकारों के ऋण से उनको मुक्ति मिली है। उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977 द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त, ग्रामीण शिल्पियों तथा शहरी मजदूरों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2400 रुपये से कम है के साहूकारी कर्जे पूरी तरह से समाप्त हो गये हैं। उपरोक्त श्रेणी के जिन व्यक्तियों की आय उपरोक्त सीमा से अधिक है उनके ऋण भी, ऋण से दुगुनी या उससे अधिक धनराशि का भुगतान हो जाने पर, समाप्त होने का प्राविधान है। उपरोक्त ऋणी व्यक्तियों द्वारा गिरवी रखी गयी चल व अचल सम्पति वापस किये जाने का प्राविधान है।

साहूकारी कारोबार को नियंत्रित करने के लिए साहूकारी विनियमन अधिनियम 1 सितम्बर, 1976 से लागू है। साहूकारी कारोबार वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीकरण साहूकारी रजिस्टर (अतिरिक्त जिलाधिकारी अथवा अन्य अधिकारी) द्वारा करा लिया है, बिना पंजीकरण के साहूकारी कारोबार करने वाला व्यक्ति छः मास तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेनदार द्वारा वसूली के लिए ऋणी को उत्पीड़ित किये जाने या उत्पीड़न करने के लिए दुष्प्रेरित करने पर लेनदार को 3 माह तक की सजा या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई लेनदार प्रतिभूत ऋण पर 14 प्रतिशत से अधिक तथा अप्रतिभूत ऋण पर 17 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं ले सकता है और ऋणी द्वारा दी गयी प्रत्येक अदायगी के लिए देनदार को कम से कम एक साक्षी द्वारा प्रमाणित रसीद देना आवश्यक है।

वैसे तो पंजीकृत साहूकारों की संख्या 65 हजार 626 है। माह के दौरान निरस्त निलम्बित किये गये लाइसेंसो की संख्या 5860 है। निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूल करने वाले पकड़े गये साहूकारों की संख्या 5 है। स्पेशल चेकिंग के फलस्वरूप बिना साहूकारी लाइसेंस के कार्य करने वाले पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या 80 है। साहूकारों द्वारा उत्पीड़ित किय जाने में पकड़े गये मामलों की संख्या 46 है। ऋण अनुतोष अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत मुक्त ऋणियों को लौटायी गयी चल अचल सम्पत्ति के बयौरा के 850 मामले हैं और उसकी धनराशि 5 लाख 70 हजार 926 रुपये है।

एक चीज अपने यहां कही थी वह यह है कि चकबन्दी के द्वारा कदाचित कुछ लोगों ने कहा कि चकबन्दी की इस प्रक्रिया के कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने में आयी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है स्वैच्छिक चकबन्दी। आपने यद्यपि बरेली जनपद का एक उदहरण दिया है कि सी0 ओ0 के कार्यालय में वर्षों से मामला लम्बित है खैर उसको मैं दिखवा लूंगा। लेकिन वह एक बहुत प्रशंसा का पात्र है, यद्यपि पूरे प्रदेश में एक हजार सोलह गांवों में स्वैच्छिक चकबन्दी का कार्य हुआ है लेकिन बरेली जनपद में अकेले 111 गांवों में स्वेच्छिक चकबन्दी करायी है और 3 साल में जो कार्य होता उसको केवल एक वर्ष में पूरा कर दिया। हमारा और अपका सामूहिक प्रयास हो तो समस्या का निराकरण हो सकता है। स्थिति यह है कि जहां हमारे खेत हैं नहीं किसानों के खेत हैं नहीं क्या उनकी जमीन कम उपजाऊ है, वहां कम कीमत की जमीन के बदले ज्यादा कीमत की जमीन सब चाहते हैं। चाहते हैं कि खराब भूमि के बदले अच्छी भूमि मिल जाय तो अच्छा हो तो यह एक सामजिक व्यवस्था है। इसमें दोषी हम और आप सभी रहते हैं। इस बात को हम मस्तिष्क में रखें तो इससे छुटकारा मिल सकता है।

भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में एक कान्फ्रेन्स में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आयी कि जो दूसरे विभाग जमीन लेने में समय लगाते थे और पूछने पर कहते थे कि नोटीफिकेसन नहीं हुआ गवर्नमेंट प्रेस से। इसमें शासन ने विशेष रूप से निर्देश जारी किये हैं कि उसमें त्वरित गति से कार्य किया जाय। इसके लिये यहां पर एक जेप टैलीफोन और वेहिकल की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इससे हमें गन्तव्य की ओर कदम बढ़ाने में आसानी होगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में पूछना चाहेंगे कि क्या कदम उठा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रयास से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बाढ़ सूखा आदि कार्यों के लिये विशेष रूप से राहत दी है, उस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। राजस्व विभाग को विशेष रूप से पेयजल परिवहन के लिये नान-प्लान में 1.70 करोड़ रुपया मिला है और अहेतुक सहायता 2.50 करोड़ की है टोटल मिला कर 4 20 करोड़ है। इसी प्रकार पशुधन विभाग के लिये पशुओं की दवाओं के लिये 0.42 करोड़ और राहत कैम्पों की स्थापना के लिये 0.14 करोड़, टोटल 0.56 करोड़ रुपया मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पम्प, ट्यूबवेल लगाने हेतु 3.88 करोड़ रुपया और पर्वतीय ग्रमीण क्षेत्रों में पाइप लाइनों के विस्तार के लिये 1.40 करोड़ रुपया मिला है। शहरों में हैंड पम्प, ट्यूबवेल लगाने हेतु 1.00 करोड़ रुपया मिला है। शहरों में तात्कालिक जल आपूर्ति हेतु 90 लाख रुपया मिला है। चिकित्सा विभाग के लिये 0 95 करोड़ रुपया दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विशेष पोषाहार योजना में 1.84 करोड़ रुपया मिला है। इसी प्रकार जो क्षेत्र सूखा और बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनके लिए रोजगारपरक कार्य किया गया है। 3.25 करोड़ रु0 एन0-आर0 ई0 पी0 के लिये और इसी प्रकार अन्य कुल योजनायें मिला कर टोटल 23.45 करोड़ रुपया का प्रविधान किया गया है।

हमें पूरा विश्वास है कि इतने सारे कारगर कदम उठाने के बाद हमारे आपके सामूहिक प्रयास से राजस्व विभाग जनता की अच्छी सेवा कर सकेगा और जो हमारा जनता की सेवा करने का संकल्प है, उसको पूरा करने में हमें आप सबका सहयोग मिलेगा। यहां हमने जो क्रान्तिकारी कदम उठाने की घोषणा की है, उसमें हमें आपका सहयोग मिलेगा हमें यही आशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विभाग की इन बजट की मांगों पर आपके समर्थन का अनुरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इसको आप सदन में पढ़ने के बजाय छपवा कर वितरित कर देते तो सभी माननीय सदस्यों को अधिक जानकारी हो सकती थी।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यह मैंने इसलिये यहां पर कह दिया कि माननीय सदस्यगण इस पर अच्छी प्रकार बोल सकें। इसीलिये इसको यहां पर पेश किया गया।

श्री मूलचन्द—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के प्रस्तुत अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने विभाग की अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करते समय आवास आवंटन पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, मुझे यह कहते हुये अत्यन्त दुख है कि एक-एक बिस्वा भूमि आवास

आवंटन में जिन लोगों को किया गया, 37 वर्ष आजादी के बाद, उसे विभाग की प्रगति का प्रतीक बताया। लेकिन, माननीय मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उस एक-एक बिस्वे आवास आवंटनों के खिलाफ कितने मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मन्त्री जी ध्यान से सुनिये, कितनी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें ।

[समय 4-15]

श्री मूलचन्द--

मान्यवर, पहले तो चकबन्दी हुई चकबन्दी में आबादी काटी । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सारा कार्य कागजों पर ही हुआ । जब आवास आवंटन की बात आयी, तो एक हरिजन का मकान किसी दूसरे हरिजन के नाम आवंटित हो गया । यही नहीं जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के दरवाजे पर आवास आवंटन हो गया और जब उस व्यक्ति को पता चला कि उसका दरवाजा आवास आवंटन में आ गया है । उसने दरख्वास्त दी, उस पर इन्क्वायरी हो रही है । तो हो क्या रहा है जो गरीब आदमी, जिससे आवास आवंटन नहीं मांगा है, उसको पार्टी बनाया जा रहा है । 158 (4) के अन्तर्गत उसको नोटिस मिल रही है । जब उस व्यक्ति को एक बिस्वा के आवास आवंटन की नोटिस प्राप्त हुई, तो वह किसी की पैरवी के लिया गया। पैरवी में गया जवाबदेही हुई । जवाबदेही में मान्यवर, आप जानते होंगे कितना पैसा खर्च हो जाता है । जिनको वह पैरवी के लिये लिया गया, 15 रुपये उसका किराया खर्च 10 रुपया उसका खुद का किराया खर्च लगा, 10 रुपये की उसकी मजदूरी गयी, 10 रुपये वकील साहब को वहां देने पड़ेंगे, 2 रुपये पेशकार को देने पड़ेंगे, 3 रुपये इधर-उधर खर्च हो जायेंगे । उसके बाद वकील साहब अपनी फीस और अलग लेंगे । इतना सब खर्चा उस गरीब आदमी को करना पड़ेगा । उसके बाद मान्यवर, वह मुकदमा चलेगा 10 वर्ष । आवास आवंटन एक बिस्वा और मुकदमा चलेगा 10 वर्ष तक । मान्यवर, मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आवास आवंटन और कृषि भूमि के आवंटन का आंकड़ा दिया है, उसी प्रकार से वह यह आंकड़ा भी देने का कष्ट करें कि आवास आवंटन के कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

दूसरे आवास आवंटन का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, कितने लोग उसमें कब्जा नहीं पाये हैं कृषि भूमि के आवंटन की हालत यह है कि अच्छी कृषि भूमि का आवंटन गरीबों को नहीं मिला है । किसी को भीटा दे दिया गया है, किसी को गड्ढा दे दिया गया है । आज भी तमाम कृषि योग्य जमीन परती पड़ी हुई है । तमाम मुकदमें 158(4) के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में तथा रेवन्यू बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हैं, तो आपने लोगों को जमीन कहां दिया है, आप तो देते हैं मुकदमा । आवंटन के बजाय वे लोग मुकदमें लड़ रहे हैं । उनके कन्धों पर मुकदमों का बोझ डाल दिया गया है । जमीन पर वे लोग कब्जा नहीं पाये हैं, लेकिन मुकदमा लड़ रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मूलचन्द--

मान्यवर, चकबन्दी के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । चकबन्दी की हालत यह है कि वर्ग-6 की जमीन जो जलमग्न है, जिसे ये आवंटित किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, उसे भी इन्होंने एलाट कर दिया है । एक बीघे के चक की जगह पर, 9 बीघे का चक एलाट किया गया है । इसके बावजूद भी आप हरिजनों का दुहाई दिये जा

रहे हैं । यहां तक की हरिजन बस्तियों का चकों को भी, इन्होंने एलाट कर दिया है । उनके आने–जाने के लिए रास्ता नहीं है । इसलिए मन्त्री जी गरीबों को जिस भूमि का आवंटन किया है, उसको आप विशेष व्यवस्था करें और जो मुकदमें विचाराधीन हैं, उनका निस्तारण तुरन्त किया जाय । जिनके घर चक में आवंटित किए गए हैं, उसकी जांच करवा कर, उसे वहां से निकालिए । जो बजट पेश किया गया है । उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट––

मान्यवर, आपने राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने प्रजातन्त्र को प्रथम इकाई ग्राम सभाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश के गरीब हरिजन, गिरिजन और निर्बल वर्ग को ऊंचा बठाने के लिए विशेष व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाई है । अप्रैल, 1985 तक 18.1 लाख व्यक्तियों को आवासिक व्यवस्था देकर व्यवस्थित करवाया है । 30 जन, 1980 तक गरीब हरिजन जो ग्राम समाज की भूमि पर बसे हुये थे, उनको नियमित करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश के गरीब लोगों के विकास के लिये बहुत से कार्यक्रम बनाये हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो जनहित में बहुत आवश्यक हैं ।

मान्यवर, हमारे सीलिंग में अनेक प्राविधान किए गए हैं । लेकिन अरबन एरिया के लिए, यदि मैं एक बाग का मालिक हूं । उस बाग को सीलिंग से उन्मुक्तता मिली है, मैं उस बाग को काटना चाहता हूं, उस बाग को न काटने का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध प्रदेश सरकार के नियमों में नहीं है । इस ओर मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं देहरादून में लिची के बाग बहुत हैं । इस त्रुटि का लाभ उठाकर सीलिंग से उन्मुक्त बाग को काटकर, सीलिंग में निहित होने वाली भूमि का लाभ वह उठा रहे हैं ।

दूसरी बात हरिजनों को ऊंचा उठाने के बारे में है । यदि किसी हरिजन पर किसी भी बैंक का ऋण चाहे वह सहकारिता का हो, या ग्रामीण बैंक का हो, जो 3 1/8 एकड़ से भी कम भूमि के मालिक हैं, तो जिलाधिकारी केवल हरिजन, हरिजन को ही भूमि बेचने की अनुमति देगा, दूसरों को नहीं । वहीं दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया के तहत चाहे वह सहकारी बैंक हो, विकास खण्ड हो या ग्रामीण बैंक हो, उसकी भूमि का नीलाम कर देता है । जब हरिजनों को हम इतनी सुविधा दे रहे हैं तो वही नियमों में यह प्राविधान किया जाना चाहिये कि उनकी भूमि का नीलाम न किया जाय ।

मान्यवर देहरादून में सीलिंग की बहुत सी भूमि बड़े–बड़े राजा महराजाओं और जमींदारों ने दूसरे लोगों से पैसा देकर उस जमीन पर कब्जा करा दिया है । उसको वहां से हटाने के लिये शासन ने उस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है । जो प्रभावशाली लोग , जैसे नैनीताल में हैं, उसी तरह से हमारे देहरादून में भी हैं, जिनके पास चार–चार सौ, पांच–पांच सौ बीघा जमीन है, लेकिन उसे मुक्त नहीं करा सकते । उस ओर शासन को ध्यान देना चाहिये । मई, 1985 से देहरादून में मास्टर प्लान लागू किया गया है । सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि सीलिंग में आ रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा कि माननीय राजीव गांधी द्वारा पर्यावरण की समस्या हेतु एक समिति एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (पर्यावरण विभाग) 13–1–83 मास्टर प्लान लागू करने से पहले बैठायी थी और उसने रिपोर्ट दी है कि जितनी

उपजाऊ कृषि जमीन है, उसको दूसरे कार्य से प्रयुक्त किया जाय, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन जो उपजाऊ है और जहां पूरे देहरादून की 90 प्रतिशत सब्जी व बासमती चावल पैदा होता है। मास्टर प्लान में पर्यावरण का असंतुलन पैदा करने के लिए यह क्षेत्र आबादी व उद्योग कला घोषित किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार की है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन के पास भेजा गया था, मास्टर प्लान पर रोक लगावें वरना पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा होगी।

देहरादून में जितनी नजूल की सीलिंग की जमीन है, चूंकि सब रजिस्ट्रार को यह अधिकार कर्त्तव्य नहीं है कि वह किसी रजिस्ट्री करने से पहले उसके स्वामित्व को देखें, इसकी वजह से 2–3 गैंग हैं जो फर्जी रजिस्ट्रीयां करा रहे हैं और इस तरह से सैकड़ों एकड़ नजूल व सीलिंग जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई हैं।

देहरादून में बाढ़ की समस्या है। मान्यवर, वहां अनुदान उस समय पहुंचता है जब गांव की जमीन, गांव की गरीब लोगों के मकान नदी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बरसात से पहले ही ऐसी व्यवस्था को लागू कर देना चाहिए।

चकबन्दी के सम्बन्ध में गढ़वाल और कुमायूं में देहरादून और नैनीताल, दो जिलों में जहां चकबन्दी लागू होती है, इनके मैदानी क्षेत्रों में इसे लागू न किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

आपने मुझे प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, अपने मुझे इस बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आप का आभारी हूं। माननीय राजस्व मंत्री जो ने आंकड़ों के बजट में सदन को फंसा दिया है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 71 हजार आवंटियों को अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। जितने भी पट्टे किये हैं उन पट्टों में 50 फीसदी पर आवंटियों का आज तक कब्जा नहीं हुआ है और पट्टों से संबंधित मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि सात–सात, आठ–आठ वर्षों के पट्टे हैं और आपात काल के समय के और आज तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। मैं देवरिया के कई मामलों को जानता हूं।

दूसरी जो सीलिंग की चर्चा की। मेरे जिले में ही सैकड़ों आवंटियों का सतहा में पट्टा किया गया जिसमें से कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्य हैं, जो 10 पट्टेदारों की जमीन पर खुद कब्जा किये हुये हैं। राजस्व परिषद् में मामले को लटकाया गया है। जिस प्रधान ने पट्टा दिया था, उस प्रधान को 82 से सस्पेण्ड किया गया है और आज तक उस मामले की प्रोसीडिंग इस बात के लिये नहीं स्टार्ट की जा रही है। जिसने प्रधान होकर पट्टेदारों का कब्जा दिला दिया उस प्रधान को इस बात के लिये न सस्पेण्ड किया जाय कि गरीबों को पट्टा दे दिया इसको आप निजी आधार पर देखें।

इसके साथ ही कानूनी पेचीदगियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। दफा 122–बी और दफा 128 के मुकदमें बढ़ रहे हैं। चकबन्दी के मामले में जो प्लाट्स लोगों को आवंटित किये जा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल छोटा कर दिया जाता है। चकबन्दी के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धारा 52 का प्रकाशन होता है । जब खेत की पैमाइश होती है तो क्षेत्र फल कम हो जाता है । एक-एक जिले में 10-10 हजार मुकदमें दफा 128 के चल रहे हैं । इसको व्यवस्था करनी चाहिये । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जहां चकबन्दी चल रही है, चकबन्दी के कर्ज को राजस्व विभाग द्वारा वसूल किया करते हैं । चकबन्दी की जगहों पर खूटें या लकड़ी लगा देते हैं, उसके स्थान पर स्थायी पत्थर लगाने की कृपा करें । दफा 122-बी के मुकदमें तेजी से चल रहे हैं । हर जिले में 20-20 हजार से ज्यादा हैं । इनको सरलतापूर्वक विचार करने का एक अवधि पुनः निर्धारित की जानी चाहिये । जहां लोगों के मकान और खूटे इत्यादि स्थापित हो गये थे, उनके साथ सेटिल मेंट की व्यवस्था करें जिससे मुकदमें भी खत्म हों ।

अभिलेखागार की सुरक्षा के बारे में इसमें कोई बजट नहीं रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, कुछ समय बढ़ा दें, मैं एक वकील भी हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

अभिलेखागारों पर कोई बजट नहीं है । चकबन्दी के मुकदमों के रिकार्डस रखने हैं । न तो अभिलेखागार के विस्तार की व्यवस्था है और न रख-रखाव की व्यवस्था है, न कर्मचारियों की व्यवस्था है । रिकार्डस गायब हो रहे हैं । देवरिया में चकबन्दी के बन्दोबस्त गायब हो गये हैं । पुराने भी गायब हो गये हैं, तमाम फर्जी हैं, इस तरफ भी ध्यान दें । एक और बिन्दु है अग्निकाण्ड के भीतर जो पीड़ित हैं उनके लिये अनुदान की राशि कम है । जहां तमाम खर्चे बढ़ाये वेतन, महंगाई भत्ता, टेलीफोन, गाड़ियां और पेट्रोल में, वहीं एक लाख 40 हजार राहत कोष में बढ़ाया है । इस राशि को और बढ़ायें एक पलसी का निर्माण क्या 200 रु0 में हो सकता है ? मकान जल जाने पर 200 रु0 देते हैं । मेरा आग्रह है कि पेट्रोल, जीप और अन्य चीजों में कटौती करके अग्निपीड़ित लोगों 1,000 रु0 की धनराशि कम से कम देने की कृपा करें । मैं समझता हूं कि मा0 राज्य मन्त्री जो नौजवान हैं, वकील भी रहे हैं, वास्तविक कठिनाई को जानते हैं । संशोधन को स्वीकार करके बजट में स्थान देने का कष्ट करेंगे ।

श्री हरदेव--

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका अभारी हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय राजस्व मंत्री जो आज यहां राजस्व के बजट को पेश कर रहे हैं वास्तव में इस बजट में दलित और कमजोर वर्ग की ओर ध्यान दिया गया है । मुझे खुशी है कि माननीय राजस्व मंत्री ने मन्त्रि सरकार की सलाह पर देश प्रदेश में चकबन्दी और राहत विभाग को खोला गया है जिससे कि करोड़ों-करोड़ों और लाखों दलितों कमजोर वर्गों के लिये आवास की सुविधा, उनकी खेती-खलिहान की रक्षा की सुविधा की व्यवस्था की गयी है या चकबन्दी से यह फायदा हुआ है कि गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को आबादी सहन की परेशानी थी, रहने के लिये परेशानी थी तो उन लोगों को रहने के लिये आवास देश प्रदेश के करोड़ों लोगो और लाखों-लाखों लोगों को मिल गये हैं ।

(इस समय 4 बज कर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खानगुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए ।)

प्रदेश में जहां सामन्तवादी लोग, जमींदार लोग जिन्होंने गरीबों के पेशाब करन का रास्ता, चलने के लिये भी जगह नहीं छोड़ी था, चकबन्दी के द्वारा उन गरीबों के घरों की और घूरा डालने की जगह क व्यवस्था कर दी गयी है। हमारी सरकार ने चकबन्दी करायी हैं और इससे गरीबों को राहत मिली है।

उत्तर प्रदेश सरकार के राहत विभाग से बाढ़ और सूखा के समय करोड़ों-करोड़ों रुपए जिले में राहत के लिये भेजे जाते हैं और उनका इस्तेमाल आग लगी हुई जगहों में, ध्वस्त मकानों, बाढ़ से पीड़ित लोगों की रक्षा में और पानी में डूबे हुए लोगों की रक्षा के लिये किया जाता है। जो लोग दैविक आपदा से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं उनको यह रुपया दिया जाता है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर भवन ध्वस्त हो जाता है तो उसके लिये 200 रु0 मिलते हैं, मैं चाहूंगा कि इसे बढ़ा कर आंशिक के लिये 500 रु0 या पूर्ण ध्वस्त मकान के लिये 1,000 रु0 कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दैवी आपदाओं में जो लोग मर जाते हैं, उनहें जो अनुग्रह राशि के रूप में 1000 रु0 दिये जाते हैं उसकी जगह उन्हें तीन हजार से पांच हजार रुपए तक दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हर तहसील स्तर पर जो रजिस्ट्री की जाती है उसके संबंध में मेरा एक सुझाव है कि उसमें कमजोर वर्ग के लोगों के खेतों को सामन्तशाही और जमींदार तबके के लोग एवं बेइमान लोग फर्जी निकल कर अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं और ये विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोग ऐसे ही उन लोगों का साथ देते हैं। तो मेरा इसके संबंध में एक सुझाव है कि भूमि क्रय करने वाले और विक्रय करने वाले दोनों के लिये परिचय-पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं चाहूंगा कि जो बड़े कास्तकार हैं या धूर्त लोग हैं उनके ऊपर जमीन की लगान तथा 9 से 10 हजार रु0 तक का तकावी का बकाया है, उसकी वसूली न होकर किसी बहाने उनको राहत मिल जाती है। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार से जो गरीब और भूमिहीन किसान हैं, एक एकड़ से कम की जोत वाले लोग हैं, उनके लिये मा0 राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब करोड़ों रु0 की वसूलयाबी नहीं होती है, तो इन सीधे लोगों पर जो थोड़ा सा पैसा तकावी का है, हमारी सरकार उसे वसूल न करे तथा मफ कर दें, हमारे जिले बलिया में इस साल जून तक पानी की एक बूंद नहीं पड़ी, मैंने बार-बार इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि बलिया रसड़ा को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जय लेकिन बलिया को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया बलिया को और रसड़ा को जनता के हित के लिये जबकि यह जरूरी बात थी। कृपया बलिया जनपद में रसड़ा तहसील घोषित करके सूखे में शासन से मिलने वाली सभी सुविधायें दी जाय। जनता के हित के लिये रसड़ा तहसील की जो वहां की जनता की मांग है कि बेल्थरा रोड (सियर) तहसील इसमें से काट कर निर्माण कराया जाय। यह प्रस्ताव जनहित में है और मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बिल्थरा रोड (सियर) को नई तहसील बनाया जाय। इनके साथ ही साथ में आपसे निवेदन करूंगा कि रसड़ा तहसील मुख्यालय पर मुंसिफी की व्यवस्था की जाये यहां पर व्यवस्था करने से जिन लोगों को 40-50 किलोमीटर रोज यहां से बलिया जाना पड़ता है और उनका तमाम पैसा खर्च होता है, वह बच जायेगा। इस प्रकार 10 हजार रुपये प्रति सप्ताह रसड़ा की गरीब जनता का बचेगा।

मान्यवर, मेरी जानकारी में एक मामला आया है कि सुदामा सिंह, नायब तहसीलदार, रसड़ा ने ग्राम अइलख इमलिया की 24 एकड़ जमीन को मृतक प्रधान के नाम पर फर्जी नये प्रधान की साजिश से जमीन वालों को पट्टा कर दिया है, जिससे गरीब लोग उस जमीन से वंचित रह गये हैं और जो सामंत और बड़े पैसे वाले लोग थे उनके नाम कर दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और उसको रसड़ा से हटाया जाय ।

मान्यवर, गरीब भूमिहीनों को जहां पर घनी आबादी है और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, चकबन्दी में अधिक के अधिक जमीन छोड़ी जाये जिससे उनको आवास की कठिनाई न हो । एक दूसरी बात और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सड़कें बनायी जाती हैं और सम्पर्क मार्ग बनाये जाते हैं, उनमें गरीबों एवं अन्य किसानों की जमीनें अधिक ले ली जाती हैं । मेरा सुझाव है कि जहां पर सम्पर्क मार्ग बनाये जायें वहां पर पहले चकबन्दी की जाये जिससे गरीब किसानों को कोई हानि न हो और उनकी भूमि बरबाद न हो । गरीबों को जो कोई आबादी आवंटित की जाय तो परगनाधिकारी और तहसीलदार द्वारा उसकी विवेचना करा ली जाय कि जो आवंटी है वह वास्तव में पात्र व्यक्ति है या नहीं, क्योंकि प्रधान अपने पक्ष के गलत लोगों को जमीन आवंटित कर देते हैं जो उसके लिए पात्र नहीं होते हैं । खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको तत्काल पट्टा दिया जाये और उस पर उनको कब्जा दिया जाये साथ ही इस प्रकार की भूमि पर कोई मुकदमा न बनाया जाय ।

मान्यवर, राजस्व विभाग, भूमि अध्याप्ति विभाग और कलेक्टरी में अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा प्रदेश के हर जनपदों में पूरा नहीं है । इसको पूरा किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसकी निन्दा करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त करें ।

श्री अफजाल अंसारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, राजस्व विभाग की ओर से जो कृत कार्यवाही का संकलन प्रस्तुत किया गया है वह अधूरा है और तथ्य से परे है । मान्यवर, मैं एक विशेष बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, राजस्व विभाग के द्वारा प्रत्येक भूखण्ड का एक निश्चित मूल्य आंका गया है और जब कोई किसान उस जमीन की रजिस्ट्री या बैनामा कराता है, तो उसी मूल्य के आधार पर राजस्व कर देना पड़ता है, परन्तु जब सरकार उस भूमि को लेती है, तो जो मूल्य उस भूमि का आंका गया है, उस आधार पर किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है । यह एक अन्याय है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, राजस्व की वसूली का कार्य जून माह के अन्त तक किया जाता था, परन्तु इस बार अभी तक किया जा रहा है और उसमें सख्ती बरती जा रही है । मान्यवर, जिन 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था वहां पर राजस्व की वसूली का कार्य निहायत सख्ती के साथ किया जा रहा है और जो गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके साथ सख्ती की जा रही है, जो सरासर अन्याय है । इन 26 जिलों के जो लोग हैं, उसमें 90 प्रतिशत लोग बरबाद हो चुके हैं, उनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गयी है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं शासन से

निवेदन करूंगा कि पिछले वर्षों का जो बकाया है उसको माफ कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्राकृतिक आपदाओं की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं में राजस्व विभाग द्वारा जो सहायता कार्य किये जाते हैं वह बहुत सुचारु रूप से किये जाते हैं परन्तु मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि आज प्रदेश में जिन जिलों के अन्दर प्राकृतिक विपदा उत्पन्न होती है जैसे बाढ़ उस समय राजस्व विभाग के अधिकारी और मनमाने ढंग से लूट करते हैं। उन्हें खुली छूट होती है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता --

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अफजाल अंसारी --

मेरा 5 मिनट का समय है, अभी एक मिनट हुआ।

श्री अधिष्ठाता --

चार मिनट हो गया। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अफजाल अंसारी --

मान्यवर, आज 40 वर्ष पहले की अनुमानित दर के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा यदि कहीं आग लग जाय, किसी का मकान बाढ़ में बह जाय, फसल बरबाद हो जाय तो उस दशा में तहसीलदार के स्तर से 100 रुपये और डी0 एम0 के स्तर से 300 रुपये पीड़ितों को दिये जाते हैं। मान्यवर, यह धनराशि बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाय। तीन सौ रुपये और एक सौ रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मैं गाजीपुर से सदस्य चुन कर आया हूं। मैं अपने जनपद की स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह जनपद है जो प्रति वर्ष बाढ़, सूखा, पेयजल संकट आदि की समस्याओं से ग्रसित होता है। हमारे यहां पिछले साल सूखा पड़ा था जिससे किसानों की फसलें बरबाद हो गईं और हमारा पूरा जनपद बाढ़ के खतरों से जूझ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाढ़ के समय राजस्व विभाग द्वारा जो बाढ़ चौकियां या बाढ़ राहत केन्द्र खोले जाते हैं वह जनहित की भावना को न देखते हुये पहले अधिकारियों की भावना को देखते हैं कि वहां वे आसानी से पहुंच सकें, वहां खोले जाते हैं। मैं विशेष रूप से एक मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि बाढ़ के समय जिन जनपदों में, जिन विधान सभाई क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप हो उस विधान सभाई क्षेत्र के सदस्य के लिए विशेष रूप से छोटी मोटरबोट की व्यवस्था की जाय ताकि वह बाढ़ में जनसम्पर्क कर सके और ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण कर सके।

श्रीमती चारु शीला --

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी कृपा से और आपकी उदारता से जो थोड़ा सा समय आपने मुझे बोलने के लिए दिया है उसके लिए मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगी कि जो बजट उन्होंने पेश किया है वह प्रगतिशील है और उसमें उन्होंने चकबन्दी में जो डांडी पिटवाकर यह सूचना दिलवाई है किसानों को कि जो कुछ भी उनकी समस्यायें हों, उन्हें उनके सामने रखें। उनको सुलझाने का पूरा प्रयास किया गया है। इससे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ है। इसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि इसमें थोड़ा सा और जोड़ लें।

मालिक बने हैं। इस तरीके से जैसे हमारे देश की सारी पूंजी चन्द पूंजीपतियों के हाथ में सिमट कर रह गई है, उसी तरह से हमारे देश की आराजी चन्द काश्तकार के हाथ में सिमट कर रह गई है। जो जमीन के चोरों की गई है, बड़े बड़े फार्म बने हैं, कुत्ते, बिल्ली, नौकरों और रिश्तेदारों के नाम जमीन है। बेहतर होता कोई ऐसी घोषणा आप करते कि ऐसी जमीनों की जांच करवायेंगे, जो जमीन की चोरी की गई है, उसको सीलिंग ऐक्ट लागू करके गरीबों में बटवायेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह सराहनीय बात कही जाती।

मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी है, उसकी संस्तुतियों को आपने लागू नहीं किया, कुछ किया कुछ नहीं किया। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं मान्यवर, आगजनी हो जाती है। आग लगती कहां है, खलिहानों में। उसके लिए इसमें कोई प्राविधान नहीं है। उसको आप दो पैसे की राहत नहीं दे सकते हैं। बेहतर होता कि आप खलिहानों में आग लगने वाली बात को राहत सहायता में शामिल करते। कोई बिल लाकर या संशोधन करके खलिहानों में आग लगने को राहत में शामिल करते। जो अहेतुक सहायता 100 रुपये है या और गृह अनुदान 200 रुपये था उसको बढ़ाकर अहेतुक सहायता 200 रुपये और गृह अनुदान 400 रुपया कर दिया। इस अहेतुक सहायता को बढ़ाकर 200 से 400 रुपये और गृह अनुदान को बढ़ाकर 400 से 600 रुपया करना चाहिए था। आप 71 करोड़ में से कुछ तो रुपया खर्च करिये ताकि गरीबों को कुछ राहत मिले। आपने वह बात कही है जिसका कोई आधार नहीं है।

अब मेरा एक और सुझाव है। जिस तरह से आज हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को शिकायत है, चकबन्दी के विषय में। यह बात सही है अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया है कि बरेली में 15 साल से केस चल रहा है और उसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्व मन्त्री एक युवा हैं और दूसरे वृद्ध। यह युवा और वृद्धावस्था का सुन्दर समन्वय है। एक अनुभवी हैं और एक युवा व्यक्ति हैं। दोनों लोगों ने मिलकर मेरी बात को काटा है और कहते हैं कि बरेली के अन्दर इतनी हमने स्वैच्छिक चकबन्दी करायी है। लेकिन जनता इसका फायदा चाहती है इसलिए उसने स्वैच्छिक चकबन्दी करायी। आपके प्रदेश में पूरी चकबन्दी नहीं हुई है केवल आपकी रिपोर्ट के अनुसार 155 तहसीलों में चकबन्दी हुई है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द यह चकबन्दी कराय आगे मेरा आपसे कहना है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सत्यपाल जी यह जो आपका जवाबी भाषण है वह संक्षेप में कीजिए।

श्री सत्य पाल सिंह---

मान्यवर, मेरे एक सदस्य होने के नाते मुझे पूरी जानकारी नहीं है जैसे कि हड़िया का चावल जो चखकर मालूम होता है कि वह कच्चा रह गया है या पक गया है। मान्यवर, सहारनपुर जिले में एक डी0 सी0 सी0 है, उप चकबन्दी आयुक्त, वह वहां का मूल निवासी है और उसका पिता वहां उस उपयुक्त की दलाली कर रहा है। सहारनपुर में एक एस0 डी0 ओ0 भरद्वाज है जो 6 साल से डटा हुआ है वह शराब पीकर अदालतों में बैठता है और घूसखोरी करता है। आपका यह दायित्व है कि जो ऐसी जगह पर लगा हुआ है उसको हटाने की कृपा करें।

मान्यवर, 3-4 सुझाव और देना चाहता हूं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात मैं कह रहा था कि राजस्व परिषद के अन्दर 8,000 मुकदमे लम्बित हैं। दैविक आपदाओं के लिए जनता पार्टी में प्राविधान किया गया था आप

ी दैविक आपदाओं के लिए अपने बजट में प्राविधान कराइये क्योंकि दैविक आपदाओं का समय आ गया है। आपके नाविक मल्लाह काम करते हैं नाव के ऊपर जो दैविक आपदा में राशन बांटते हैं, उसमें चना आप अवश्य बटवाइये। आप बन्दोबस्त करवा रहे हैं सारे आराजी का जो गांव में झगड़े चल रहे ह छप्पर के परनाले के नाली के उस सम्बन्ध में आप आराजी का बन्दोबस्त करने पर विचार करें। जो प्राइवेट बाजार हैं जो प्राइवेट मेले चल रहे हैं, अच्छा होता कि आप उनको अधिग्रहीत करते तो शासन के हित में होता और इससे शासन की आमदनी बढ़ती।

हमे याद है कि हमारे क्षेत्र में एक परगना जिसके अन्दर 12 गांव हैं। एक परगना जलालाबाद है जिसके अन्दर तहसील है। मैं चाहता हूं कि आप इसके परिसीमन की तरफ भी विचार करें यही कुछ क्रान्तिकारी कदम उठायें। मुझे खुशी है कि मेरी यह युवा और वृद्ध की जोड़ी काम कर रही है। रायबरेली में पिछले वित्तीय वर्ष में 2 नयी तहसीलों का निर्माण कर, परिसीमन किया गया। आप टेलीप्रिन्टर की सूचना पहले ही दे चुके हैं सन् 1984 में नहीं सन् 1982 और 1983 में दे चुके हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि आपके इस कार्यकाल में सारे जिलों को मुख्यालय से क्यों नहीं जोड़ा गया। यह संख्या 45 से आगे क्यों नहीं बढ़ी। इसको बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। हरिजनों को राहत देने की बात कही गयी, हरिजनों को जो आवासीय भूमि देते हैं, सौ गज या डेढ़ सौ गज, तो उसके बाद हरिजनों की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे उस पर मकान बनवा सकें। बेहतर यह होता कि जनता पार्टी की तरह गरीबों के लिये अनुदान की व्यवस्था की जाती। उनको जो मकान बनाने के लिये अनुदान मिलता भी है वह हरिजन कल्याण विभाग से दिलाने की व्यवस्था है। वह कभी प्लाट खरीदने के लिये पैसा देता है तो कभी मकान के लिये अनुदान, एक साथ दोनों कभी नहीं देता। तो उनको अनुदान आप अपने विभाग से दिलाने की व्यवस्था कीजिये। गरीबों के लिये जो आराजी पट्टे आपने दिये हैं, उनके बारे में बहुत से मुकदमे अदालतों में पेंडिंग हैं और कई साल से चल रहे हैं।

माननीय मन्त्री जी मैं चाहता हूं कि आपने भूमिहीनों को जो पट्टे दिये हैं, उनके मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिये अदालतों को स्थापना की जाय और उनमें मुकदमा चलाया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि किसी भी प्रकर से एक साल से ज्यादा दिन मुकदमा न चले। उसे एक साल के अन्दर ही पूरा कर लिया जाय। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सहकारी खेती का जिक्र किया, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह सहकारी खेती के खिलाफ हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिये था। मैंने चकबन्दी ऐक्ट की बात कही, सीलिंग ऐक्ट की बात कही, जमींदारी एबालिशन की बात कही, हमारे दल के राष्ट्रीय नेता चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया।

हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने अनुभव और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर कारगर कदम उठायेंगे और इस सदन के सामने ऐसी कोई न कोई घोषणा अवश्य करेंगे जिससे इस प्रदेश की जनता महसूस कर सके कि इस प्रदेश के राजस्व विभाग को आपने रिप्रेजेन्ट किया और प्रदेश की जनता के लिये कोई न कोई राहत का काम किया। हमें आप इन आंकड़ों के झंझागात के जाल में उलझाइये मत कि कितने मुकदमे फैसले कराये और कितनों को जमीन दी। हम इन सबको देखने नहीं जा रहे हैं।

आप ऊपर कही बातों की घोषणा इस सदन में करेंगे तो वह स्वागत योग्य होगा और उसका सारे प्रदेश की जनता

स्वागत करेगो । अभी मैंने देखा कि बहुत से माननाय सदस्य पहले भूमिका बांधने के बाद कहते हैं कि मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं, लेकिन अन्त में 2-4 वाक्य कहने के बाद अपनी तकलीफें कहने लगते हैं । मैं आशा करता हूं कि अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर याद आप ह्विप न जारी करें तो कोई इसका समर्थन नहीं करेगा ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग के बजट पर अपने अच्छे सुझाव दिये । इसलिये इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले दोनों धन्यवाद के पात्र हैं । जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर विभाग विचार करेगा और उचित कार्यवाही करेगा । भाई सत्यपाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसमें उन्होंने एक बात तो यह कही कि 3--1/8 से ऊपर की जोत वालों को भी लगान से माफ कर दिया जाय, उनसे लगान न लिया जाय । लेकिन वह इस बात को भूल गये कि जो लगान हम वसूल करते हैं 32 करोड़ के करीब वह उन्हीं विकास खन्डों में चला जाता है । वह पैसा एकत्र करके हम उसको उन्हीं जिलों और क्षेत्र के विकास पर खर्च कर देते हैं । उस पैसे को दूसरे काम में खर्च नहीं किया जाता है ।

इसलिए जिनने लोगों को आज लगान से मुक्त किया हुआ है, तो लोग इस पर विचार करने लगे हैं, यह हमारा विचार नहीं है, सरकार का विचार नहीं है, लेकिन जिलों के लोग विकास खंड वाले लोग यह विचार करने लगे हैं कि इन सभी से अगर लगान लिया जाता है, तो थोड़ी पूंजी आती और ज्यादा से ज्यादा विकास के काम करते । यह उनके सोचने की बात है, उस पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता ।

रेवन्यू बोर्ड के बारे में कहा गया, प्रवर समिति बनी थी, प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन में सबमिट कर दी थी । लेकिन विधान सभा भंग हो गयी, वह व्यपगत हो गयी । लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कि हम इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, माननीय सदस्यों के सामने विधेयक लायेंगे । माननीय सदस्य उसमें हमें सहयोग करेंगे, ताकि यह रेवन्यू बोर्ड बन सके ।

श्री सत्यपाल सिंह--

इसी बित्तीय वर्ष में ले आयेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जल्दी लाने के लिये प्रयास कर रहे हैं । प्रयास है कि जल्दी तैयार होकर यहां पेश हो जाय ।

तीसरी बात उठायी गयी मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट के बारे में मंगलदेव विशारद 85 मामलों को गवर्नमेन्ट की नोटिस में लाये थे । उनमें से 2 मामले तो तय हो गये, फैसला हो गया । 83 मामले परगनाधिकारी के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चल रहे हैं । अभी उनका फैसला नहीं हुआ । लगभग 41 हजार एकड़ जमीन इसमें निहित है इन मुकदमों में जैसे ही इन मुकदमों का निस्तारण होगा, उस पर आगे कार्यवाही होगी । इस सीलिंग ऐक्ट में तो उन्हीं लोगों को भूमि दी जायेगी, जो भूमिहीन हैं । खासकर इसी उद्देश्य से सीलिंग ऐक्ट बना था । सीलिंग ऐक्ट में एक कठिनाई है, वह कठिनाई मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य उसको समझ लें । 1973 में सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक काम शुरू हुआ । यह अनुमान किया गया था कि ढाई लाख हेक्टेयर भूमि हमको मिलेगी । लेकिन अनुमान से ज्यादा 1985 तक लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन हमको मिल गयी है और उसको आवंटन भी किया जा रहा

हैं । करीब-करीब 90 फीसदी मामले तय हो गये हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मामले ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं । जैसे ही वहां से इनका निस्तारण होगा, उसके बाद ही इस पर भी विचार किया जायेगा ।

माननीय, नई तहसीलों की चर्चा कुछ मित्रों ने की है । पिछले वर्ष हमने 1984 में 5 नई तहसीलें स्थापित की हैं । 2 रायबरेली में, एक सुल्तानपुर में एक पटियाली एटा में, एक हरिद्वार में, इस तरह से 5 तहसीलें पिछले वर्ष खोली हैं । राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जो तहसीलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में थी । उसने सारे प्रदेश का दौरा किया था । उन्होंने अपनी कुछ संस्तुति भेजी, लेकिन संसाधनों के अभाव में अभी उन पर विचार नहीं किया जा सका । आगे जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, नई तहसीलों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

आवास स्थलों के बारे में भी चर्चा हुई । मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जी ने ठीक कहा था कि इस देश में हमारा प्रदेश सबसे आगे है आवास स्थलों के आवंटन में । इतना ही नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा की भूमि के अतिरिक्त कहीं भूमि उपलब्ध होती है, तो उसे अध्याप्ति करके आवास स्थलों के लिये भूमि उपलब्ध कराते हैं, उसका पैसा सरकार देती है । जिसकी भूमि अध्याप्ति की जाती है, उसको सरकार प्रतिकर देती है । यह छोटा काम नहीं है । यह तो आपको बता दिया गया है कि हमारा प्रदेश आवास आवंटन के विषय में सबसे आगे है ।

माननीय, हमारे प्रदेश में नैनीताल तराई के क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है । माननीय सदस्यों को शिकायत है कि छोटे-बड़े काश्तकारों ने जमीन दबा रखी है, लेकिन उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं । हमारा विचार है कि हम वहां भी चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ करा दें ताकि रिकार्ड में उनके नाम जितनी जमीन अंकित है, उसके अतिरिक्त जो जमीन उनसे निकलती है, उसे भूमिहीन व निर्बल वर्ग के लोगों में बांट दी जायेगी, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

क्या आप यह चकबन्दी केवल तराई के क्षेत्र में ही करायेंगे या पूरे प्रदेश में ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस समय मैदानी क्षेत्रों में सब जगह चकबन्दी का कार्य हो रहा है । हम पता लगायेंगे कि जहां जमीन निकलेगी, उसे हम गरीबों में और निर्बल वर्ग में बांट देंगे ।

सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि को अलग से आरक्षित किया गया है, उसके बावजूद भी लोग उस पर कब्जा किये हुये हैं, इसको भी हम देखेंगे । यदि उसके लिए कानून बनाने की भी आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार किया जायेगा ताकि स्कूलों, पंचायतों आदि के कामों के लिए जो भूमि है, उस पर नाजायज तरीके से लोग कब्जा न कर सकें, इस बात की कोशिश की जायेगी ।

एक प्रश्न आज सबेरे मेरे कुछ मित्रों ने उठाया कि गांवों में खलिहान की जगह आरक्षित की जाती है, लेकिन कुछ जबरदस्त लोग उस पर भी कब्जा किये हुये हैं । हम इसे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि खलिहान की सुविधा गरीब लोगों को भी दी जाय । सीलिंग की जमीन के बारे में श्रीमती शशि शर्मा जी ने जिक्र किया । सीलिंग के बहुत सारे मामले अदालत में चल रहे हैं ज्यों ही वहां से उनका निस्तारण हो जायेगा और जो जमीन उसमें फंसी पड़ी है, उस भूमि को निर्बल वर्ग के लोगों में वितरित कर दी जायेगी

इस बात की हम कोशिश करेंगे । कुछ माननीय सदस्यों को शिकायत ह कि हम कोई क्रान्तिकारी काम नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि जिस तरह से और मेहनत से हम काम कर रहे हैं, जिससे छोटे-छोटे लोगों को और निर्बल वर्ग के लोगों को और सच मायने में जो इस प्रदेश के किसान हैं, उनको लाभ पहुंचेगा, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्यों ने फ्लाइंग चेक की बात कही, इसे भी हम देखेंगे ।

माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि अधिकारी शराब पीकर खुल्लम-खुल्ला घूमते हैं । यदि कोई अपने कमरे में क्या करता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर कोई अधिकारी ड्यूटी के समय पर शराब पिया हुआ पकड़ा जायेगा, तो उसे सस्पेंड कर दिया जायेगा। मुझे इस मामले में माननीय सदस्यों का भी सहयोग अपेक्षित है ।

(व्यवधान)

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के खड़ होने पर)।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मलिक मोहम्मद कमाल साहब, आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मैं नहीं बैठूंगा ।

(शोर)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ड्यूटी के समय जो शराब पीयेगा, हम उसे सस्पेंड कर देंगे ।

(शोर)

लिख कर भेजिये, तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो मलिक मोहम्मद कमाल साहब ने कहा है उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

आर0 बी0 सिंह है, खुले आम शराब पीता है....।

(व्यवधान)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उनके सुझाव ठीक हैं, बहुत सीनियर मेम्बर हैं, मैंने उनको नोट किया है जब समय आयेगा तो उन पर विचार करूंगा और कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा । इन शब्दों के साथ में आप सब को धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यादव जी, आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्य पाल सिंह--

एक स्पष्टीकरण मान्यवर, दैविक आपदाओं, आगजनी की घटनायें और खलिहानों के जल जाने के विषय में कुछ नहीं कहा कि इन दैवी आपदाओं में धनराशि बढ़ाने के लिए विषय में कुछ कह रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह--

जो हमारे सवालों का जवाब देने की हैसियत में नहीं है, यह तो बहुमत के दावे के साथ पास करा ले जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,49,14,000 रुपये से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,75,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,78,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । ये सूचनायें श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशल पाल सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री मुस्तमद अली खां, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बलराम यादव, श्री किरनपाल सिंह, श्री चन्द्रभान, श्री सुरेश प्रताप सिंह, गांधी, श्री रमेश चन्द्र , श्री जगवीर सिंह डा0 बंगाली सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री अब्दुल वहीद करेशी आदि, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम गोविन्द, श्री गौरी शंकर भइया, श्री राज आसरे वर्मा, श्री बालेश्वर, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री शफीकुरहमान बर्क की हैं । इसमें श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना, जो हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास फैक्ट्री, इलाहाबाद के प्रबन्धकों द्वारा कार्बन-डाई आक्साइड भरे कुएं में उतरने से तीन लोगों के मरने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई है । शेष सूचनायें अस्वीकार की गई हैं ।

श्री महबूब बक्श, निवासी आगरा की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार मुहम्मद इकबाल, पुत्र श्री महबूब बक्श कादरी, निवासी जमुना ब्रिज, मोतीबाग, आगरा ने दिनांक 22-1-85 को प्रातः 7-15 पर थाना एत्मादद्दौला, आगरा पर इस आशय की एक प्रथम सूचना अंकित कराई कि उनके पिता श्री महबूब बक्श कादरी पुत्र हाजी खुदा बक्श, निवासी जमुना ब्रिज, मोती बाग, आगरा रोज की भांति दिनांक 21-1-85 की शाम को मगरिब की नमाज पढ़ने दादापीर की दरगाह पर गये थे, किन्तु उस दिन वह वापस घर नहीं लौटे । दिनांक 22-1-85 को प्रातः जब वह उनको तलाश में दादापीर जा रहा था, तो उसे रास्ते में आजाद नर्सरी, जो दरगाह पीर से लगी हुई है, की क्यारी में लाश पड़ी दिखाई दी जिससे ज्ञात हुआ कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है ।

उपरोक्त सूचना के आधार पर तत्काल एक अभियोग, थाना उपरोक्त पर अपराध संख्या 19/85, अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत करके कार्यवाही की गई । हत्या की सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी छत्ता तथा अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और अपराधियों की खोज में लग गये ।

इस हत्याकांड से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर गम्भीरता से छान-बीन की गई और इस छान-बीन में मृतक के परिवार तथा अन्य प्रयजनों को भी सम्मिलित किया गया । अब तक की विवेचना से ऐसा कोई सूत्र अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि श्री महबूब बक्श कादरी की हत्या किन कारणों से और किसके द्वारा की गई । घटना की गम्भीरता को देखते हुये पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है ।

श्री कादरी द्वारा समाज के पीड़ित एवं निर्बल वर्ग की की गई सेवा के कारण उनकी मृत्यु से जनता में दुख अवश्य व्याप्त हुआ, किन्तु क्षेत्र में इस घटना को लेकर भय, आतंक अथवा

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति परिलक्षित नहीं हुई ।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं जानना चाहता हूं कि कादरी साहब, जो कि एक प्रभावशाली और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, उनकी मृत्यु के बाद विवेचना अपराध अनुसंधान शाखा को कब दी गयी थी ? क्या अपराध अनुसंधान शाखा ने कोई प्राथमिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--

यह केस अपराध अनुसंधान शाखा को 22-7-85 को दिया गया । अब तक रिपोर्ट आने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

श्री महबूब बख्श की मृत्यु 21 जनवरी, 1985 को हुई और इसकी लगभग शाम को 6 बजे इत्तल हुई और उसके घर वाले इसकी रिपोर्ट कराने 8-9 बजे पहुंचे, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की । रात के 12 बजे फिर गये, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की । क्या वजह थी कि रिपोर्ट रात को 12 बजे तक दर्ज नहीं की और सुबह 7.15 बजे दर्ज की ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि मृतक के पुत्र के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है 7.15 बजे, वह लिखित रिपोर्ट है । आप कहें तो उस रिपोर्ट को मैं पढ़ कर सुना देता हूं । उसमें कोई भी ऐसी बात का जिक्र नहीं है और रही यह बात कि रिपोर्ट लिखी नहीं गयी, ऐसी कोई बात नहीं है और आपके पास भी इसकी जानकारी होगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि स्थानीय पुलिस, जिसके कि क्षेत्र में यह घटना घटी, वहां से 22-7-85 तक कोई जानकारी इस हत्या के सम्बन्ध में नहीं हो सकी, तो क्या अब सी0आई0 डी0 को मामला दे कर मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, यह बात सही है कि किसी भी आदमी को इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है और न कोई ऐसा प्रमाण मिल सका कि किसी व्यक्ति विशेष को इसमें दोषी माना जा सके । मृतक एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्त्ता थे । ऐसे मामले को दबाने के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि हर सम्भव प्रयास करके मामला सी0 आई0 डी0 को दिया गया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

जब इतने दिनों में कोई पता नहीं लग सका तो अब कैसे पता लगा लेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री महबूब बख्श कादरी जो कि आगरा में यमुना क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता में से थे और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता थे वे रोज दादापीर की दरगाह पर इबादत के लिए जाते थे और दरगाह के शाही सदस्य भी थे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया प्रश्न करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

तो उनके लड़के ने उस रोज शाम के 6.30 बजे थाने में जाकर कहा कि मेरे वालिद, जो कि इबादत के लिए घर से गये थे और अभी तक लौट कर नहीं आये हैं। तो थाने में उससे कहा गया कि जाओ आ जायेंगे, जा कर तलाश करो। रात के 12 बजे फिर थाने में जाकर उसने कहा तो फिर यह कहा गया कि मिल जायेंगे। वह बेचार परेशान चला आया। दूसरे दिन सुबह जब वह दरगाह की तरफ जा रहा था तो उसे वहां पर उनकी लाश पड़ी मिली जिस पर चोटों के निशान थे जिससे जाहिर होता था कि हत्यारों से उन्होंने काफी मुकबिला किया था। लेकिन स्थानीय पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस परिवार के लोगों ने दो चीजें भी उनको बतलाई थीं।

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल प्रश्न करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मेरा आरोप है कि जानबूझ कर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जब कि इस बात के क्लू भी उसको दिये गये थे परन्तु फिर भी उसने कुछ नहीं किया।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

श्री महबूब बख्श के कत्ल में जैसा कि आपके रिपोर्ट से जाहिर है और सब लोगों ने बताया कि इसमें पुलिस का हाथ है। पुलिस ने गुन्डों से मिल कर महबूब बख्श को, जिनकी वे मुखालफत किया करते थे, थाने के दलाल उनके दुश्मन थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वे उनके दरम्यान हायल थे पुलिस ने गुन्डों से मिल कर उनका कत्ल कर दिया। इसी कारण उनकी रिपोर्ट भी वक्त पर दर्ज नहीं की गयी और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे हालात में आप क्या कार्यवाही करेंगे जिससे कि पूरे हालात का पता चल सके?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने इंगित किया कि मृतक इतने हर दिल अजीज थे कि अभी तक किसी व्यक्ति ने भी यह नहीं कहा कि फलां व्यक्ति की उनसे रंजिश थी। घर वालों से भी सम्पर्क रखा गया, उनसे भी यह शिकायत नहीं मिली कि पुलिस का हाथ था या पुलिस सही तरीके से अपना अन्जाम नहीं दे रही है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री कादरी की आजाद नर्सरी की जिस क्यारी में लाश मिली है उनके घर वालों ने थाने से यह प्रार्थना की थी कि इसकी जांच करायी जाय, तो यह जांच तत्काल क्यों नहीं करायी गयी?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अगर आपको इजाजात हो तो जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है, उसको पढ़ दूं। "सेवा में, श्रीमान्, थानाध्यक्ष महोदय, थाना एत्माद्दौला, आगरा। निवेदन है कि मेरे पिता जो श्री महबूब बख्श कादरी पुत्र श्री हाजी खुदा बक्श कादरी, निवास जमुना ब्रिज, मोती बाग, आगरा, दादा-पीर की दरगाह पर गये थे और वापस नहीं आये। आज प्रातः जब हम दादा-पीर पर देखने जा रहे थे तो रास्ते में आजाद नर्सरी की क्यारी में मरे पड़े हैं और खून पड़ा है। उन्हें किसी ने मार दिया है। सूचना देने आया हूं। जरूरी कार्यवाही करें। प्रार्थी मुहम्मद इकबाल पुत्र श्री महबूब बक्श कादरी।" मान्यवर, यह सूचना दी गयी है, कहीं पर कोई शंका व्यक्त नहीं की गयी है और इस पर 302 का मुकदमा कायम करके चालू किया गया। कोई शिकायत पुलिस के बारे में या तफ्तीश के बारे में नहीं की गयी है।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस एफ0 आई0 आर0 के अलावा और कोई दरख्वास्त पड़ी, जिसमें सुबहाबस किसी को नामजद किया गया हो ।

श्री हुकुम सिंह--

जी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने रात में कोई खोज नहीं की और जो सुबह रिपोर्ट हुई तो पुलिस हरकत में नहीं आयी और पता नहीं लगाया । तो क्या इसमें पुलिस की अकर्मण्यता या पुलिस की कर्तव्यहीनता है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, पुलिस की साजिश की कोई बात नहीं आयी है सामने । परिवार वालों ने भी कोई शिकायत नहीं की है । पुलिस कोई तथ्य नहीं निकाल पायी है इसलिए जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी गयी है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, इस मामले में पुलिस ने बहुत ही निष्क्रियता और उदासीनता का परिचय दिया है । श्रीमन्, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हो गयी, उसके घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ सुराग तथा कुछ शक-शुबह भी बताया, लेकिन उन तथ्यों पर पुलिस ने गौर नहीं किया । अगर समय रहते हुये पुलिस ने उन तथ्यों पर गौर किया होता तो निश्चित रूप से सुराग लग गया होता । दूसरी बात यह है कि यह सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी कब दी गई ? क्योंकि मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी की प्रक्रिया लम्बी होती है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यथा सम्भव शीघ्र इस सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी को पूरा करने के आप निर्देश जारी करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

अवश्य ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र कह दिया है । माननीय बदन सिंह जी, कृपया बैठें ।

(श्री हरीश जी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस मामले में पुलिस का कोई दोष नहीं है लेकिन डाक्टर कौशल ने जैसा कहा है, जो कि उन्हीं के दल के सदस्य हैं, पुलिस ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई है । माननीय मंत्री जी पुलिस के दलाल हैं और बराबर पुलिस की दलाली करते हैं । वे पुलिस की रिपोर्ट पढ़ते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप संसदीय भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं । असंसदीय भाषा आपके मुख से अच्छी नहीं लगती है ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह संसदीय कार्य मंत्री हैं । ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इस मामले में कहा गया है कि अभीतक की विवेचना से कुछ नहीं निकला है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये, जैसा कि माननीय डाक्टर कौशल, माननीय बदन सिंह आदि सदस्यों ने कहा है और मुकामी पुलिस का तबदला अथवा । तो इसके बारे में भी आप सी० आई० डी० को निर्दिष्ट कर दें ।

श्री हुकुम सिंह--

ठीक है ।

3 1/8 एकड़ तक जोत वाले किसानों पर तीन वर्षों से अधिक पुराने पड़े सरकारी कर्ज को माफ किये जाने के संबंध में प्रस्ताव

[समय 6.10]

श्री हरीश चन्द्र, (हरीश जी)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं नियम 103 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव पेश करता हूं--

"यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार 3 1/8 एकड़ तक की जोत वाले किसानों पर तीन वर्षों से अधिक पुराने पड़े सरकारी कर्जे, जो कि सरकार के अधीनस्थ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त हैं, को माफ कर दे ।"

श्री शत्रुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर विचार के समय माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में मौजूद रहें तो ज्यादा अच्छा होगा क्यों कि यह उन्हीं के विभाग से सम्बन्धित है । अगर वे बुजर्ग हैं तो उनके जो नौजवान मंत्री हैं उनको ही बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, उनको बुलवा लें ।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, इस प्रस्ताव को सदन में पेश करते हुये मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा । इसी सदन में सन् 1974 में इसी प्रकार का एक विधेयक आया था जिसने सन् 1975 में जाकर अधिनियम का शक्ल ले लिया था । उस समय का तत्कालीन सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक एकड़ तक की जोत के जो किसान थे उन पर जो भी गैर सरकारी कर्जा था, उन्हें माफ कर दिया था । मैं उस सरकार को बधाई देता हूं लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी और उसी के लिए मैंने इस प्रस्ताव को पेश किया है । वह यह है कि जो एक एकड़ तक के किसानों की हालत दयनीय है वही 3 1/8 एकड़ तक के किसानों की आज विद्यमान है ।

मान्यवर, जिस तरह से एक एकड़ तक किसानों का गैर सरकारी कर्जा माफ किया गया था वही काम 3 1/8 एकड़ तक के किसानों के लिए किया जाना चाहिए था । लेकिन वह नहीं किया गया । मान्यवर, कर्जा तो कर्जा ही है चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 3 1/8 एकड़ तक के किसानों की हालत बहुत खराब है । खेत उनके पास कर्जा उनकी पीठ पर, खेत उनका पेट नहीं भर पाता और कर्जा उनकी कमर सीधी नहीं होने देता उनके खेत से जो पैदावार होती है उससे उसकी कोई वस्तु लेने की क्षमता नहीं है । वह बीज, बैल, खाद, पानी आदि जुटा नहीं पाता है । 3 1/8 तक की जोत का मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बांसी के 10 गांवों का अध्ययन किया है । मैं कोई कागज या किताब की बात नहीं कर रहा हूं । मैंने वहां के 10 गावों के

सौ-दो-सौ परिवारों का सर्वे घर-घर जाकर किया हैं। उनके साल भर का उत्पादन, वर्ष भर का उसमें खर्च और उन पर लदा कर्ज सारी चीजों का मैंने अध्ययन किया है।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष अध्ययन करने वाला उसे देख कर रोयेगा जिस तरह से उनकी हालत सामने आती हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। एक क्विंटल से 4 क्विंटल तक अनाज वह वर्ष में पैदा कर पाता है और वह एक महीने से लेकर 4 महीने तक खाने भर का अनाज उसमें पैदा कर पाता है। अगर बाढ़ आ गई सूखा पड़ गया या खेत में रोग लग गया तो उत्पादन आधा हो जाता है। लोग पूछते हैं कि तब वह लोग कैसे जिंदा रहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मानवता इस देश में अभी है। इसमें अधिकांश परिवारों की स्थिति यह है कि जितना एक समय खाना परिवार में बन जाता है उसी को वह बांट कर खाते हैं। उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। मान्यवर, इस देश में कुछ खुश-किस्मत लोग ऐसे हैं जो घर में बनी रोटी को छांट कर खाते हैं। लेकिन इन अभागों को जो कुछ मिलता है उसी मे से बांट कर खाते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी पर कर्जे का यह बोझ हटा लिया जाय।

यह सदन में पक्ष या विपक्ष के विभाजन का मामला नहीं है। हम लोग यहां पर बैठे हैं, गैलरीज में लोग बैठे हैं जिनकी शक्ल आप यहां पर देख रहे हैं लेकिन जो 3 1/8 एकड़ जमीन में खेती करने वाला किसान है, जो एक-एक दो-दो रोटी बांट कर खाता है, वहां का जवान 25 साल की उम्र में 50, 60 साल का लगने लगता है। इस सदन में बैठे लोग, जो दो जून रोटी खाते हैं उनको यह दर्दनाक दशा बता रहा हूं कि उनके बच्चों को खेलने के समय में पत्तियां बीननी पड़ती हैं, पढ़ने के समय में लकड़ियां चुननी पड़ती हैं। इन परिवारों के जवान रोटी-रोजी के चक्कर में दर-दर ठोकरें खाते हैं, उनके बूढ़े रिक्शा चलाने के लिए मजबूर होते हैं। बचपन खेलने के लिए होता है, लड़कपन पढ़ने के लिए होता है, जवानी काम करने के लिए होती है बुढ़ापा आराम के लिए होता है लेकिन इन परिवारों के लोगों को यह सब मुयस्सर नहीं होता है, यह कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। इसलिए इनका कर्जा माफ कर दिया जाय। जिसके लिए मैंने सदन में अपने विचार रखे हैं।

एक बात मैं इस सदन में और निवेदन करना चाहता हूं मजदूरी करने के लिए भी खेत उनकी बेड़ी बनी हुई हैं। जिन दिनों खेतों में काम मिलता है उन दिनों उसके खेत में अपना काम रहता है और जब उसके खेत में काम खतम हो जाता है उन दिनों दूसरे खेतों में भी काम नहीं रह जाता है। इसलिए उनको रोजी-रोटी के लिए बम्बई, कलकत्ता और कानपुर जाना पड़ता है। मैंने जब यह बात एक माननीय मन्त्री जी को बताई, मैं नाम नहीं लूंगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो मैंने कहा बांस गांव तहसील का तो उन्होंने कहा जहां की बहुवें घर छोड़ कर भाग जाती हैं। मैंने पूछा मान्यवर, यह आपने जानबूझ कर कहा या मजाक किया है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस हुकूमत के मुंह में एक चांटा है।

(व्यवधान)

आप हंसिये नहीं यह मजाक की बात नहीं है। 39 साल की आजादी के बाद हिन्दुस्तान के लोगों की यह हालत है जिनकी दुर्दशा का मैंने वर्णन किया। इसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। यह हिन्दुस्तान के लोगों की करुण कहानी के रूप में यह प्रस्ताव मैंने सदन में रखा है। वह जवान, जो बम्बई में काम कर रहा है, उसके गौना का तार जाता है। उसे 7 दिन की छुट्टी मिली और वह बम्बई से घर आया। दो दिन बम्बई से

गोरखपुर घर आने में लगे, दो दिन बम्बई जाने में लगेंगे, एक दिन बारात में लग गया, एक दिन मर्याद में लग गया, तीसरे दिन घर लौटा, विवाह का कंगन छूटा नहीं, वह जवान बहू को घर छोड़ कर बम्बई के लिए चला जाता है। बहू घर में बैठी है बेटा बम्बई में हो इसी में से सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं। जवान को रोजी-रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। 3 1/8 एकड़ किसान का बड़ा दुर्दशा है जिसको मैंने गांवों में जाकर देखा है, जिसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने कभी-कभी कुछ काम किया है, एक सरकारी सर्वे रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 3 1/8 एकड़ तक के किसानों की आय से उनका खर्चा ज्यादा है।

मान्यवर, सब प्रदेशों की मेरे पास रिपोर्ट है लेकिन उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। उसमें कहा गया है कि जितनी आय है उससे अधिक उनके व्यय हैं। यदि उनकी आय 100 है तो व्यय 132 रुपये का है तो यह 32 रुपये वह कहां से लायेगा चूंकि खेतों में पैदा होता नहीं है, कर्जा मिलता नहीं है। इसलिये छोटे किसानों को जो कर्जा मिलता है उत्थान, उन्नति और खेती के नाम पर तो उसको वह बेटी के हाथ पीले करने में खर्च करता है। कर्जा यदि वह उत्थान के नाम पर लेता है तो बाप को क्रिया-करम में लगा देता है, यदि कर्जा तरक्की के लिए लेता है तो उसको वह बच्चे और बहू की बीमारी के इलाज पर खर्च कर देता है और फिर उसको जब वह अदा नहीं कर पाता है तो पहले उसके बैल बिकते हैं और फिर बहू के गहने और खेती बिक जाती है।

मान्यवर, सरकारी आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि 20 वर्षों से लगातार किसान अपने खेत बेच-बेच कर किस तरह वह भूमिहीन होते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1961 से 1981 के बीच उत्तर प्रदेश में जो जोतें थीं 1961 में 18 करोड़ 70 लाख 90 हजार और वह 1981 में घट कर 12 करोड़ 96 लाख 60 हजार रह गयीं। इसी प्रकार भूमिहीनों की जो स्थिति थी वह 1961 में 32 लाख 61 हजार भूमिहीन थे जो बढ़कर 1981 में 76 लाख 43 हजार हो गये हैं।

मान्यवर, गांवों में रात-रात रहकर मैंने अध्ययन किया है उन्हें कर्जा, भोजन और कपड़े के लिये लेना पड़ता है किन्तु जब वसूली जारी होती है तो उसको वह कहां से अदा करे जिसके लिये उसको पहले बैल बेचना पड़ता है, फिर गहने रखने पड़ते हैं और बरतन बेचने पड़ते हैं और शेष को खेत बेचकर कर्जे को अदा करना पड़ता है, जिससे भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मान्यवर, यह दुर्दशा 3 1/8 एकड़ के किसानों की है जिसके सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि तीन वर्षों से अधिक पुराने पड़े सरकारी कर्जे माफ कर दिये जायें। सदन से मैं अपील करना चाहता हूं कि इसका भी मैंने अध्ययन किया है कि कर्जा कितना रह गया। यह और जो भी रह गया है वह कितना कष्टप्रद है उन गरीबों के लिए जो तबाह हैं और यह कर्जा उनकी छिलोपोठ पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में इसी सदन में एक विधेयक ऋण माफ करने के लिए आया था, उस समय विपक्ष की ओर से बड़ी चोटें कसी गयीं कि आगे उनको कर्जे कौन देगा, उस समय मुख्य मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा थे, उन्होंने कहा था घबड़ायें नहीं, कर्जा देने की एजेंसियां सक्रिय कर दी जावेंगी और सहकारिता विभाग कर्जे देगा। उसकी जो दुर्दशा है उसको दोनों पक्ष के माननीय सदस्य जानते हैं और हर आदमी दिल से सोचता होगा और मुंह और दिल से कहेगा कि गरीब किसान

को कर्जा मिला नहीं लेकिन उनके नाम लिखे हैं। वसूली जारी है और पैसा न देने पर गरीब किसानों की कुर्की और जेल में बंद किया जाता है।

मान्यवर, 1975 में इस विधान सभा में उस स्थान पर बैठे मुख्य मन्त्री श्री बहुगुणा ने स्वीकार किया था कि अब तक मेरे संज्ञान में आ गया है कि 1975 में 2 करोड़ 72 लाख रुपये के सहकारिता विभाग के ऐसे कर्जे हैं जिनमें गड़बड़ी है और फर्जी है इस नाते में उसका मुल्तवी करने पर विचार कर रहा हूं। तो मान्यवर, 1975 में यह दुर्दशा थी तो अब 1985 है। अब क्या स्थिति होगी। इन दस सालों में नदियों में न जाने कितना पानी बह गया होगा। यह कर्ज जो हैं वह बढ़ते जा रहे हैं और इस समय स्थिति यह है कि यह कर्जे बढ़ करके एक-एक जिले में करोड़ों रुपयों के हो गये हैं जो किसानों पर लदे हैं, जो कर्जे उन्होंने लिये नहीं हैं लेकिन वह भी उन पर लदे हैं। तो मान्यवर, इनका क्या होगा।

मान्यवर, मैं एक बात इसके साथ और कहना चाहता हूं, संविधान में भी कुछ कहा गया है। भारत के संविधान की 46वीं धारा में राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार दुर्बल वर्ग, विशेष कर अनुसूचित जाति में, जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देगा और उनको सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

मान्यवर, मैं इस सदन में प्रस्ताव रखते हुए यह आशा करता हूं कि संविधान के इन आदेशों का उत्तर प्रदेश की सरकार पालन करेगी। इसमें दुर्बल वर्गों की रक्षा और उनकी उन्नति का निर्देश दिया गया है। मान्यवर, इसी धारा के तहत 1975 में एक काम इसी सदन में हो चुका है। उसी संविधान की धारा का उल्लेख करते हुये मैं आदरणीय सदन से कहना चाहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और इस शासन को इस काम के लिये प्रेरित करेगा जिससे कि 3 1/8 एकड़ तक के किसानों का जो भी ऋण हैं, वह माफ कर दिया जाय।

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन से इस महायज्ञ में शामिल होने की अपील करता हूं। यह दरिद्र नारायण का महायज्ञ है। एक निवेदन में और करना चाहता हूं। उधर से कहा जाता है कि उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मान्यवर, इनको उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। कभी-कभी हम भी चिल्लाते हैं कि गेहूं के दाम बढ़ा दिए जायं। लेकिन दाम बढ़ने का लाभ इनको नहीं मिल पाता है। इन 72 परसेंट लोगों के पास खाने को नहीं है बेचेंगे क्या। उत्पादन का लाभ तो 28 परसेंट लोगों को मिलता है जो मध्यम वर्ग के बड़े किसान हैं। यही लोग उत्पादन को बढ़ाते हैं और इन्हीं लोगों का बधाई दिया जाना चाहिये कि इनके कारण पेट चल रहा है। मैं सदन में कहना चाहूंगा कि 100 बरस तक ऐसे ही गाड़ी चला दीजिये 28 परसेंट बड़े किसान पैदावार बढ़ाते जायेंगे लेकिन 72 परसेंट किसानों की भूख नहीं मिट पायेगी। मूल्य बढ़ाने से 28 प्रतिशत लोगों को पैसा मिलेगा लेकिन 72 प्रतिशत छोटे किसानों की हालत नहीं बदलेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि 28 प्रतिशत किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उत्पादन बढ़े तो उनको दाम अच्छे मिलने चाहिये। लेकिन न उनको अच्छे दाम मिलते हैं और न वह उत्पादन कर पाते हैं। यह 72 प्रतिशत किसान रात दिन मेहनत करके 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते हैं तो मान्यवर, इनको देना चाहिये इनसे लेना नहीं चाहिये।

इसलिये इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ इन पर अब तक लदा है वह माफ किया जाय और अगले 15 वर्षों के लिये इन्हें अनुदान के रूप में पैसा दिया जाय ताकि खेती पर यह पूरी लागत लगाकर, खेती का उत्पादन

बढ़ाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो जायं। 72 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पीजेंटरी किसान है, इसमें छोटे-छोटे गरीब किसान हैं अगर इनकी हालत सुधारने का काम नहीं हुआ तो मैं सदन के अन्दर इस बात को कहना चाहूंगा कि लाख कीजिये, लाख योजना चला लीजिये, इनकी गरीबी नहीं मिट पायेगी, शोषण नहीं मिट पायेगा, वर्ग संघर्ष नहीं मिट पायेगा और ये विषमता नहीं मिट पायेगी। इसलिये इस प्रस्ताव को सदन के अन्दर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह दरिद्रनारायण का महायज्ञ है, पक्ष-विपक्ष की बात आप ताक पर रखकर सदन के आदरणीय सदस्य इसे विचार करके स्वीकार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रस्ताव पर अपना विचार पूर्ण करता हूं।

*श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, अब आप पहले कहना चाहें तो कह सकते हैं और बाद में कहना चाहें तो बाद में कह सकते हैं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने हरीश जी की तकरीर को बहुत गौर से सुना और उनकी पूरी तकरीर पोलीटिकल इसेंटिव से भरी हुई है। मैंने पहली बार सुना, मुझे पता नहीं कि साहित्य में उनका कितना दखल है, लेकिन इतना समझता हूं कि कुछ उड़ान उनकी साहित्य में अवश्य है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव केवल भावनात्मक है, सेन्टीमेंटल है और यह किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। कोई भी बात, कोई भी तरीका और कोई भी तर्क हो, उसके पीछे सिद्धान्त होना चाहिए और यदि सिद्धान्त ही नहीं है, तो वह प्रस्ताव मात्र सेन्टीमेंट उभाड़ने के लिए रखा गया है। क्या किसी तरह संसार में ऐसा वर्गीकरण हो सकता है, जैसा आप करना चाहते हैं। तीन सही एक बटा आठ एकड़ का मतलब है पांच बीघा। क्या कोई ऐसा है--दुनिया या संसार में कि वह साढ़े तीन एकड़ से ही ताल्लुक रखता हो, ऐसा भी नहीं है कि यह किसानों से ही सम्बन्धित हो या तीन सही एक बटा आठ से ही सम्बन्धित हो। यह संसार ऐसा नहीं है जो कि केवल जनों से सम्बन्धित हो या ऐसा भी नहीं है कि जो वह केवल भूमिहीनों या मजदूरों से ही सम्बन्धित हो। यह संसार ऐसा नहीं है जो भूमिपतियों का ही हो। यह संसार ऐसा नहीं है जो केवल स्त्रियों का ही हो या जो केवल पुरुषों के लिए ही हो। यह सब का है और सब के हित में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है।

मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हरीश चन्द्र जी से कि है गरीब कौन? कोई भी दुनिया में, कोई भी भारतवर्ष में गरीब नहीं है....

(व्यवधान)

भारतवर्ष गरीब नहीं है।

(व्यवधान)

आप हमारी बात सुनिये, मैंने पहले आपकी बात को ध्यान से सुना है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सब बराबर हैं और वह सदन के सदस्यों के बारे में कह रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह--

गरीब इस देश में कुछ व्यक्ति हैं, उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। इस देश में रईस और गरीब भी हैं। इस मुल्क में सबसे गरीब कौन है, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आप यह कह दें कि भारतवर्ष गरीब है और तीन सही एक बटा आठ एकड़ की जोत वाला हर किसान गरीब है, तो मैं कह सकता हूं कि यह बिल्कुल असत्य है और गलत है और 10 बीघे वाला हर किसान रईस होगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। तीन सही एक बटा आठ एकड़ जोत वाला किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी किसी 10 और 15 बीघे वाले किसान से रईस और सम्पन्न हो सकता है और 10 बीघे वाला किसान तीन सही एक बटा आठ वाले से गरीब हो सकता है । तो यह तो एक रहन--सहन का तरीका है, कमाने का तरीका है, जिससे यह प्रभावित होता रहता है । तीन सही एक बटा आठ वाले के कई लड़के हों और वह अच्छी-अच्छी आमदनी करते हों और वह स्वयं कई-कई काम करता हो तो वह बहुत रईस हो सकता है, 20-25 बीघे वाले से भी सम्पन्न और बेहतर हो सकता है । आपने कहा कि किसानों को तकलीफ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी किसान के ही घर का हूं और यह जानता हूं कि आज से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले किसानों का हालत क्या थी और आज क्या हालत है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

खेती नहीं किया आपने ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

खेती से ही मैं जुड़ा हुआ हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण सीमित रखें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरे बाबा ने बड़ी मेहनत मसक्कत से हम लोगों को पढ़ाया, अपने हाथ से चारा काटते थे, सारा काम करते थे । लेकिन यह व्यक्तिगत बात है, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहता था कि यह आप कहें कि किसान गरीब हालत में है, तो उसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । केवल 3 1/8 वाले ही गरीब हैं, ऐसा सही नहीं है । इस तरह वर्गीकरण करके यह कहें कि इसका कर्जा माफ कर दिया जाय, यह सिद्धान्ततः गलत है ।

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत बेहतर कैसे नहीं है । क्यों नहीं है । हमारी एक कमेटी बलिया में गयी हुई थी, सरकार की तरफ से गयी हुई थी, उन्होंने कहा कि सबसे गरीब आदमी कौन है ? वह सबसे ज्यादा गरीब है, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है । जिसके पास अगर 5 बीघा भी जमीन है, उसकी हालत इस जमाने में बहुत अच्छी है । मुझसे कितने किसान मिले हैं, वह कहते हैं कि मुझे साधन दीजिए, मैं तरक्की करूंगा, मुझे पानी दीजिए, बिजली दीजिए, खाद सस्ती दीजिए, तो मैं अपनी हालत 50 बीघा वाले किसान से अच्छी बना सकता हूं । इस प्रस्ताव से जाहिर होता है कि विपक्ष अब कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं रह गयी है, बल्कि ट्रेड यूनियन हो गया है ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पेरासाइटिक टेन्डेंसी बढ़ता है । मैं माननीय हरीश जी से पूछना चाहता हूं कि गांव में 3 1/8 वाले लोग गरीब हैं या जिनके पास कुछ नहीं है ? मान्यवर, 3 1/8 एकड़ के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा हालत खराब है । गांव में 5 किस्म के क्लासेज हैं, एक तो बहुत सम्पन्न, दूसरा वह जो थोड़ा उनसे कम है, तीसरा मिडिल क्लास, चौथा लोवर मिडिल क्लास, पांचवां बिल्कुल निर्धन, पुवर । मैं आशा करूंगा कि सदन इस पर विचार करेगा । "फैक्ट्स आर आलवेज सुपीरियर टु रीजनिंग एण्ड प्वेटिक सेन्टीमेंट" ।

श्री अधिष्ठाता--

हिन्दी अनुवाद कर दीजिए ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

तथ्य सदैव रोजनिंग और प्वेटिक सेंटीमेंट से सुपीरियर है ।

श्री अधिष्ठाता--

सुपीरियर माने आला ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नियम 103 के अन्तर्गत जो माननीय हरीश जी ने प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना

चाहता हूं कि इससे बढ़िया प्रस्ताव इस प्रदेश के लिए और किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए इससे बढ़िया प्रस्ताव हो ही नहीं सकता। जैसा उन्होंने (लाल प्रताप सिंह) कहा कि राजनैतिक प्रेरणा से प्रेरित यह प्रस्ताव है, मान्यवर, हर पार्टी के लोग किसी न किसी उद्देश्य और भावना को लेकर पार्टियों का गठन करते हैं और पार्टियों में रहते हैं। और कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इस बात का घोषणा न करती रही हो कि हम देश और प्रदेश से गरीबी को हटाना चाहते हैं, एक गरीबी की रेखा से ऊंचे उठाना चाहते हैं। मुझे खेद है कि एक अनुभवी माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव का मंशा को समझा ही नहीं और उन्होंने अपना दुख सुना दिया वे जिस वर्ग से आते हैं, मान्यवर, इस प्रस्ताव में जिन लोगों को राहत देने की बात कही गई है, उनसे बन्धुआ मजदूर के रूप में काम लेते हैं और मजदूरी नहीं देते हैं। इनको डर है कि कहीं यह सुविधा समाप्त न हो जाए, जिससे इन्हें कष्ट हो। इन्होंने अपना वास्तविक रूप जो पहले था, उसको आज सदन में भी दिखा दिया। ऐसे अनुभवी आदमी को ऊल-जलूल बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तो समझ रहा था कि वह कोई सही बात कहेंगे बहरहाल उन्होंने, जो उनका वास्तविक रूप था, उसको दर्शा दिया।

श्रीमन्, क्या कारण है कि बाहर कुछ कहते हैं, अन्दर कुछ कहते हैं। हाउस में कुछ कहते हैं। हरीश जी ने भी कहा आप भी अपने क्षेत्र में देखते होंगे लोगों की दशा क्या है। यह सही है कि 3 1/8 एकड़ तक की जोत वाले किसानों की जो दुर्दशा है, उनका देखकर ही उसका अनुभव किया जा सकता है। इस एयर कन्डीशन हाल में बैठकर इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। उनके बच्चों को देखिए, उनके कपड़ों को देखिए, उनकी तबाही को देखिए। लोहिया जी ने कहा था छोटे किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए और जो अनार्थिक जोत वाले किसान हैं, उन पर लगान न लगाया जाए। लोहिया जी दश के ही नहीं, राष्ट्र स्तर के नेता थे, मान्यवर, जिस वक्त जनता पार्टी का शासन था, उसने साढ़े तीन एकड़ जमीन तक लगान माफ कर दिया था। अगर सरकार कहती है कि हमने किसानों को बहुत बजट दिया है और हम गरीबों की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं वह गलत है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। दो मिनट का समय खत्म हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह दो-दो मिनट में समाप्त करने वाला प्रश्न नहीं है। आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। धैर्य के साथ इसको सुनना चाहिए और इसको पास करवा देना चाहिए। मैं फिर अपनी बात कहना चाहता हूं कि ऐसे किसान, जिनके पास 10 एकड़ या 10 एकड़ से कम की खेती है उसको घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, खेती भी चलानी है और त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों पर भी खर्चा होता है इस तरह उसको अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उसको आप देखें। हम गरीबी को हटाना चाहते हैं। मान्यवर, सरकार ने 25 हजार रुपया दिया है अनुदान में शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए। लेकिन, 25 हजार रुपये से गुन्डे एवं असामाजिक तत्व उस पैसे से रायफल और मोटर साइकिल खरीद रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह असंसदीय भाषा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसको देख लूंगा। यदि असंसदीय भाषा होगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। रामगोविन्द जी अब आप खत्म करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं यह कहना चाहता हूं, 25 हजार, साढ़े 12 हजार या 25 हजार से बढ़ाकर

30 हजार रुपया, तीन सही एक बटा आठ एकड़ के किसानों को कर्जा माफ करके दिया जाय, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो जायं। तब यह कहा जा सकता है कि आप किसानों के हमदर्द हैं, गरीबों के हमदर्द है, देश को जनता की दशा को सुधारना चाहते हैं। जब तक गरीब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, गांव मजबूत नहीं होंगे, जब तक गरीब मजबूत नहीं होगा, तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिय इस प्रस्ताव का पास करना चाहिए।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने जो बात उठाई है, भावनात्मक एवं एक कुशल खिलाड़ी की तरह, एक चीप राजनीतिक उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुये, यह प्रस्ताव रखा है। जहां तक मैं समझ रहा हूं। हमारे भारत वर्ष की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता अपनी नैतिकता में विशेष महत्व रखती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे इधर के बैठे हुए माननीय सदस्य हों या उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य हों, किसी को तीन सही एक बटा आठ एकड़ वाला किसान अपने कर्जे को माफ करने के लिए दरखास्त नहीं दी होगी। न सिफारिश कराई होगी। यह बात जरूर है कि वह यह चाहता है कि उसकी सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाय। ऐसी शिकायत आती है कि कर्जा चढ़ा है लेकिन वास्तव में उसे कर्जा मिला नहीं है। ऐसी शिकायतों को लेकर जनप्रतिनिधि सम्बन्धित अधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन ऐसा उदाहरण एक भी नहीं मिला, जिसमें कोई अपना कर्जा माफ कराना चाहता हो। अगर किसी से यह कहा जाय कि तुम्हारा कर्जा माफ किया जा रहा है, तो यह समझेगा कि हमको भीख दे रहे हैं। उसकी नैतिकता पर आघात पहुंचता है। कोई व्यक्ति कर्जा माफी नहीं चाहता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिसके पास तीन सही एक बटा आठ एकड़ जमीन है, जो मुश्किल की खेती करता है। उसकी अच्छी स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता--

समय का ध्यान रखें, आधे मिनट में अपनी बात कहें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

तीन सही एक बटा आठ एकड़ वाले किसान के ऊपर कम कर्ज है, बजाय उनके जो जमीन से सम्पन्न किसान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी हमदर्दी डबुल एन्ड वेपन की तरह है।

श्री अधिष्ठाता--

हिन्दी कर दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। यह भावनात्मक प्रस्ताव है। जिस प्रस्ताव का कोई सिद्धान्त न हो, उस प्रस्ताव का आदर इस सदन को नहीं करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं हरीश जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और भावनात्मक प्रस्ताव न प्रस्तुत करें।

श्री मित्रसेन--

प्रस्ताव इधर का है, वह तो समर्थन में बोलेंगे। दो इधर का एक उधर का...

श्री अधिष्ठाता--

चाहे इधर का हो या उधर का हो। इस प्रथा में आप फायदे में नहीं रहेंगे।

श्री अशोक बाजपेयी--

मैं हरिश चन्द्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि एक उसमे संशोधन जोड़ लें। इस प्रस्ताव में तीन वर्ष पूर्व का कर्जा माफ करने की बात कही है, मेरा संशोधन है कि आज तक का जिस समय प्रस्ताव रखा है, तीन सही एक बटा आठ एकड़ के जो गरीब

किसान हैं, उनका कर्जा माफ किया जाय। मान्यवर, सत्तापक्ष में बैठे लोगों ने सिद्धान्तों का सहारा लेकर इस बात को उठाने का प्रयास किया है। यह माननीय हरीश जी के प्रस्ताव को भावनाओं पर आधारित बताया है। इसमें सिद्धान्त एवं भावना दोनों का जोड़ है। मैं नहीं समझता कि यह सरकार इतनी संवेदनहीन बन गयी है कि जन-भावनाओं का कोई स्थान नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अशोक जी आपका यह संशोधन कल आना चाहिए था आप मौखिक तौर पर संशोधन दे सकते हैं।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, यह सुझाव के रूप में। मान्यवर, मैं नहीं समझता कि यह सरकार मानवीय संवेदनाओं से हटकर सिद्धान्त की बात पर आ रही है। सिद्धान्त मानवीय भावनाओं पर बना करता है। जिस सरकार को मानवीय भावनाओं के प्रति दर्द नहीं है, उस सरकार के कोरे सिद्धान्तों से गरीब जनता को क्या मिलने वाला है। मान्यवर, इस श्रेणी में समाज के जो लोग हैं पिछड़े, गरीब हरिजन, गिरिजन, दलित ऐसे लोग इस वर्ग में आते हैं जिनके कर्जे को माफ करने की बात प्रस्ताव में की गयी है।

यह सरकार हरिजनों के उत्थान की बात करती है इनके दिल में गरीबों के लिए दर्द नहीं है छोटे किसानों के लिए दर्द नहीं है केवल कपोलकल्पित बात है। केवल वोट लेने के समय जनता के सामने लुभावने आंकड़े प्रस्तुत करके उसको गुमराह करने के लिए ऐसी बात की जाती है अगर उनके दिल में दर्द होता तो दलीय भावना से ऊपर उठकर इस भावना का समर्थन किया गया होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अवसर माननीय मुख्य मंत्री ने लिया होता। पिछड़ी जातियों, हरिजनों, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने की बात सत्तापक्ष से सदैव की जाती है। हम गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, उसका विरोध सत्तादल द्वारा हो रहा है और वही करोड़ों रुपया का फिजूल खर्चा अधिकारियों और मंत्रियों की ऐश एवं सुविधा के ऊपर हो रहा है उसके प्रति इन्हें चिन्ता नहीं है।

मान्यवर, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज इस कर्जा को देने की उनकी स्थिति नहीं है। सरकार चाहे जितना प्रयास करे उनसे यह कर्जा (छोटे किसानों से) वसूला नहीं जा सकता। उनका घर नीलाम हो सकता है, उनके खेतों की नीलामी की जा सकती है। माननीय राजस्व मंत्री बैठे हैं वह जानते हैं कितनी कठिनाई है उनसे कर्जा वसूलने में। जो कर्जा नहीं दे पाते हैं, उनको जानवरों की तरह पकड़कर तहसीलों को कैदखाने में जानवरों की तरह बन्द किया जाता है। 4-4 दिन तक इन गरीबों को बिना खाना पानी के अन्धेरी कोठरी में रखा जाता है। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वह कर्जा दे नहीं सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि हमारे सामने जो सदस्य बैठे हैं, वह दलीय भावना से ऊपर उठाकर आज समाज की आवश्यकता को अनुभव करें, प्रदेश की गरीबी का अनुभव करें। यह सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है गरीबों का सवाल है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जो सामन्ती परिवार से आये हैं, उन्होंने गरीबी का दर्द नहीं जाना है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री अशोक बाजपेयी—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय हरिश चन्द्र जी के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, आपने महसूस किया होगा कि जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आज होते हुए भी नहीं कर पाते । जिस कमजोर किसानों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसका बेटा जब आइसक्रीम मांगता है तो उसके सामने मजबूरी होती है, वह पैसा नहीं दे पाता है । उसके दिल में एक वेदना होती ह । वही वेदना उसके बड़े किसान का बेटा जब तीन पहिये की साइकिल मांगता है, उसको भी होती है, वही स्थिति आपकी है, जो भी हो माननीय सदस्य ने परम आदरणीय बहुगुणा जी के समय का उदाहरण दिया । आपको ध्यान होगा जब उन्होंने शिक्षकों, विश्व-विद्यालयों के शिक्षकों, प्राइमरी शिक्षकों इंजीनियर्स और डाक्टर्स की तन्खवाह बढ़ाई थी । उसके बाद जो गवर्नमेन्ट पर बोझ आया था, तो उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेन्स में स्टेटमेन्ट दिया था, वह यह यह था कि इस प्रदेश के टोटल रेवेन्यू को 100 रुपया मान लिया जाय तो 100 रुपये में 15 रुपया और जोड़ा जाय, तो सरकारी कर्मचारियों की तन्खवाह बंटने की स्थिति होगी । वर्तमान में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है ।

श्रीमन्, यह कहना कि गरीबों के प्रति दिलों में दर्द नहीं, उचित नहीं प्रतीत होता । यदि दर्द नहीं होता तो सन् 61 से आज तक की हरित क्रान्ति वर्ष सन् 67 से आज तक छोटे किसानों को 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत 30 प्रतिशत विभिन्न छूटें दी गयीं, खाद, बीज, पम्पिंग सेट की खरीद और दूसरे खेती के साधन उपलब्ध कराने के लिए जो छूट दी गई, न दी जाती । छूट इसीलिए दी गयी, इसे आप जानते हैं, शासन जानता है और इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं । इस समय भी किसानों की गरीबी से ऊपर लाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिये, खेती की बुनियाद खड़ी करने के लिए, साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । इसके लिए आवश्यक है कि छूट दी जाय ।

आपने देखा होगा श्रीमन्, कि विभिन्न बैंकों के द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा, कोआपरेटिव बैंक और नेशनेलाइज्ड बैंक के माध्यम से सारे कर्ज और सबसिडी उन तक सब पहुंचाई गई । यह इसी भावना का सबूत है जो भावना सरकार के दिमाग में उनके लिए थी । लेकिन जैसा कि पहले कहा गया आदमी चाहता है, इसके लिए संकल्प होना चाहिये, शासन चाहता है कि ऐसा किया जाय, लेकिन यह पूरा सदन जानता है कि स्थिति यह है कि इस मार्च में 400 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट सरकार को लेना पड़ा । मजबूरी ही है कि हम आइसक्रीम नहीं खिला सकते । इससे आप सब सहमत होंगे । इस सदन में बैठकर भावुकता की जो बातें हैं, हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बातें सोचनी होती हैं । बहुत सी बातें मान्यवर, टालरेट करनी पड़ती हैं । वर्तमान स्थिति में पूरा सदन इससे सहमत होगा ।

श्रीमन्, अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्भवतः वर्तमान म यह स्थिति नहीं है कि इसे माना जा सके ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन लाल प्रताप सिंह जी बोले तो मेरे मन में भी आया । मान्यवर, 3.1/8 का किसान 2 बैल नहीं रख सकता, मैं तो इस राय का हूं और कई बार जेल हो आया हूं कि जिस खेती से लाभ न हो, उससे लगान न लिया जाय । मैंने तो हरीश जी से कहा था कि इसको सवा छः एकड़ कर दें कि कर्ज माफ कर दिया जाय । एक तरीका बताता हूं कि कहां से कर्ज माफ हो सकता है । इसको वहां से माफ कर दें जहां से 40 लाख रुप्ये एक मिनिस्टर की बिजली का माफ किया गया पिछले पांच सालों में । एक मिनिस्टर की 40 लाख रुपये की बिजली का बकाया माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान का तीन साल का 3.1/8 एकड़ का कर्ज

माफ नहीं कर सकते । यही नहीं आपने चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और अनेक मिनिस्टरों का 50-50 हजार रुपया कर्ज माफ कर सकते हो । लेकिन, 3-1/8 एकड़ के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं । दुहाई देते हैं हरिजन-अत्याचार हो रहा है । हरिजनों से वोट मांगने का काम आप करते हैं । कोई हरिजन भी उधर से बोला है : एक पन्डित बोला और एक ठाकुर बोला । पन्डित जी तो दान खाते रहे, दान खाते वक्त शर्म नहीं लगती है । लेकिन, हरिजन का कर्ज माफ कराने में शर्म लगती है । ठाकुर साहब बेगार ले लेंगे, उस समय शर्म नहीं लगती मगर हरिजनों का कर्जा माफ कराने में शर्म लगती है ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

यह बिजली का 40 लाख रुपया किस मिनिस्टर के दस्तखत से माफ हुआ था । उस समय आपकी गवर्नमेन्ट थी ?

श्री राम सरन--

आपके मिनिस्टर ने किया था माफ वह रुपया ।

श्री रजनी कान्त--

मान्यवर, अगर माननीय हरीश जी ने यह मांग की होती कि खाद्यान्न के मूल्य को आस्था बनाकर और जीवन की उपयोगिता की वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाय, तो कोई बात थी ।

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि हममें से हर व्यक्ति एक हजार रुपये प्रतिमाह कटाये, जिससे प्रदेश के किसानों और हरिजनों का कर्ज माफ किया जाय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, श्री हरीश जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये और श्री बाजपेयी जी के संशोधन का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मन्त्री जी ने 2-3 बातें कहीं । मान्यवर, हिन्तुस्तान के किसानों के साथ जो डिस्क्रेरिटी खड़ी कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, सेल्सटैक्स के मामलों में करोड़ों रुपये की छूट दी । जिन लोगों से चुनाव के दौरान धन लिया गया था, उन व्यक्तियों को छूट दी, वसूल नहीं किया । इनकमटैक्स में बड़े लोगों को छूट दी है, सेल्सटैक्स में छूट दी है । कल कोई बड़ा कारखाना लगायेंगे, तो 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे । उस पांच वर्षों में उसको क्या लाभ होगा, इसका कोई अन्दाजा नहीं । लेकिन, सवा तीन एकड़ की हैसियत के किसान से कर भी लगे और कर्ज पर ब्याज की ऊंची दर भी । कोई होटल खोलता है, तो उस पर दर 4 प्रति हजार रुपया है ब्याज की दर । लेकिन, छोटा किसान ट्रैक्टर के लिए या पम्प के लिए कर्ज लेगा, तो उस की दर 16 रुपये सैकड़ा की ब्याज पर है । इस विसंगतियों को दूर करें । मैं कहूंगा कि आज देश में 3.1/8 एकड़ के किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, इस प्रस्ताव को आप लोग सर्वसम्मति से पास करें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, जो प्रस्ताव आया है, मान्यवर, परिस्थितियां इस देश की बदल चुकी हैं । किसी भी किसान या किसी भी नागरिक की आर्थिक स्थिति उसकी सम्पत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि किसान और नागरिक की आर्थिक स्थिति उसकी परिश्रम पर निर्भर करती है और यह परिश्रम प्रधान देश हो चुका है । आज जिस घर में लोग परिश्रम कर रहे हैं चाहे उनके पास सम्पत्ति हो या न हो, वे लोग आज खाते-पीते और सुदृढ़ हैं । लेकिन जो लोग आलसी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति डुलमुल हैं चाहे वह जमींदार हों जितनी बड़ी सम्पत्ति हो, पुदीने ही बोया हुआ होगा उनके यहां 52 बीघा में । जो खालिसी सम्पत्तिधारी है । मान्यवर, इस तरह से जो आलस्य का प्रस्ताव रखा गया है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसे वापस ले लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय, माननीय हरीश जी ने प्रस्ताव को जिस ढंग से रखा है, मैं समझता था कि सत्ता पक्ष उसे गम्भीरता से लेगा। काश, इस प्रस्ताव पर पहले राजस्व मंत्री या खाद्य मंत्री बोले होते। माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि किसानों का वर्गीकरण करना ही गलत है, बुनियादी तौर से यह सैद्धान्तिक नहीं है। सरकार ने स्वयं लघु व सीमान्त किसानों के वर्गीकरण को मान्यता दी है। आई० आर० डी० तथा अन्य योजनायें चलाई जाती हैं, उसमें भी ये 3 1/8 एकड़ को आधार मानकर वर्गीकरण करते हैं। श्री लाल प्रताप सिंह जी ने सरकार की नीतियों पर चोट की है। उन्होंने कहा है कि यह अन्यायपूर्ण है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा के राज्य में सूखा पड़ा था। उसने एक दिन अपने एक दरबारी से पूछा, राज्य का क्या हाल है। उसने कहा सब लोग दूध-भात खा रहे हैं। राजा साहब ने एक दिन राज्य में घूमते देखा वहां सूखा पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी ने गलत सूचना कैसे दी। लोगों ने कहा कि पटवारी के पास एक ताल की जमीन है, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था और उसमें साठी धान हो गया था, इधर रियासत से एक गाय मिल गयी थी। इसलिए साठी का चावल मिल गया और गाय से दूध मिल गया, इसलिए दूध भात खा रहे हैं और समझते हैं सभी दूध भात खा रहे हैं। माननीय, ऐसे लोगों को गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, ये गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं। माननीय हरीश जी ने जिस मार्मिक भावना को व्यक्त किया है, जो लोग विवेकशील हैं, उनकी भावनायें भी उद्वेलित हो गयी होंगी। लेकिन कुछ हृदयहीन लोग हैं उन पर कोई असर ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जायं।

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी--

माननीय, इस समय जब मैं पुनः कहने खड़ा हुआ हूं।

एक सदस्य--

पहले मंत्री जी बोल लें, उसके बाद बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

एक मंत्री जी बोल चुके हैं, जब माननीय सदस्य बोल लेंगे तब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

माननीय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समय राजस्व मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी उपस्थित हैं। वे दोनों बड़े नेता हैं। जिस समय लोग देश और समाज की सेवा को लेकर राजनीति में आये थे और लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना वह अपना कर्तव्य समझते थे यह लोग उसी पीढ़ी के हैं। वह शायद उन दिनों को याद करेंगे जब वह अपने कन्धों पर झोला डालकर गरीबों की मदद के लिए जाते थे। माननीय, मैं जो शब्द कह रहा हूं वे स्वाभाविक हैं। जिस समय पं० प्रभाकर शुक्ल जी अस्पताल में थे, तो मैंने उस समय कहा था कि ये वह व्यक्ति हैं जिसने गरीबों और देश की सेवा के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। मैंने जब 10 गांवों का अध्ययन किया और अपने इस प्वाइन्ट को लिखने बैठा तो मेरा मन मालूम हो गया, उनका जो चित्रण मेरे सामने आया। मैं सिद्धान्त पर आ रहा हूं। गरीबी से मुक्ति क्या, यह बड़ा सिद्धान्त नहीं है। अगर यह सिद्धान्त नहीं होता तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का निर्धारण नहीं किया होता। सारी योजनायें निर्धारित न की गयी होती। सारी हुकूमत का एक-एक क्षण इसी में बीत रहा है। यह सिद्धान्तविहीन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 3 1/8 एकड़ के लोग गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, यह गरीबी से मुक्ति का एक प्रभावकारी कदम है। यह सिद्धान्तपूर्ण है या सिद्धान्तविहीन नहीं है ?

अलाभकर जोत 3 1/8 एकड़ मानी गयी है और इसी सदन में सरकार ने माना है, उसे दिया जाना चाहिए, लिया नहीं जाना चाहिए। अगर दिया है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं गांवों में रहने वाले लोग कुल 72 प्रतिशत हैं। दो-चार नहीं। अगर उनको नहीं उठाया गया तो गांव नहीं उठेगा, किसान नहीं उठेगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर विचार करें। किसान फलेगा, फूलेगा तभी देश उठेगा। मुझसे लोगों ने कहा कि किसान के बल पर हिन्दुस्तान कैसे चलता है। मैंने कहा किसान अनाज देता है, लोगों को पेट भरता है, कच्चा माल देता है, कारखाने चलते हैं, विद्यालयों के लिए विद्यार्थी देता है, कारखाने के माल को खरीद कर उनकी बिक्री कराते हैं।

लोगों ने पूछा कि अस्पताल और वकालत की फीस तो किसान के बल पर मिलती है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का चलना भी किसान के बल पर ही है। सन् 62 में सर्वे करा डाला था, 62 प्रतिशत लड़के किसान के घर से आते हैं। अगर 72 प्रतिशत लोग, किसान मिट जायेंगे तो किस के बल पर ये विद्यालय, अस्पताल, वकालत, कारखाने, लोगों के भोजन चल पायेंगे। इसलिए उनका कर्जा माफ कर दिया जाय। किसी मंत्री जी को यह चिन्ता थी, न मैं नहीं जानता हूं, अच्छा रिछारिया साहब हैं, सत्ता पक्ष में होकर भी इस सच्चाई का घोषणा किया और बराबरी से सहमति प्रकट की। कहां हम तो जानते हैं उनकी दुर्दशा और मजबूरी लेकिन विभागों में बड़ा घाटा है, सरकार में बहुत घाटा है, यह सब छोड़ देंगे तो सरकार चलेगी कैसे। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को नोट कर लें, गैर सरकारी प्रस्ताव है, गरीबों का भाग्य होता, उधर से यह प्रस्ताव आता, हम लोग बिना बोले उसे स्वीकार कर लेते, 72 प्रतिशत लोगों का उद्धार हो जाता। इस स्थिति में मैं सारे राजनीतिक जीवन को दांव पर लगा कर एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे साथ चलिये बता दूं, 15-15 साल के कर्जे, एक पैसा नहीं मिला है, कर्मचारी खा रहे हैं, पैसा लेकर मुक्ति दे देते हैं। आपको नहीं मालूम सरकारी कर्मचारी, बिचौलिये उनको दुहते जा रहे हैं। सरकारी खजाने में एक पैसा नहीं पहुंचता। आपके तहसील के कर्मचारी, इन्स्पेक्टर कोआपरेटिव के, ग्राम सेवक और न जाने कौन-कौन ले लेकर मोहलत दे रहे हैं। आप यश के भागी हो जाते आप अगर माफ कर देते, आपका कल्याण हो जाता, दूधों नहाते पूतों फलते। इन शब्दों के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने एक सुझाव रखा है, 3 वर्ष के स्थान पर से आज तक के कर्जे माफ कर दिये जायें। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि 3 वर्ष या उससे पुराने के स्थान पर आज तक के कर्जे को माफ करने की बात को स्वीकार करता हूं। पुनः इस आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि राजनीतिक पक्ष-विपक्ष को छोड़कर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

(उत्तर देने के लिये संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री हरिश चन्द्र (हरीश जी)—

माननीय, राजस्व मंत्री उत्तर दें या खाद्य मंत्री उत्तर दें।

श्री अधिष्ठाता—

कोई भी मन्त्री जवाब दे सकते हैं, आप किसी खास मन्त्री को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय हरिश चन्द्र जी ने जिस सुन्दर तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति की, उसकी कदर करता हूं। तर्क भी हैं, भावनायें भी हैं और गुंजाइश भी है। एक-दो बातें कहना चाहता हूं। आपने कर्जे की बात कहकर 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कही। यदि अध्ययन करें तो 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबी मिटाने का तरीका कर्जा माफ करने का नहीं बल्कि रोजगार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने का है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है । हमारा प्रयास भी यही है कि केवल कर्जा माफ करके गरीबी नहीं मिटा सकेंगे । रोजगार देकर गरीबी मिटा सकेंगे । प्रस्ताव देखा कि जिसमें सिफारिश इस बातकी की गयी है कि सरकारी संस्थागत वित्तीय संस्थायें जो हैं, उनसे दिये गये कर्जे की माफी । इसकी व्यावहारिकता देखें । उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी ऐसी वित्तीय संस्थायें हैं जिनका कर्जा किसानों पर है इसके अलावा कितनी दूसरी संस्थायें हैं जिनका कर्जा है । हो सकता है उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा होगा जो उत्तर प्रदेश की संस्थाओं से सम्बन्धित है, किन्तु शेष सारा कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंकों, दूसरी बैंकों, जिनके ऊपर कोई नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, उनका है ।

यह कर्जा माफी की बात 3 1/8 एकड़ से कम जोत वालों पर क्यों है ? मोची पर क्यों नहीं है ? दर्जी पर क्यों नहीं है ? क्या उन पर कर्जा नहीं है ? लोहार पर, मजदूरों पर, श्रमिकों पर क्यों नहीं है ? जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाये हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग का करोड़ों रुपया जिनके ऊपर है, उनके लिये क्यों नहीं है ? ज्यादातर कर्जा उनके ऊपर है, जिनके पास जमीन ही नहीं है, अपना रोजगार लगाकर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं । उससे आगे बताना चाहूंगा कि "बैंकिंग कन्सेप्ट" है, उसको विकसित करना है । दर्शनीय यह है कि ऋण लिया जाय उत्पादन के लिये । अगर ऋण लेकर माफी की भावना पैदा करेंगे तो वह "कन्सेप्ट" समाप्त हो जायगा और ऋण लेने वाले की प्रवृत्ति बजाय उत्पादन करने के ऋण लेकर खर्च करने की हो जायगी । ऋण देकर माफी की बात नहीं होनी चाहिये बल्कि यह देखना चाहिये कि वह इस स्थिति में आ जाय कि ऋण लेकर उत्पादन बढ़ाकर उस ऋण को लौटा सके ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री कह रहे हैं कि माफी देने से भावना भड़काने की बात कर रहे हैं । क्या आपने जो माफी दी थी उससे भावना भड़की थी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरिश चन्द्र जी, क्या आप प्रस्ताव को प्रेस करते हैं ?

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी--

मैं चाहता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को पास करे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार 3 1/8 एकड़ तक की जोत वाले किसानों पर तीन वर्षों से अधिक पुराने पड़े सरकारी कर्जे, जो कि सरकार के अधीन रत वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त हैं, को माफ कर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

रेजीडेन्सी में बेगम हजरत महल कार्यक्रम देखने हेतु निमंत्रण पत्र माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक सूचना आपको एक पत्र द्वारा दे रहा हूं कि रेजीडेन्सी में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में गीत एवं नाटक प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत "बेगम हजरत महल" (ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम) 7·30 बजे होगा । इस कार्यक्रम से सम्बन्धित निमंत्रण-पत्र माननीय सदस्यों के लिये भेजे गये हैं । यह निमंत्रण-पत्र पटल कार्यालय में मौजूद हैं । जो सदस्य वहां जाना चाहें, पटल कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

कुंवर रेवती रवण सिंह—

निमंत्रण को भिजवा दिया जाय, पटल कार्यालय से क्या प्राप्त करने की जरूरत है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 7 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
24 जुलाई, 1985 ।

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर।)

जिला देवरिया में विभिन्न उद्योग इकाइयों का गत वर्षों की स्थिति निम्नवत् है :—

क्रमांक	विवरण	वर्ष	संख्या	रोजगार
1	खादी एवं ग्रामोद्योग	1983–84	222	..
		1984–85	262	..
2	फैक्ट्री ऐक्ट में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां	1983–84	6	77
3	पंजीकृत आर्टीजन उद्योग इकाइयां	1983–84	431	1369
		1984–85	420	923
4	आई0 आर0 डी0/ट्राइसेम लाभार्थी	1983–84	7,637	7,637
		1984–85	8,687	8,687

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5 शिक्षित बेरोजगार योजना--शिक्षित बेरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1984-85 माह मई, 1985 की देवरिया जनपद का प्रगति विवरण :

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद का नाम	लक्ष्य	बैंकों को प्रेषित प्रार्थना-पत्र		बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या		बैंकों द्वारा वितरित ऋण प्रार्थना-पत्र	
			सं०	धन	सं०	धन	सं०	धन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवरिया	1,125	1,676	338·03	1,141	266·27	584	102·61

6--दुर्बल वर्ग योजना वर्ष 1984--85 के माह मई, 1985 तक की प्रगति विवरण :--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवरिया	1,200	1,353	67·15	702	34·47	622	31·45

क्रमांक	विवरण	वर्ष	संख्या	रोजगार
7	पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयां	1983-84	200	759
		1984-85	201	897

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर ।)

मोती लाल देहलवी,

संख्या 1311/रा0 लो0 मो0/84

58-ए0 दारुल शफा

लखनऊ

दिनांक : 6 जुलाई, 1984

माननीय आबकारी मंत्री,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ ।

महोदय,

आपने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिया कि बिना किसी प्रमाणित आरोप या अपरिहार्य कारणों के किसी भी कर्मचारी का तीन वर्ष से पहले स्थानान्तरण न किया जाय । इस आदेश का पालन कड़ाई से करने का भी आपने निर्देश दिया है । श्री ए0 के0 पाठक, आबकारी निरीक्षक, हाथरस (अलीगढ़) इस निर्देश को तोड़ने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं । श्री पाठक अभी एक वर्ष पहले हापुड़ (गाजियाबाद) में तैनात थे और आबकारी सिपाहियों से अपना घरेलू काम ले रहे थे कि इसी बीच उनका काम करते ही एक दुर्घटना में एक सिपाही की मृत्यु हो गई तथा दूसरा गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस घटना को सदन के दोनों सदनों में चर्चा हुई तथा अभी भी प्रश्न दोनों सदनों में विचाराधीन हैं । इस घटना के सम्बन्ध में सत्ता तथा विपक्ष के अनेकों सांसदों एवं विधायकों ने माननीया प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था और श्री रामेश्वर सिंह, एम0 पी0 के पत्र के उत्तर में माननीया प्रधान मंत्री जी ने लिखा था कि मैं इस घटना के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही के लिये उ0 प्र0 सरकार को निर्देश दे रही हूं और इस निर्देश के बाद श्री पाठक को हापुड़ से हटाया गया । अब पाठक पुनः हापुड़ आने के लिये पैसे, जातिवाद तथा अन्य गन्दे हथकण्डे अपना रहे हैं । इस तरह पाठक न केवल आपके निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि सरकारी नियमों को तोड़ रहे हैं तथा माननीया प्रधान मंत्री के निर्देश का अनादर एवं अपमान भी कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि श्री पाठक पुनः हापुड़ ही क्यों आना चाहते हैं जबकि इनको यहां से गये मात्र 9 माह हुए हैं । पता चला है कि पाठक हापुड़ में असामाजिक तत्वों से मिल कर नकली शराब बनवा कर बिकवाते थे तथा गांजा व अफीम की तस्करी कराते थे और दवा के फार्मेसियों को मिलने वाले स्प्रिट को काले बाजार में बिकवाते थे तथा कई फार्मेसियों में उनकी हिस्सेदारी है जिसकी जांच ई0 आई0 बी0 कर रहा है । उपरोक्त बातों में सत्यता इस बात से भी लगती है कि पाठक अभी भी सपरिवार श्री महेश गोयल के मकान नं0 340 श्रीनगर, हापुड़ में रहते हैं और यहां से हाथरस (अलीगढ़) की इन्सपेक्टरी करते हैं । वर्तमान हापुड़ के निरीक्षक को काम करते 9 माह हुए हैं कि उसने नीलामी में सरकार का राजस्व बढ़ाया और विभाग के कामों को ठीक ढंग से चला रहा है । श्री पाठक गाजियाबाद में आपके विभाग के कर्मचा-

रियों को बराबर धमकी देते हैं तथा झूठा एवं गलत शिकायत करा रहे हैं जिससे माहौल तो गन्दा ही हो रहा है विभाग की भी बदनामी हो रही है। श्री पाठक अखिरकार बार बार हापुड़ में इसी लिए आना चाह रहे हैं क्योंकि उपरोक्त गन्दे कामों को करने और कराने में उनको आर्थिक लाभ होता रहा है और उसी को पुनः कायम करना चाहते हैं।

अतः आप श्री ए0 के0 पाठक के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने की कृपा करे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

ह0 राम स्वरूप निम, ह0 गोपी नाथ वर्मा,
ह0 फिरंगी प्रसाद विशारद

ह0 मोती लाल देहलवी।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर।)

1873/85

मालिक मो0 कमाल यूसूफ,
एम0 एल0 ए0,
बस्ती ।

40, विधान भवन, लखनऊ
तारीख 20-5-85

माननीय मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

महोदय,

आपका ध्यान श्री के0 टमटा, उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी चार्ज, वाराणसी के काले कारनामों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । श्री टमटा जबसे वाराणसी आये हैं तभी से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेईमानी का बोलबाला हो रहा है : आज वाराणसी नकली एवं जहरीली शराब बेचने वालों का मुख्य केन्द्र बन गया है और किसी भी दिन नकली तथा जहरीली शराब के पानी से भोपाल गैस काण्ड से भी भीषण घटना घट सकती है । इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों तथा समाचार पत्रों ने भी श्री टमटा का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है क्योंकि यह आम चर्चा है कि यह सब गलत काम श्री टमटा की सहमति से हो रहा है तथा उनको इसके लिये माहवार लम्बी रकम मिल रही है । तस्करो तथा नकली शराब के विक्रेताओं को इनका खुला संरक्षण प्राप्त है ।

श्री टमटा की कृपा से पूरे वाराणसी चार्ज में बिना सरकार को राजस्व दिये ताड़ी उतार कर लोग बेच रहे हैं और इस प्रकार लाखों रुपये प्रति माह सरकार को नुकसान हो रहा है । श्री टमटा के इस प्रकार के गलत कार्यों में जो आबकारी कर्मचारी सहयोग नहीं करता उसे अकारण तंग किया जा रहा है तथा उसकी झूठी रिपोर्ट की जाती है और उसकी चरित्रपंजिका खराब लिखने की धमकी दी जा रही है । अभी इस वर्ष के लिये शराब की नीलामी 25-26 मार्च, 1985 को हुई है और नियमतः उसका निर्धारित शुल्क 5 अप्रैल, 1985 तक अवश्य जमा हो जाना चाहिये था लेकिन वह शुल्क और माहवारी आबकारी शुल्क गत तीन माह का भी आज तक जमा नहीं हुआ है जबकि श्री टमटा इस समय डी0 ओ0 का काम देख रहे हैं । सरकारी नियम के अनुसार निर्धारित समय पर शुल्क न जमा करने पर ठेका निरस्त कर दोबारा नीलाम कराना चाहिये लेकिन ठेकेदार से पैसा लेकर बिना राजस्व जमा कराये उनका ठेका चला रहे हैं । नियम यह है कि समय पर धनराशि न जमा करने पर ठेकेदार के जमानती राशि से सरकार का पैसा काट लेना चाहिये लेकिन जब टमटा स्वंय ठेकेदारों से पैसा लेकर गलत काम करा रहे हैं तो नियम का पालन कौन करेगा ? इस वर्ष के नीलामी में वाराणसी में गड़बड़ी इन्होंने कराया है नहीं तो कल से कम 50 लाख रुपया और सरकार को राजस्व के रूप में मिल सकता था । आपको मालूम ही है कि इसी तरह के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ठेकेदारों पर सरकार की कई करोड़ रुपये आबकारी शुल्क का बकाया पड़ा है । टमटा खुले आम लूट रहे हैं ।

अतः आप श्री टमटा को तत्काल निलम्बित कर सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच करानें की कृपा करें ।

सधन्यवाद,

भवदीय,

ह0 अपठनीय ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर।)

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के आडिट रिपोर्ट में आडिट ने निम्न अनियमितताओं को इंगित किया है जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा भेजे गये उत्तर भी साथ में वर्णित हैं।

इंगित अनियमिततायें	उत्तर
1--वर्ष 1982-83	
1--जनपद बस्ती, तहसील खलीलाबाद में प्रजापतिपुर बरपरवाह एवं प्रजापतिपुर कल्यान पट्टी बंध के मिट्टी के भुगतान हेतु अंतिम मापों में क्रास सेक्शन के क्षेत्रफल को चेनेज की लम्बाई से गुणा कर घनमीटर में मात्रा निकाली गई है। अंतिम मापी की यह प्रणाली दोषपूर्ण है।	कार्य प्रारम्भ के पहले एवं बाद में लेबेल एवं अन्य सम्बन्धित मापी लेबेल बुक में दर्ज की गयी थी। इसी आधार पर माप पुस्तिका में मापी दर्ज की गयी है एवं कार्य की मात्रा का आगणन किया गया है।
2--जनपद बस्ती, तहसील हरैया में कुछ डैम्पनरों पर पत्थर डैम्प करने के लिए भाव से इसकी ढुलाई की गई एवं डम्प करने के पूर्व इसकी स्टैकिंग एवं मापी नहीं ली गई है। डम्प करने के पूर्व स्टैकिंग एवं मापी आवश्यक हैं।	नाव से डम्पिंग विभागीय कर्मचारियों के देख रेख में की गई है। डम्पिंग के पूर्व पुनः स्टैकिंग एवं मापों में अतिरिक्त धन का व्यय होना एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सम्भव नहीं है। इस प्रकार की डम्पिंग आपात कालीन स्थिति में कुछ ही डैम्पनरों पर की गई।
1--वर्ष 1983-84	
1--इसके प्रथम भाग में जनपद बस्ती, तहसील खलीलाबाद में घाघरा नदी के बायें तट पर 21·4 कि0 मी0 लम्बे मदराहा बेहरा डांण्डी बंधे के निर्माण में मिट्टी के कार्यों पर अधिक भुगतान के बात कही गई है।	मदरहा बेहरा डांडी बंधे के निर्माण में मिट्टी के कार्य पर तथा कथित अधिक भुगतान के मामले की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है।
इसके द्वितीय भाग में मदरहा बेहरा डांडी बांध के पुराने एल सेक्शन में एच0 एफ0 एल0 की ऊंचाई अधिक दर्शायी गई है एवं बाद में कार्य कम एच0 एफ0 एल0 के अनुसार कराया गया है इस प्रकार पहले बंध की ऊंचाई अधिक थी एवं बाद में बंध नये एच0 एफ0 एल0 के अनुसार कम ऊंचा बनाया गया।	मदहरा बेहरा डांडी बंध का निर्माण कार्य स्वीकृत प्रोजेक्ट के अनुसार किया गया था। घाघरा नदी के अधिकतम बाढ़ स्तर की गणना अयोध्या एवं तुर्तीपार के वर्ष 1975 से अधिकतम बाढ़ स्तरों के आधार पर की गई है। वर्ष 1983 की बाढ़ में घाघरा का अधिकतम जल स्तर 1975 से अधिक था। 1983 में बंध के समीप भी अधिकतम बाढ़ स्तर अवलोकित किये गये तथा यह पाया गया कि बंध को कुछ कम ऊंचा रखा जा सकता है, अतः मितव्ययता की दृष्टि से कार्य कराने का निर्णय लिया गया।

2--इसमें जनपद फैजाबाद में कैन्टोमेन्ट की सुरक्षा हेतु किये गये अनुबन्धा में पत्थर एवं ब्लाक कंकर को दर्शायी गयी मात्रा से अधिक मात्रा की आपूर्ति लेने एवं निर्माण कार्य के अधिक पहले आपूर्ति लेने की बात कही गयी है।

3--माह 3/85 में अयोध्या स्थित राम की पैंडी के निर्माण हेतु रुपया 7,64,117·35 एवं जनपद बाराबंकी में जी0 एस0 एलिगन ब्रिज बंध के रेगुलेटर के निर्माण हेतु रु0 46,950·00 की सामग्री स्टाफ से निर्गत की गई थी। यह आवंटित धन के उपयोग एवं स्टाक की रिजर्व सीमा घटाने के लिये किया गया है।

पत्थर एवं ब्लाक कंकड़ की आपूर्ति में हुई भिन्नता स्वीकृति प्राविधान की सीमा में है व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपूर्ति में भिन्नता स्वभाविक है। सामग्री का उपयोग किया जा चुका है। सामग्री की आपूर्ति वास्तविक आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को देखते हुये की गयी है।

दोनों कार्यों हेतु निर्गत सामग्री का निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा चुका है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

ह0 अब्दुल रहीम,
अधीक्षण अभियन्ता।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर।)

तालिका

मद	वर्ष 1984-85 में आवंटित धनराशि	वर्ष के अन्त मे व्यपगत धनराशि
1	2	3
239--राज्य आबकारी---		
1--वेतन	1,59,00,000	..
2--महंगाई भत्ता	82,40,000	..
3--यात्री भत्ता	11,00,000	..
4--अन्य भत्ते	9,50,000	..
5--कार्यालय व्यय	13,74,000	..
6--टेलीफोन व्यय	2,00,000	..
7--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि	5,60,000	1,23,942
8--किराया उपशुल्क एवं कर	2,00,000	..
9--अन्य (बोनस आदि)	10,50,000	..
10--निर्माण कार्य	6,000	..
11--अनुरक्षण निर्माण कार्य	12,000	..
12--अन्य व्यय (मानदेय आउट आफ पाकेट एक्ससेज)	55,000	..
योग	2,96,47,000	1,23,942
भारित	7,000	..
240--बिक्रीकर (मोटर स्प्रिट, डीजल आयल एवं अलकोहल)---		
1--वेतन	42,000	..
2--महंगाई भत्ता	20,000	..
3--अन्य भत्ते	8,000	..
4--अन्य व्यय	1,000	..
योग	71,000	..
459--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय---		
5--राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय के लिए भवन निर्माण	25,92,000	..

यू0 पी0 एस0--25 वि0 सभा--(पी0 डी0)